# छत्तीसगढ़ विधान सभा

# की

# अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

**षष्ठम् विधान सभा** **दशम् सत्र**

**बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026**
**(आषाढ़ 24, शक सम्वत् 1948)**

**[अंक 03]**

Webcopy

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 24, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

**{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}**

**तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

**मेसर्स 'यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड' की अमानक औषधियों का क्रय**

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

**1. ( *क्र. 516 ) श्री भूपेश बघेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि दवा निर्माता कंपनी मेसर्स 'यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड' द्वारा प्रदायित 'एस्पिरिन टैबलेट्स आइपी' गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण गुजरात राज्य द्वारा ब्लैकलिस्टेड की गई थी ? यदि हाँ, तो क्या इसकी आधिकारिक संसूचना छत्तीसगढ़ शासन या सी.जी.एम.एस.सी. को प्राप्त हुई थी ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि छत्तीसगढ़ में इसी अमानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हाँ, तो स्थापित वित्तीय नियमों को शिथिल करने हेतु कौन से लोक सेवक उत्तरदायी हैं ? (ग) इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान या उसके बाद उक्त कंपनी से कुल कितनी मात्रा एवं किस संविदा दर पर औषधियां क्रय की गईं? कुल कितना वित्तीय भुगतान किया गया तथा क्या क्रय-पूर्व अनिवार्य बैच-परीक्षण संपन्न कराया गया था ? (घ) क्रय नियमों के इस गंभीर उल्लंघन पर विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों एवं क्रय समिति के विरुद्ध अब तक की गई दंडात्मक कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है ?

**लोक स्वास्थ्य मंत्री ( श्री श्याम बिहारी जायसवाल )** : (क) हाँ, यह सत्य है कि गुजरात मेडिकल सर्विसेस कॉपेरिशन लिमिटेड द्वारा दवा निर्माता कंपनी मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड के औषधि एस्पिरिन टैबलेट्स आइपी (एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 मिलीग्राम एवं एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 75 मिलीग्राम) को गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण ब्लैकलिस्ट की गई थी। उक्त के संबंध में दिनांक 25.03.2026 को फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड द्वारा सी.जी.एम.एस.सी. लिमिटेड को सूचना प्राप्त हुई थी। (ख) नहीं, यह सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इसी अमानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई थी अपितु सत्य तो यह है कि सी.जी.एम.एस.सी. लिमिटेड द्वारा फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड को औषधि एस्पिरिन टैबलट्स

आइपी 75 मिलीग्राम (अनकोटेड टैबलेट) की आपूर्ति हेतु क्रय आदेश जारी किया गया था जो कि इंडियन फॉर्माकोपिया 2022 अनुसार, गुजरात मेडिकल सर्विसेस कॉर्पेरिशन लिमिटेड द्वारा प्रतिबंधित किये गये औषधि (एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 मिलीग्राम एवं एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 75 मिलीग्राम) से भिन्न है। यद्यपि दोनों औषधियां भिन्न है तथापि एहतियातन एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए फर्म द्वारा सूचना प्राप्त होने पर औषधि एस्पिरिन टैबलट्स आइपी 75 मिलीग्राम (अनकोटेड टैबलेट) के जारी किये गये क्रय आदेशों एवं दर-अनुबंध को निरस्त कर दिया गया था। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नही होता। (ग) जानकारी प्रपत्र अनुसार है। उक्त अवधि में कुल रूपये 6,89,36,162 का भुगतान किया गया। क्रय पूर्व बैच-परीक्षण कराये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु क्रय उपरांत फर्म द्वारा आपूर्ति की गई औषधि का वितरण से पूर्व गुणवत्ता परीक्षण कराये जाने का प्रावधान है। (घ) फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड से उक्त प्रतिबंधित औषधि का क्रय नहीं किया गया। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि कि दवा निर्माता कंपनी मेसर्स 'यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड' द्वारा प्रदायित [1]''एस्पिरिन टैबलेट्स आइ.पी.'' गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण गुजरात राज्य द्वारा ब्लैकलिस्टेड की गई थी ? यदि हाँ, तो क्या इसकी आधिकारिक संसूचना छत्तीसगढ़ शासन या सी.जी.एम.एस.सी. को प्राप्त हुई थी ? क्या यह भी सत्य है कि छत्तीसगढ़ में इसी अमानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हाँ, तो स्थापित वित्तीय नियमों को शिथिल करने हेतु कौन से लोक सेवक उत्तरदायी हैं ? इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान या उसके बाद उक्त कंपनी से कुल कितनी मात्रा एवं किस संविदा दर पर औषधियां क्रय की गईं ? कुल कितना वित्तीय भुगतान किया गया तथा क्या क्रय-पूर्व अनिवार्य बैच-परीक्षण संपन्न कराया गया था ? क्रय नियमों के इस गंभीर उल्लंघन पर विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों एवं क्रय समिति के विरुद्ध अब तक की गई दंडात्मक कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

अध्यक्ष महोदय :- आपने तो पूरा प्रश्न पढ़ दिया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके सभी प्रश्नों का लिखित में जवाब दे दिया हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरा प्रश्न पढ़ दिए हो और उसका लिखित जवाब आ गया है। इस जवाब से जो विशेष प्रश्न उद्भुत हो रहा हो तो आप उसको पूछ लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि अभी अटल जी को यही नहीं मालूम है कि हिड़मा मर गया है।

---

[1] परिशिष्ट 'एक'

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी ने बताया कि एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 एम.जी. और 75 एम.जी. गुजरात में ब्लेक लिस्टेड थी। लेकिन सी.जी.एम.एस.सी. ने 25.03.2026 को सूचना मिलने के बाद खरीदी आदेश को रद्द कर दिया। कृपया बतायें कि रद्द करने से पहले कितनी मात्रा में दवाईयां सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा सरकार को पहले सप्लाई कर दी गई थी, उन दवाओं का वितरण कहां-कहां हुआ और कितने मरीजों को दिया गया ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी भी जानकारी प्रपत्र-ब में दिया गया है। यह जानकारी भी लंबा है। आप उसको देख लीजिये। यदि आप बोले तो मैं पढ़ देता हूं, लेकिन समय खराब होगा। फिर भी मैं पढ़ देता हूं, जानकारी 3-4 पन्ने का है। एस्पिरिन टैबलेट आइ.पी. के प्रतिबंधित अवधि (16.72.2025 से 30.06.2.26 तक) में फर्म यूनिक्योर इण्डिया लिमिटेड से सी.जी.एम.एस.सी. लिमिटेड द्वारा क्रय की गई अन्य औषधियों की जानकारी  के तहत 1. सेफिक्सिम ओरल 50 मिली ग्राम/5 मिलीलीटर सस्पेंशन आइ.पी., हम लोगों ने यह दवा पहले लिया। माननीय सदस्य का प्रश्न है, वैसे वह तैयारी नहीं किए होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो गुजरात की प्रतिबंधित दवा थी, वह उस कम्पनी का उस प्रोडक्ट था। वह प्रोडक्ट एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 था। मेसर्स यूनिक्योर इण्डिया लिमिटेड, जिसको गुजरात राज्य ने बैन किया था, वह रजिस्टेन्ट टैबलेट्स था, उसको ब्लैक लिस्टेड किया था। यूनिक्योर इण्डिया लिमिटेड का जो प्रोडक्ट हम यहां लेते हैं, वह अनकोटेड लेते हैं। जैसे डिस्प्रिन आता है, जिसको पानी में डालकर पीते हैं, वह तुरन्त घुल जाता है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि क्या रद्द करने से पहले कितनी मात्रा में दवा सरकार को सप्लाई कर दी गई थी ? उन दवाओं का वितरण कहां-कहां हुआ और वह दवा कितने मरीजों को दिया गया ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा हूं गुजरात सरकार ने जिसको ब्लैक लिस्टेड किया, उस दवाई की हमारे यहां खरीदी ही नहीं हुई है। उस कम्पनी की दवाई की जरूर खरीदी हुई थी, परन्तु जिस प्रोडक्ट को बैन किया गया था, उस प्रोडक्ट की खरीदी नहीं की गई है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड किया था या दवाई को ब्लैक लिस्टेड किया था ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने उस प्रोडक्ट को बैन किया था। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में नियम है कि किसी भी कम्पनी का दवाई ब्लैक लिस्टेड होता है तो हम दवाई को नहीं खरीदते हैं, तब तक, जब तक कि उस कम्पनी के  दो प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड न हो जाएं। तो दो प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड होते हैं, तो फिर हम कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- तो गुजरात में कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था या दवाई को? यही मैं पूछना चाह रहा हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- गुजरात में यह 18/07/2028 को प्रोडक्ट को ही बैन किया गया है, दवा को, प्रोडक्ट मतलब दवा। उस कंपनी को नहीं किए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनकोटेड वर्सेस गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टेबलेट का फर्जी अंतर है। मंत्री जी, ये ब्लैक लिस्टेड गैस्ट्रो रेजिस्टेंट 75 एम.जी. नहीं, बल्कि एस्पिरिन गैस्ट्रो आई.पी. 75 अनकोटेड टैबलेट खरीदी गई है। क्या दोनों दवाइयां समतुल्य हैं? यदि हां, तो गुजरात में ब्लैक लिस्टेड दवा को छत्तीसगढ़ में खरीदने की क्या मजबूरी थी? क्या यह क्वालिटी स्टैंडर्ड को बाईपास करने की चाल नहीं है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी नहीं, दोनों प्रोडक्ट में अंतर है। नाम एक जैसा है, लेकिन एक है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट जो कोटेड है और हम जो खरीदे हैं, वह अनकोटेड है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- दवाई का जो स्वरूप है, वह तो सेम है। आप अनकोटेड और कोटेड, आपने जो जो चीजें गुजरात में बैन हो चुकी थीं, उसको अनकोटेड के नाम से आप छत्तीसगढ़ की आम जनता को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस कंपनी को यहां बुलाकर 6 करोड़ 79 लाख रूपये रूपये की दवाइयां आपने खरीदी हैं साहब। तो आप केवल अनकोटेड लिखकर जिस दवाई को वहां बैन किया गया था, उस दवाई की सप्लाई छत्तीसगढ़ में करा रहे हैं। हमारे गरीब मरीजों को ये दवाइयां बंट रही हैं। (शेम-शेम की आवाज)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, हम अनकोटेड लिखकर उसको नहीं कर रहे हैं। कोटेड और अनकोटेड दवाइयों में कई स्वरूप ऐसे बदल जाता है, जैसे थोड़ी देर के लिए शक्कर है, ग्लूकोज है, शुगर फ्री है, तीनों मीठा दिखता है सामान्य व्यक्ति में, लेकिन उसके केमिकल फार्मूले जो हैं, शक्कर के अलग होते हैं, ग्लूकोज के अलग हैं और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम होता है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय माननीय मंत्री जी..।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं बता रहा हूं न कि दोनों प्रोडक्ट, दोनों का प्रभाव अलग है। जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंस है, उसका काम अलग है, मतलब उससे संबंधित एक्स्ट्रा है। दोनों की प्रकृति अलग है और दोनों अलग-अलग हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- नहीं, दोनों का जो सोल्यूशन है, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट 75 एम.जी. एंड एस्पिरिन गैस्ट्रो आई.पी. 75 अनकोटेड, क्या ये दोनों का सोल्यूशन एक है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, दोनों का जो केमिकल फार्मूला है, एक है, लेकिन दोनों की काम करने की विधि अलग है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप बोल रहे हैं केमिकल फार्मूला एक है, तो जब गुजरात में वह बैन हो गई, तो आपने उसको छत्तीसगढ़ में खरीदा क्यों? और खरीदा और मालूम हो गया कि वह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो फिर आपने उस दवाई का वितरण कहां-कहां किया? किन-किन मरीजों को वह दवाई खिलाई गई? गुजरात की रिजेक्टेड दवाइयां छत्तीसगढ़ में चलेंगी?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, मैं स्पष्ट कह चुका हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दोनों ही दवाइयों का अलग-अलग प्रभाव है, उनका अलग-अलग नेचर है। दोनों की घुलने की, दोनों का असर करने का, दोनों का एफर्ट जो है, अलग है और ये दोनों अलग नाम से ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको हम बना रहे हैं नाम, हम जब खरीदे हैं और प्रोडक्ट भी, ये दोनों प्रोडक्ट अलग हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप बता रहे हैं सॉल्यूशन एक है, घुलने का समय अलग-अलग हो सकता है, पर उसका इनग्रेडिएंट दवाई तो उसी बीमारी के लिए दी जाती है। जिस बीमारी के लिए बनी गई है या ये दूसरी दवाई दूसरी बीमारी के लिए दवाई बनी है? आप जो दवाइयां गुजरात में ब्लैक लिस्टेड थीं, वह दवाइयां छत्तीसगढ़ में सप्लाई होने के बाद अस्पतालों में मरीजों को बांटी गई हैं। यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि अनकोटेड करने से क्या दवाई का केमिकल रिएक्शन बदल गया है क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, मैंने शुरू में और अभी भी बोल रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों का काम अलग है। जैसे थोड़ी देर के लिए दर्द का आता है एक जीरोडोल। जीरोडोल में जीरोडोल पी का अलग काम है, जीरोडोल एसपी का अलग काम है, पैरासिटामोल में भी कई अलग-अलग आते हैं और फार्मूला में मत जाइए। फार्मूला में जाएंगे तो फिर लंबी बातचीत होगी, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज..।.

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बाकी मत बताइए। आपको कुछ पूछना है। हां, माननीय नेता जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय मंत्री जी, जब आप और आपकी सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि गुजरात के हर चीज पर, हर राह पर आपको चलना है, फिर जो दवाई गुजरात में बैन है, उस पर आपने अपना बैन क्यों नहीं लगाया? गुजरात से अलग हटकर कैसे चल रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो गई? (हंसी)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय नेता जी, ये दोनों प्रोडक्ट अलग-अलग हैं, नहीं तो गुजरात में हो या किसी राज्य में हो, फिर भी हमने जब उसकी जानकारी आई तो उसको एक एहतियातन के तौर पर हमने उसकी सप्लाई बंद कर दी और उसके बाद हमने कोई दवाइयां नहीं खरीदी है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- 6 करोड़ 89 लाख रूपये का भुगतान किया गया था। प्रतिबंधित दवाओं के लिए कितना वित्तीय भुगतान किया गया था और कितना रद्द करने के बाद बचा था? बकाया राशि की वसूली किसी से की गई या नहीं की गई?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैंने पहला चीज बताया कि जो हम खरीदे हैं, वह प्रतिबंधित दवाई था ही नहीं, वह प्रोडक्ट ही अलग था। हमारे यहां एन.ए.बी.एल. लैब है, जिसमें हम जांच कराते हैं। हमने उसकी जांच करायी, उसमें वह मानक पाया गया और उसका उपयोग भी हो गया।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान में कंपनी कहीं पर भी ब्लैकलिस्टेड होती है तो सभी राज्यों के पास यह खबर जाती है कि यह कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई है। आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जानने के बाद भी छत्तीसगढ़ के गरीब मरीजों के लिए वो दवाई खरीदी है। मंत्री जी, आप केवल यह बता दीजिए क्रय के पहले बैच का प्रशिक्षण (प्री-परचेज बैच टेस्टिंग) का प्रावधान है या नहीं है? क्या यह स्वीकारोक्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लाखों गरीब मरीजों को बिना क्वालिटी चेक की दवाएं दी जा रही हैं? आप प्री-टेस्टिंग का प्रावधान कब तक लागू करेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- C.G.M.S.C. और हेल्थ में खरीदी के नियम पहले से ही बने हैं और इसमें प्री-परचेजिंग टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यह बात अलग है कि कंपनियां सप्लाई करने से पहले अपनी जांच रिपोर्ट देती हैं और जब दवाई आ जाता है, तो हम एन.ए.बी.एल. लैब में टेस्ट कराते हैं और जब पुष्टि हो जाती है कि वह दवाई सही है, मानक स्तर का है, तब फिर हम उसे आगे भेजते हैं। पहले परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महादेय, एक आखिरी प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, पैरासिटामोल, मेटफार्मिन, सैफियन, एमॉलडोलपिन, पेंटाजोल की लिस्ट में यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड से खरीदी की गई। इन सभी दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है या नहीं है? कितनी दवाओं का पोस्ट-डिस्ट्रिब्यूशन टेस्टिंग हुआ है और कितने टेस्टिंग में दवाएं में फेल पाई गईं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- चूंकि यह कई दवाइयों का मामला है, परंतु मैं आपको इसका एक सामान्य जवाब बता सकता हूं कि 100% दवाइयों का डिलीवरी से पहले टेस्ट की गई है। अगर आपको विस्तृत विवरण चाहिए तो हम आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उनका प्रश्न यह है कि क्या वे परीक्षण में सही पाई गई थीं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों में हमारे 24 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिसको हमने फेल किया है। उस प्रोडक्ट को हमने ब्लैकलिस्टेड भी किया है और जो फर्मों को भी हमने ब्लैकलिस्टेड किया है।

अध्यक्ष महोदय :- उनका यह प्रश्न है कि क्या इनमें से कोई दवाई है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, इनमें से स्पेसिफिक कह पाना मुश्किल है, उनको मैं अलग से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, जानकारी दे देंगे।

**प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराये गए कर्मियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन**

[चिकित्सा शिक्षा]

**2. (*क्र. 554) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1958, दिनांक 12.03.2026 के उत्तर में उल्लेखित है कि कॉल-मी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मात्र 40 कर्मियों का सत्यापन 15 जनवरी, 2026 की स्थिति में किया गया एवं साथ ही अनुबंध में पुलिस सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो वर्ष 2024 से कार्यरत कर्मियों का पुलिस सत्यापन नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं? वर्ष 2024 से जून, 2026 तक बिना पुलिस सत्यापन कराए कितना भुगतान किया गया है? माहवार, संख्यावार एवं राशिवार जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्न क्र. 1958 के उत्तर में उल्लेखित है कि प्रश्न क्र. 602 की प्रश्न अवधि में उक्त फर्म को कर्मियों के भुगतान हेतु 14 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो अनुबंध का पालन न कर भुगतान की आर्थिक अनियमितता करने तथा अनियमितता पूर्ण भुगतान पाने के लिये कौन-कौन उत्तदायी है? नाम, पदनाम सहित विवरण देवें तथा दिनांक 20.06.2026 की स्थिति में भुगतान की गई राशि भी बतावें? (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार संस्थाओं के सुरक्षा कर्मी/प्लेसमेंट कर्मी की वर्ष 2023 से जून, 2026 तक अभद्रता/मारपीट/अमर्यादित व्यवहार की शिकायतें कब-कब, किसने, किसको एवं क्या शिकायत की एवं क्या कार्यवाही हुई? शिकायतवार जानकारी देवें? क्या उक्त प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मियों के विरूद्ध थाने में भी शिकायतें हुई है? यदि हां तो जानकारी देवें?

**लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :** (क) जी हाँ, विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1958 दिनांक 12.03.2026 के उत्तर में उल्लेखित हैं कि दिनांक 15 जनवरी 2026 की स्थिति में प्रश्नाधीन कर्मियों में से 40 कर्मियों का पुलिस सत्यापन किया गया। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, डी.के.एस. चिकित्सालय रायपुर की अनुबंध शर्तों में नियोजित किये जाने वाले कर्मियों का निविदाकार के द्वारा पुलिस सत्यापन कराये जाने का उल्लेख है। परंतु डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर की अनुबंध शर्तों में इसका प्रावधान नहीं है। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कार्यरत कुछ कर्मी परिवर्तित होते रहते है फलस्वरूप सत्यापन में विलंब होता है। दिनांक 12.07.2026 की स्थिति में अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्यरत सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन करा लिया गया है। शर्तों में पुलिस सत्यापन के अभाव में नियोजित कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान रोके जाने की कोई शर्त उल्लेखित नही

है। वर्ष 2024 से जून, 2026 तक पुलिस सत्यापन प्रक्रियाधीन होने के दौरान किये गए भुगतान की माहवार, संख्यावार एवं राशिवार जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] "अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्नावधि में उक्त फर्म को 14 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया हैं। चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालयों में सुरक्षा, सफाई एवं तकनीकी कार्य अति-आवश्यक सेवाओं में होने से प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गए कर्मियों हेतु फर्म को भुगतान, अनुबंध में उल्लेखित दर एवं निविदा शर्तों के अनुरूप किया गया है। निविदा शर्तों में बिना पुलिस सत्यापन के भुगतान नही किये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं होने के कारण संबंधित फर्म को नियोजित कार्य में संलग्न कर्मियों की माहवार उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया गया। दिनांक 20.06.2026 की स्थिति में फर्म को राशि 157415327.00 का भुगतान किया गया। भुगतान में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार संस्थाओं के सुरक्षा कर्मी/प्लेसमेंट कर्मी की वर्ष 2023 से जून, 2026 तक अभद्रता/मारपीट/अमर्यादित व्यवहार के शिकायतों की जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर एवं डी.के.एस. चिकित्सालय रायपुर से निरंक है। डॉ. भीमराव अंबेड़कर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में वर्ष 2023 से जून 2026 तक संस्थाओं के सुरक्षा कर्मी/प्लेसमेंट कर्मी की वर्ष 2023 से जून, 2026 तक अभद्रता/मारपीट/अमर्यादित व्यवहार के शिकायतों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने इस विषय में प्रश्न लगाया था, जो छत्तीसगढ़ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों, नियम 2014 से संबंधित था। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कामगार उपलब्ध कराए जाने पर पुलिस सत्यापन की अनिवार्यता है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य को कहते हुए), सबसे पहले उत्कृष्ट विधायक बनने पर आपको बहुत-बहुत बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- इसका मतलब आज वह प्रश्न न करें। (हंसी) आप इशारा कर रहे हैं कि वह कम प्रश्न करें। चलिए ठीक है, वह एक-दो प्रश्न कर लेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट कर्मचारियों, सफाई और सुरक्षा से संबंधित कर्मचारी हैं, उनको रखने से पहले दो स्थानों पर पुलिस वेरिफिकेशन प्रावधान है, जो माननीय विधायक जी डी.के.एस. और पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं। जो मेकाहारा का हॉस्पिटल है, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन प्रावधान नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, इन दो जगहों में पुलिस वेरिफिकेशन का प्रावधान है। आपने उत्तर में दिया है कि आपने केवल 40 लोगों का पुलिस सत्यापन कराया है और बाकी लोगों का

[2] परिशिष्ट "दो''

सत्यापन नहीं कराया है। पुलिस सत्यापन नहीं कराने के बाद में जब आवश्यकता है तो हम उनको किसी के यहां भेजें, किसी किसी सरकारी संस्था में रखें और उसके बाद में घटनाएं घटित हुईं। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आवश्यकता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराये बिना उसका भुगतान किया जाना चाहिए?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो अनुबंध में शर्त है उसमें सत्यापन किये बिना पेमेंट रोकने का प्रावधान नहीं है । चूँकि टेण्डर प्रक्रियायें पहले हो चुकी है, अब उसमें निश्चित रूप से प्रावधान भी कर रहे हैं, मेकाहारा का जो हॉस्पीटल है वह कंडिका के अनुबंध शर्तों में जरूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वेरिफिकेशन्स के लिये संबंधित एजेंसी को लिखा हुआ है और निश्चित रूप से आपकी जो भावनायें हैं...।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मेरी भावनाओं का तो ठीक है, मैं भावना में नहीं जा रहा हूँ । जो नियम है उसका पालन नहीं किया है, मैं तो भावना का सम्मान हमेशा करता हूँ । (हंसी) मैं इसमें आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 21 अगस्त 2014, छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण एवं अधिनियम 2013, इसमें क्या नियम (5) में क्या प्रावधान है कि घरेलू कामगार का चरित्र और पूर्व वित्त का सत्यापन । किसी भी व्यक्ति को अभिकरण द्वारा घरेलू कामगार के रूप में तब तक नियोजित या संलग्न नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अधिनियम की धारा (7) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है तथा अभिकरण ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्व वृत्त के प्रति निम्नलिखित स्थिति में संतुष्ट नहीं होता । अब उसमे दिया हुआ है कि पुलिस अधीक्षक से चरित्र और पूर्व वित्त रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् उसको संलग्न करेगा, संलग्न करके कामगार को भेजेगा, आपने इस नियम का पालन नहीं किया है, इस नियम का उल्लंघन किया है, इस नियम के उल्लंघन होने पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिये, वर्तमान में जो हमारे टेण्डर के नियम हैं, उसके अनुरूप हम किये हैं । सामान्य सभी विभागों के लिये राजपत्र का जो आदेश हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से..।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं एक कॉपी आपको दे देता हूँ । आप एक मिनट बैठ जाईये ना । मैं आपके टेण्डर का बता देता हूँ । इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर यह आपके पास में होगा । निविदा प्रपत्रों के नियम एवं शर्तों के अनुसार एजेंसी ऐसे व्यक्ति को कार्य पर रखेगी, जिनके पिछले रिकार्ड अच्छी तरह से सत्यापन किये गये हों, जिसमें कैरेक्टर एवं पुलिस सत्यापन तथा दूसरी औपचारिकता शामिल है । आपने टेण्डर की बात की है, पुलिस सत्यापन भी उसमें लिखा हुआ है । आपने इसका भी उल्लंघन किया हुआ है, आप अब इसमें कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :-नहीं, मैंने पहले भी ऐसा नहीं बोला है कि नियम में वेरिफिकेशन्स का है ही नही ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नियम में यदि है तो नियम का पालन कौन करेगा ? नियम का पालन आपके विभाग में नहीं होगा, आपके नियम का पालन आपके अधीनस्थ नहीं करेंगे तो यह नियम किसके लिये बना हुआ है ? मैं इसको इसलिये उठा रहा हूँ कि मैं जो आखिरी प्रश्न करूँगा, आप देखे हैं कि हमारे जो अस्पताल हैं, जिसमें आपने उसे सुरक्षा और सफाई में रखा है, उस अस्पताल में महिलायें भी है, मैं आपके मेकाहारा की बात कर रहा हूँ, मैं आपके मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं आपके डीकेएस की बात कर रहा हूँ और उस बात करने के बाद में बालियां चोरी हो रही है, उसमें महिलायें और बच्चे हैं, क्या-क्या चोरी नहीं हुई है, यह पूरा रिकार्ड में है । आपने उसको जवाब में दिया है । जो चोरियां हुई है, उसके बावजूद भी यह बोल रहे हैं कि उल्लंघन नहीं हुआ है और उल्लंघन नहीं हुआ है यह जो बात आप बोल रहे हैं, उल्लंघन हुआ है तो उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि उल्लंघन हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि जब सत्यापन की प्रक्रिया है, आपके निविदा में है, आपके नियम में है और उसके बाद में उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि आपको धन्यवाद देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देने से काम नहीं होगा, इसमें तो कार्यवाही करनी पड़ेगी और आपका सम्मान भी होगा ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अभी तक जो डीकेएस और मेडिकल कॉलेज है, वहां शत-प्रतिशत वेरिफिकेशन्स करा लिया है, चूँकि मेकॉहारा का जो हॉस्पीटल है...।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट बता देता हूँ कि सभी के ध्यान में आ जाये । नगदी एवं मोबाईल चोरी होने की सूचना । मैं उनका नाम नहीं बताता हूँ, उसमें नाम लिखा हुआ है । दिनांक 7/7 को प्रकाशित समाचार पोस्टमार्टम के बाद शव लेने आये परिजनों से गार्ड पैसे मांग रहे हैं । 15/5/226 को अपनी पत्नी के उपचार डिलिवरी के दौरान 2 नग सोने की बाली सफाई कर्मचारी के द्वारा निकाल लिया गया और रखे जाने की शिकायत और उसके बाद में पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार । उसका कारण वही है कि आपने किसी को भी रख लिया है ।  किसी को भी रखने का कारण यही है कि आपने वेरिफिकेशन नहीं किया, वह गुंडा है, बदमाश है, आदतन चोरी के अपराधी हैं या आपने उसको बिना सत्यापन के रखा है, उसके कारण सारी वारदात हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के लोग यहां इलाज कराने के लिए आते हैं, यह उस अस्पताल की घटना है, कोई पी.एच.सी. और सी.एच.सी. की घटना नहीं है। उसके बाद आपकी गंभीरता दिखाई दे रही है, विभाग की गंभीरता दिखाई दे रही है कि इतनी घटनाएं होने के बाद भी आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, इतनी घटनाएं होने के बाद भी आप कोई आदेशात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं

कि यह जो सारी घटनाएं हुई हैं, मैंने आपको बता दिया, आप बोलेंगे तो मैं आपको दे देता हूं, वैसे वह आपके पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लापरवाही बरती जा रही है, किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर नियम प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप उसमें सख्ती से कार्रवाई करें जिससे आने वाले समय में सुधार हो और जो बाकी एजेंसियां हैं, उसके ऊपर भी यह लागू होगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए सख्त कार्रवाई करें। इतना ही पूछ रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- भईया रूक जाईए, जवाब आने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- ये राम मंदिर वाला चोर मन तो इहां नई आगे हे?

अध्यक्ष महोदय :- भाई, कहां से आ गए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ओ टेबल के नोट वाले मन आए हे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो जानकारी बताई, वह जानकारी विभाग ने लिखित में भी दिया है और जो-जो चोरी की बात या लड़ाई की बात आई है, हमने उन सब में कार्रवाई भी की है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जो चोरी किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है, जो चोरी करने वाले को रखे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई किए हैं? उनकी जो निविदा स्वीकृत किए हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई किए हैं? प्रश्न यह है, उन 10 को निकालने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो जड़ है, आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी कार्रवाई का विषय नहीं है, अभी तो सत्यापन की बातचीत है। हम रायपुर के दो संस्थानों में सत्यापन करा चुके हैं और मेकाहारा का भी चालू है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अच्छा, आप एक बात बताइए। सत्यापन कब कराए हैं? मेरा प्रश्न लगने के बाद कराए हैं। आप तारीख बताइए, भुगतान कब से हो रहा है? आप बताइए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप इससे पहले दो प्रश्न और लगाए थे तो उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी लेकिन आपने उल्लेख भी किया है। उस समय भी हम सत्यापन कराए थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ था, बीच में भी सत्यापन कराए थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको बता ही देता हूं, आप मत बताइए। आपने अप्रैल 24 से लेकर जून 26 तक कुल 40 लोगों का सत्यापन कराया। अभी आपने जवाब दिया है, 12 जुलाई 26 की स्थिति में कार्यरत सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन करा लिए। आपने जनवरी 26 तक सत्यापन नहीं कराया, उसके पहले लगातार भुगतान हुआ है। जब मैंने प्रश्न लगाया, तब

आपने उसमें रोक लगाई। रोक लगाने के बाद आप बोल रहे हैं कि सत्यापन हो गया। वास्तव में यह जो नेगलिजेंस हुआ है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, जैसे आप भुगतान की बात कर रहे हैं तो मैंने भुगतान के लिए स्पष्ट कहा कि टेंडर की शर्तों में वेरिफिकेशन के बिना भुगतान रोकने का नियम नहीं है, क्योंकि यह अति आवश्यक सेवाएं भी हैं। लेकिन उसको अनिवार्य रूप से पूरे प्रदेश में और केवल मेडिकल एजुकेशन के बड़े हॉस्पिटल में नहीं, हमने डायरेक्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को, पूरे जिला हॉस्पिटल हैं, ऐसे बड़े संस्थान हैं, जहां गार्ड और सफाई व्यवस्था है, सभी जगह बोल दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा एक विषय है। माननीय मंत्री जी, आप बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कितने आउटसोर्सिंग की कंपनियां काम कर रही हैं? आपको कौन-कौन से पदों में आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखने की अनुमति फाइनेंस से मिली है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सी.जी.एम.एस.सी. भी है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है।

श्री अजय चंद्राकर :- वह मैं जानता हूं, मैंने एक सिंपल सी बात पूछी है। उत्तर नहीं है तो बाद में दे दीजिएगा। लेकिन यह-यह संस्था है, उसको पूरा प्रदेश जानता है। स्वास्थ्य विभाग में आपके पास जितनी संस्थाएं हैं, ऐसा पूछूं तो क्लियर होगा? आप जो बोल रहे हैं सी.जी.एम.एस.सी है, डी.एच.एस. है, डी.एम.ई. है, मैं सबको जानता है, उसको अमूमन सभी जानते हैं। स्वास्थ्य विभाग में कितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं, आपको किन-किन पदों में आउटसोर्सिंग करने की अनुमति मिली है, मेरा प्रश्न यह है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, चूंकि इंटीग्रेटेड रूप से प्रदेश से इनके टेंडर नहीं होते हैं। संबंधित संस्थाएं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वे अपना अलग करती हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सर, जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए। यदि आप ही जवाब दे देंगे तो दे दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- आप गलत शुरूआत कर रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं, मैं कोई गलत शुरुआत नहीं कर रहा हूं। आप सुनिये तो। आप ही बता दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग की स्वीकृति फाइनेंस देता है कि इन पदों पर इतनी आउटसोर्सिंग होगी। अलग-अलग टेंडर नहीं होता है। विभाग फाइनेंस से अनुमति लेता है, फाइनेंस पदों की अनुमति देता है। आपके विभाग को ही नहीं, किसी भी विभाग में इन पदों के लिए

हम स्वीकृति देते हैं। यह टेंडर प्रक्रिया कि अलग-अलग होती है, सेंट्रल नहीं होती, यह नहीं होती। मेरा एक लाइन का छोटा सा प्रश्न है कि कितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं और किन पदों में आपको स्वीकृति दी गई? बाद में आप बताएंगे, उसको भी सुनने के लिए मैं तैयार हूं। आप ही घुमाते हैं और नाराज भी होते हैं। प्रश्न को घुमाते भी आप ही हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं-नहीं, मैं नहीं घुमाता। प्रश्न घुमावदार रहता है, बड़ा व्यापक है। इतने बड़े पूरे प्रदेश में इतनी संस्थाएं हैं। मैं आपको पूरे प्रदेश से पता करके इसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा कि कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं और कितनी जगहों पर कर रही हैं। वैसे सामान्यतः सफाई और सुरक्षा, इनका हम लोगों ने प्लेसमेंट से दिया हुआ है। कुछ स्थानों पर जैसे CGMSC जैसी जगहों में ड्राइवरों और कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर।

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक है, आप उपलब्ध करवा दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आया है इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला देता हूं। वास्तव में स्वास्थ्य विभाग के संबंध में सदन को यह जानना जरूरी है कि किन पदों में आउटसोर्सिंग की अनुमति दी जाती है। वह बड़ा टेक्निकल विषय है। सिर्फ यह स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा में दे दें, वह अलग विषय है। अन्य दूसरे पदों में आउटसोर्सिंग होती है या नहीं होती है, वास्तव में इसका उत्तर आना चाहिए और स्वास्थ्य में यदि दूसरे पदों में आउटसोर्सिंग होती है तो वह बंद होनी चाहिए। मैं इसलिए पूछा था।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अब उत्तर आ गया है, आप पूछ लीजिए। उत्तर आने में समय लगा। अब उत्तर आ गया है, पूछ लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं उनको केवल प्लेसमेंट एजेंसी का नाम बता रहा हूं। यह आधा लाइन का है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। श्री प्रबोध मिंज। नहीं, मैं 25 मिनट किसी प्रश्न में नहीं दे सकता। और लोग हैं, जिन्होंने अपने प्रश्न लगाये हैं। प्रबोध जी, कृपया आप अपना प्रश्न करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्लेसमेंट एजेंसी का है, मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लेता हूं कि यह कालमे प्लेसमेंट एजेंसी के संदर्भ में मैंने प्रश्न लगाया और जिनके द्वारा सारी गड़बड़ियां हुईं। मैं मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि निहित स्वार्थ के लिए सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर जिस प्रकार से उनको लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, इसलिए इसपर एक तो ब्रेक लगाई जाए और दूसरा, जितने भी अब जहां भी इस प्रकार के कामगार उपलब्ध कराएंगे, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उन सबका पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो और उसके बाद उनको ज्वाइन कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अच्छा सुझाव है। ठीक है, ब्रेक लगाइए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी-जी, निश्चित रूप से।

अध्यक्ष महोदय :- प्रबोध जी, अब आप प्रश्न करिये।

**लुण्ड्रा विधानसभा के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (pmgsy)सड़कों की स्थिति**

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

**3. (*क्र. 538) श्री प्रबोध मिंज** : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (pmgsy) की कुल कितनी सड़कें हैं? किन-किन वर्षों में निर्माण किए गए हैं? विवरण देवें? (ख) वर्ष 2026-27 में जून, 2026 तक उक्त सड़कों की क्या स्थिति है? कितनी खराब हैं, जर्जर हैं एवं गड्ढे युक्त हैं? विवरण देवें? (ग) प्रश्नांक "क" अनुसार खराब सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? विवरण देवें? (घ) प्रश्नांक "क" अनुसार निर्माण की गई सड़कों में मरम्मत, संधारण में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है?

**उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा)** : (क) लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (pmgsy) की कुल 171 सड़कें हैं। वर्षवार निर्माण का विवरण ''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ'' अनुसार हैं। (ख) वर्ष 2026-27 में जून, 2026 तक की सड़कों की स्थिति का विवरण ''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब'' अनुसार हैं। मरम्मत योग्य सड़कों की संख्या 31 है, विवरण ''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब'' अनुसार हैं। (ग) प्रश्नांक ''क'' अनुसार खराब सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कराया जावेगा। समय बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांक ''क'' अनुसार निर्माण की गई सड़कों में मरम्मत, संधारण में खर्च की गई राशि का विवरण ''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स'' अनुसार है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा यह प्रश्न था कि लुंड्रा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कितनी सड़कें हैं? किन-किन वर्षों में उनका निर्माण हुआ है और वर्ष 2026-27 में अभी जून तक सड़कों की क्या स्थिति है? खराब हैं, जर्जर हैं या गड्ढे युक्त हैं? मैंने उनका विवरण मांगा था और खराब सड़कों का पुनर्निर्माण या उसकी मरम्मत कब तक की जायेगी और उसके निर्माण के लिए, उसके संधारण में अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है? माननीय मंत्री जी, जवाब दें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लुंड्रा विधान सभा के संदर्भ में माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसमें विभिन्न मदों की कुल सड़कें, PMGSY की अलग-अलग फेसेस, जनमन को मिलाकर

171 हैं। उन 171 सड़कों में नवीनीकरण के बाद भी जिनके 5 वर्ष शेष हैं, अभी ऐसी 87 सड़कें हैं। निर्माणाधीन जो सड़कें हैं, वह 24 हैं। नवीन सड़कें बनने के बाद 5 वर्ष के अंदर जो हैं, वह 28 हैं। एक सड़क पीडब्ल्यूडी को दी गयी है और शेष 31 सड़कें हैं, जो मरम्मत योग्य हैं।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहां चालू हुई है। वर्ष 2001-02 से चालू होकर अभी तक वर्ष 2025-26 तक विभिन्न चरणों में ये काम हुए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना या कोई भी सड़क जो आपके विभाग की बन रही है, उसकी लाइफ कितनी होती है और उसकी लाइफ कितने समय तक की होनी चाहिए ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों के लिए निर्माण पूर्णता की तिथि के उपरांत 5 वर्ष का समय होता है, जब उसका संधारण किया जाता है, जिसकी राशि पूर्व में ही निर्माण की राशि के साथ जोड़कर रखी जाती है। ठेकेदार 5 वर्षों तक उसको मेंटेन करता है और प्रति कि.मी. की दर से उनको 5 वर्षों तक भुगतान किया जाता है और उसके बाद उन सड़कों को नवीनीकरण के लिए लिया जा सकता है। यह प्रावधान है।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें और जानना चाहूंगा कि मरम्मत और संधारण के लिए आपने जो राशि बताई है, यह सड़क निर्माण में 5 वर्षों के लिए जो गारंटी पिरेड में मरम्मत का प्रावधान रहता है, केवल उन्हीं से मरम्मत में यह राशि खर्च हुई है या अलग से कोई बजट में राशि या मरम्मत के लिए और अलग से स्वीकृति दी गयी है ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अलग से कोई राशि का विषय नहीं है। जो राशि 5 वर्षों तक उसमें प्रावधानित है, उसी राशि को खर्च किया जाता है। उसमें पूरी राशि खर्च हो, यह आवश्यक नहीं है। जितनी भी मरम्मत की आवश्यकता होती है, उतनी मरम्मत करके उस राशि को खर्च किया जाता है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल था चूंकि सड़क की लाइफ के बारे में उन्होंने कहा कि 5 साल तक का मेंटेनेंस पिरेड रहता है और उस कार्य को ठेकेदार करता है। उसमें इस्टीमेट में प्रोव्हिजन रहता है। उसके बाद वह सड़क कितनी लम्बी चलेगी या क्या होगा, उसके लिए प्रावधान नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह विषय है कि 5 वर्ष के मेंटेनेंस के बाद 10 वर्षों तक सड़क पिरेड होता है, फिर नवीनीकरण पर उसको लिया जा सकता है।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कि मेरे क्षेत्र में वर्ष 2001 में एक सड़क बनी, 2003-04 में 2 सड़कें बनीं और अमूमन वर्ष 2007-08 में 38 सड़कें और वर्ष 2008-09 में 38 सड़कें बनीं। यह जो मैक्जिमम सड़कें बनी हैं, यह वर्ष 2019-20 के पहले बनी है, उसके बाद अभी तक जो वर्ष 2006-07 से सड़कें बनी हैं, उनको 10 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं। इन सड़कों

में अभी तक जो मरम्मत हुई है, वह केवल जो उनकी गारंटी पिरेड थी, उन 5 वर्षों में ही हुई है। उसके बाद सड़कें बहुत खराब हो चुकी है और आपने मरम्मत योग्य सड़कों में केवल 31 सड़कों की बात की है। बजट में केवल 1 सड़क है, जिसको आपने मरम्मत के लिए लिया है। बाकी सड़कों में इतने गड्ढे हो गये हैं, वह चलने योग्य नहीं है। आपके पास बजट में प्रावधान नहीं है और 5 वर्षों के बाद मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं है तो वह सड़कें कैसे बनेगी ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के पहले ही बताया कि माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा में 87 सड़कें ऐसी हैं, जो अभी 5 वर्षों के अंतर्गत है। इसकी रिपेयरिंग के लिए माननीय सदस्य स्वयं इंस्पेक्शन करके अधिकारियों को निर्देशित करके करा सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से इस बात के लिए इनके जिले में, इनके विधान सभा क्षेत्र में इन सड़कों के लिए जरूर कह दूंगा। दूसरा मसला यह है कि इसमें 24 सड़कें निर्माणाधीन हैं, 28 सड़कें ऐसी हैं जो नवीन बन चुकी है और उसमें भी 5 वर्ष का समय है। यानि 27 सड़कें और 28 सड़कें, इन दोनों ही में 5 वर्ष का प्रावधान अभी शेष है। 31 सड़कें ऐसी हैं, जो मरम्मत योग्य है, अर्थात् जिनका 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है और उसमें यह है कि 25 सड़कें कुल मिलाकर ऐसी हैं, जिनका एक बार नवीनीकरण हो चुका है और मात्र 6 सड़कें ऐसी है, जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है और उसके लिए यह है कि वर्तमान में हमारे प्रावधानों के अनुरूप 2 सड़कें आपके क्षेत्र की ली गयी है, जिनका आगे नवीनीकरण किया जायेगा।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा-सा यह प्रश्न है कि जब प्रधानमंत्री सड़क योजना में केन्द्र से 60 प्रतिशत की राशि आती है और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार खर्च करती है। इसके बाद जैसे सड़कों की या बाकी भवनों की मरम्मत के लिए पी.डब्ल्यू.डी. में annual repair का पैसा रहता है या अलग से मरम्मत के लिए इस्टीमेट बनाकर स्वीकृति मिलती है। उनके बजट में प्रावधान रहता है, करोड़ों रूपये रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना की केन्द्र से राशि मिलने के बाद वह राशि राज्य सरकार के पास रहती है और यहां मरम्मत के लिए अलग से ए.आर. का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री सड़कें हैं, जो वर्ष 2001-02 से चालू होकर लगभग वर्ष 2007-08 तक की बहुत सड़कें हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में बताया गया कि 31 सड़कें मरम्मत योग्य है और 31 सड़कों में केवल 1 सड़क ही है, जिसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। जब बजट में कोई प्रावधान नहीं है और मरम्मत के लिए कोई राशि नहीं है तो सड़कें कैसे बनेंगी ? ऐसे ही यह पूरे प्रदेश का विषय है, उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसमें या बजट में अलग से प्रावधान करेंगे या मरम्मत के लिए कोई राशि का प्रावधान करेंगे या उसके चलते सड़क बन पायेगी ? उसमें मरम्मत योग्य सड़कों के साथ-साथ बाकी सड़कों का आपने जवाब दिया है कि संतोषप्रद है। यह संतोषप्रद से भी तात्पर्य नहीं है कि यह कैसे संतोषप्रद है ? उसमें लोग चलने में संतुष्ट महसूस कर रहे हैं या वह कैसे संतोषप्रद

है ? दूसरी बात यह है कि क्या इसमें बजट प्रावधान रखेंगे ? 31 सड़कें हैं, उनकी मरम्मत का काम कब तक करा देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप मरम्मत के लिये 31 सड़कों का ही बता दीजिए, उस पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य जी को पूरी जानकारी इसलिए स्पष्ट की है, 31 सड़के हीं हैं जिनमें से 25 सड़कों का पूर्व में भी एक बार नवीनीकरण हो चुका है और वह 5 वर्ष की भी अवधि समाप्त हो चुकी है। उनकी चिंता जायज है, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूं। परंतु यह है कि वर्तमान में 6 सड़कों में अत्यधिक आवश्यकता है, उपरांत भी हमने 2 सड़कों को अभी इसमें प्रावधानित किया हुआ है। जो आपकी चिंता है कि आगे भी 5 वर्ष के उपरांत भी जब ठेकेदार का वह समय समाप्त हो जाता है जो सड़क के निर्माण की राशि के साथ मेन्टेनेंस प्रावधानित होता है। वह समय समाप्त होने के बाद जब छठवां वर्ष या सातवां वर्ष आता है, तब अगर उसको मेन्टेनेंस किया जाये तो सड़क की लाइफ बढ़ सकती है। इस बात का प्रावधान विभाग की तरफ से करके वित्त में और केबिनेट को भेजा भी गया है। मैं सोचता हूं कि इस पर शीघ्र ही अच्छा निर्णय आयेगा। हम लोग आगे कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जो सड़क बता रहे हैं, आप उसकी चिंता कर लेंगे।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न था। चूंकि ये 12 टन के हिसाब से ग्रामीण सड़कें बनती हैं और आज 40 टन, 50 टन की गाड़ियां उन सड़कों में चल रही हैं। चूंकि ये सड़क को भी इससे ज्यादा टन की बनाने की आवश्यकता है। क्या आने वाले समय में एस्टीमेट में 12 टन से ज्यादा 20, 25 टन तक सड़कों का प्रावधान उसमें रखेंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्टैण्डर्ड डिजाइन जो सड़कों का है, उन स्टैण्डर्ड डिजाइन से आगे जाना यानि कि हमको राज्य के साथ संसाधन लगाना होता है। वर्तमान में तो जो स्टैण्डर्ड डिजाइन है, उस पर ही काम है। माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है और इससे आगे लाभ ही होगा। मैं इस पर भी काम करके हमारे केबिनेट में आवश्यक रूप से ले जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- उनका सुझाव बहुत अच्छा है। चलिये धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल माननीय मंत्री जी सही बोल रहे हैं कि 5 साल मेन्टेनेंस का है। लेकिन पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क में मेन्टेनेंस के अभाव में उसकी स्थिति बहुत खराब है। हम गांव वालों की सुविधा के लिये उसको बनाये हैं। अगर मान लीजिए नियम में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना भी चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि क्या पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क जो जर्जर स्थिति में है उसका सर्वे करा करके, आकलन लेकर के

आप अपने बजट में प्रावधान करके उसको रिपेयर कराने का एकमुश्त कार्यक्रम करेंगे ? क्योंकि पूरे प्रदेश में ही हालत खराब है, लुण्ड्रा भर की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले में भी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका प्रश्न आ गया। आप पूछ लीजिए। छोटा-छोटा, एक-एक लाईन में पूछ लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 5 साल के मरम्मत की व्यवस्था आपके विभाग में है, लेकिन धरातल में वास्तव में ठेकेदारों से 5 साल में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, 5 साल नहीं, 10 साल जोड़ ले, पिछले 5 साल में कुछ नहीं करहस, तौनो ला भी जोड़ ले।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, मैं उससे भी सहमत हूं। उसमें भी आ जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना प्रश्न करिये, भटकिये मत।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, 05 साल में जो मरम्मत की व्यवस्था है, उसमें प्रदेश में कितनी सड़कें मरम्मत हुईं और कितनी सड़क मरम्मत योग्य हैं और कितनी सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई है, इसकी जांच करवाकर मरम्मत करवायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। भावना बोहरा जी, हां, आप बोलिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सेशन में इसमें ही सवाल पूछा था कि मरम्मत और नवीनीकरण को लेकर के आने वाले समय में क्या प्रावधान रहेगा ? उसमें भी आदरणीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस बार के बजट में नवीनीकरण और मरम्मत दोनों को हम इस बजट में लायेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई विषय आया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सबका जवाब देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्रश्न पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी, आप बैठिये। आपको मै बात में बुलाऊंगा। हां, आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक महत्वपूर्ण सड़क है बड़ेडोंगर से कोनगुड़। इस बारे में मैंने बहुत सारी चिट्टियां भी लिखी हैं और स्वयं मैंने ई.एन.सी. से भी बात की है। इसके नवीनीकरण की लागत पहले 3 करोड़ रुपये हुआ करती थी जो बढ़कर के अब 8 करोड़ रुपये हो गई है। अब इसमें और देरी होगी तो ये 10 करोड़, 12 करोड़ रुपये हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि इसमें 200 गांव के लोग आते हैं और अभी नारायणपुर की पूरी ट्रेफिक इस रोड़ से चल रही है। चूंकि उनकी रोड नहीं बनी है। तो इस सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे ?

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लगे हुए खदान क्षेत्र हैं, खासकर रेत खदान या गिट्टी खदान के जो क्षेत्र हैं, सड़कें उससे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं तो क्या उस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित होगी?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है । आप भी पूछ लीजिये । साहू जी एक मिनट ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी पूछा था उसका जवाब आया था ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, 8-10 प्रश्न हो गये हैं । थोड़ा सा सभी की चिंता सड़क की है और वाजिब है तो आप एक-साथ समाधान कर देंगे । बस एक-दो का और आ जाये । चलिये, जल्दी करिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि बालोद जिला में वर्ष 2024-25, वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 में आज तक एक भी सड़क निर्माण के लिये नहीं लिया गया तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि आपने जरूर 3 साल बजट में कुछ प्रावधान नहीं किया तो इस बार के बजट में जरूर बालोद जिला में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये विशेष कृपा करेंगे ।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गरियाबंद जिले में...।

अध्यक्ष महोदय :- धरम जी को बोलने दो । धरम जी आप बोलिए । इसी में है न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री सड़क योजना में एक- बार सड़क बनी है उसके बाद मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में उसकी मरम्मत नहीं हुई है । मैंने पिछली बार धनाकर्षण लगाया था, मंत्री जी ने स्वीकार किया था तो मैं उसमें प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल आग्रह कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो सड़कें हैं लगभग प्रदेश में उसकी खराब स्थिति है उसके लिए कोई एक प्लान बनाकर के उसमें आगे काम करने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । आप खड़े होइए ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- अब बहुत प्रश्न हो गये, यह आखिरी प्रश्न है । बहुत हो गया । यह कोई ध्यानाकर्षण थोड़ी न है ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा जशपुर में भी कई ऐसी प्रधानमंत्री सड़कें हैं जिसका पुलिया टूट गया है तो क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह निर्देश देंगे कि बरसात में ही सारे पुलिया बना दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । साहू जी आखिरी प्रश्न । मंत्री जी, आप एक-साथ जवाब दे दीजियेगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा केंद्रित ।

अध्यक्ष महोदय :- वह सुन रहे हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आलिवारा का, मेरे घर का ही गांव की रोड है जिसमें रेल्वे विभाग से फ्लाई ओवर बना और एक चौथा लाईन होने से वह इतना जर्जर हो गया, मैं लगातार प्रश्न लगाता रहा, इस समय भी लगाया[3] [xx]

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप एक-साथ जवाब दे दीजिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव की रोड है । मुझे खुद ही उसमें चूंकि आपने रेल्वे विभाग को पत्र भी लिखा है लेकिन वह रेल्वे विभाग जरा भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप कर दीजियेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक, साहू जी । एक-साथ जवाब दे दीजिये ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये कुछ बोलना था ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, नेता जी बोल रहे हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, इतने सारे लोगों ने यह प्रश्न किया है । यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है, जरा संभालकर जवाब दीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप तो बैठिये । चलिये ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रश्न पर चिंता जाहिर की है तो मैं बिल्कुल यह कहना चाहता हूँ कि समस्याओं से भागने का कोई मसला नहीं होता है, परिस्थितियाँ आपके सामने हैं और प्रयास भी आपके सामने हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो ईशारा कर रहा था कि कहीं राष्ट्रीय प्रश्न बन रहा है तो आपकी जरूरत राष्ट्र में तो नहीं होने वाली है । (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिसमें मेरे चिंतक और शुभचिंतक दोनों ही प्रसन्न हैं ऐसा है । माननीय धर्मजीत जी ने, माननीय सदस्य महोदय ने जो विषय कहा है कि इसको जांच करने की और एक-साथ एकत्रित करके एक योजना बनाने की तो मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि जो समस्याएं सड़कों के साथ हैं, सड़कों की जो स्थिति का आंकलन होता है वह अभी इंडिविजुअल ही किया जाता है, वह मैनुअल ही किया जाता है लेकिन एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अभी बनवा ली है । वाइजैक करके एक संस्था है । वह फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती है आपको सॉफ्टवेयर बनवाने का उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, उसी से बनवाया है । उसमें एक बाइक पर या आप एक गाड़ी से या पैदल ही

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

चलकर रोड का सिर्फ विडियो एक एंड से दूसरे एंड तक बना लें । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से यह पता चल जाएगा कि कितने क्रैक है, कितने गड्ढे हैं, उनका क्या साईज है, किस कार्डिनेट पर हैं और वह पूरा डिटेल भी हमको एक-साथ मिल जाएगा ताकि यह समझ में आयेगा कि किस सड़क में कितनी परेशानी है । अभी सड़क में कितनी परेशानी है यह समझ लें तो अच्छी बात है परन्तु अब उसके आगे की आगे की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा टफ है । उस पर थोड़ा डिपेंडेंसी है तो आदरणीय द्वारिकाधीश जी ने अभी जो कहा कि प्रदेश में कितनी सड़कें हैं आदि-आदि तो मैं सोचता हूं कि ये थोड़ा अभी एक विधानसभा की तैयारी करके आये थे । आपको अगर वाकई में जानकारी चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी जवाब मत दीजिये, उसकी जरूरत नहीं है ।

श्री विजय शर्मा :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, भावना बोहरा जी ने जो कहा कि मरम्मत और नवीनीकरण के संदर्भ में तो मरम्मत और नवीनकरण के संदर्भ में जो बजट के वर्तमान प्रावधान हैं, उसके अनुरूप सबको जितना कर सकते हैं, उस दिशा में किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- अब यह हो गया।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसमें 350 करोड़ रूपये का बजट है। नीलकण्ठ जी एक विशेष सड़क के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं तो मैं आज ही उस पर जरूर बात कर लेता हूँ, उसमें जो होगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको दिखवा लेंगे।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही आदरणीय दलेश्वर जी के निवास ग्राम का है तो यह चिंता करना बहुत आवश्यक है। नि:संदेह मैं आज ही इन दोनों ही विषयों पर भी बात कर लेता हूँ। माननीय सुशान्त जी ने बहुत अच्छी बात कही। इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा भी होती है। वहां 50-60 टन गीला रेत का ट्रक वह भी चल जाता हैं फिर वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़क है अपने डिजाईन के हिसाब से जितना मेंटेन करनी की स्थिति होती है उसके बाद वह परेशानी होती है। यह चिंता सबके बीच में है। मैं यह सोचता हूँ कि इसका अच्छा निराकरण हो भी जाएगा। कुंवर सिंह निषाद जी ने बलोद की वर्ष 2024-2025 और 2025-2026 और 2026-2027 के विषय में कहा है मैं सोचता हूं कि आपके बालोद में pmgsy-4 में कुछ 6 सड़कें आयी हैं, नई 6 सड़कें आयी हैं। मैं आपको सूची उपलब्ध करवा देता हूँ। साथ ही साथ धरम भईया का जो कहना है कि pmgsy और mmgsy के लिए समग्रता से पूरी जानकारी प्राप्त करना, एप्लीकेशन बेस्ड ए.आई., एप्लीकेशन बेस्ड जो साल्यूशन है, उसके साथ ही इस योजना पर भी पहुंचेंगे। मैं माननीय धरम भईया से बात करके, समझ लूंगा कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय रायमुनी भगत जी ने जो कहा है कि विधान सभा

क्षेत्र जशपुर में पुलिया जो टूटा है, वह किस विभाग की पुलिया है, यह मैं कंफर्म करवा लेता हूँ। अगर हमारे विभाग की पुलिया है तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आज एक कीर्तिमान हुआ कि एक प्रश्न में 8 विधायकों ने खड़े होकर अपना प्रश्न किया तो माननीय मंत्री जी को बहुत अच्छे जवाब के लिए बधाई और यह भी ध्यान रखें कि पूरे सदन के सभी सदस्यों की चिंता है तो भविष्य में जो कार्ययोजना हो, उसमें सबको समाहित कर लें।

**<u>प्रदेश में फायर स्टेशन की सुविधा विकसित करने संबंधी</u>**

[गृह]

**4. ( *क्र. 67 ) श्री सुनील कुमार सोनी :** क्या उप मुख्यमंत्री ( गृह ) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश के कितने जिलों में फायर स्टेशन की सुविधा जून, 2026 तक विकसित नहीं की जा सकी है ? फायर वाहनों की खरीद हेतु कितनी राशि गृह विभाग को प्राप्त हुई है ? क्या जून, 2026 तक फायर वाहनों की खरीद की जा चुकी है ?

**उप मुख्यमंत्री ( गृह ) ( श्री विजय शर्मा ) :** प्रदेश के 06 जिलों में फायर स्टेशन की सुविधा जून, 2026 तक विकसित नहीं की जा सकी है। फायर स्टेशनों के आधुनिकीकरण एवं फायर वाहन खरीदी हेतु अप्रैल 2026 से जून 2026 तक कुल राशि रूपये-1,56,71,29,000/-(एक अरब छप्पन करोड़ इक्कहत्तर लाख उनतीस हजार रूपये मात्र।) का आबंटन गृह विभाग को प्राप्त हुआ। जी नहीं, फायर वाहनों की खरीदी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह प्रश्न है कि अभी रायपुर में कितने फायर स्टेशन सक्रिय हैं? रायपुर में और कितने फायर स्टेशन खोलने की योजना है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है। इन्होंने जो कहा है तो वर्तमान में हमको ध्यान है कि टिकरापारा में पुराना फायर स्टेशन है और जो पहले नगर निगम के माध्यम से चलता था और अभी उसको अग्निशमन विभाग, जिसको आपने वर्ष 2016 में प्रारंभ करवाया था। वर्ष 2018 में उसके कानून बनकर, फिर आप आगे बढ़े थे। उस विभाग के द्वारा संचालित है। ऐसे ही नया रायपुर में एक सब स्टेशन, एक फायर स्टेशन चालू है, एक उरला में अण्डर कंस्ट्रक्शन है, अभी ऐसे 3 फायर स्टेशन रायपुर में है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या रायपुर में नेशनल फायर एडवायजरी मापदण्डों के अनुरूप 03 फायर स्टेशन से काम चल जाएगा ? अब नेशनल फायर एडवायजरी का जो सुझाव है कि दो लाख की आबादी में एक फायर स्टेशन होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग

रायपुर की 17-18 लाख की जनसंख्या हो गई है तो 09 फायर ब्रिगेड नहीं तो कम से कम चारों दिशा 04 फायर ब्रिगेड खोलने के लिए कब आदेश देकर, उसका भूमि पूजन करवायेंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सीधे भूमि पूजन करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक यही कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में फायर की दिशा में वर्ष 2016 में बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अग्निशमन का विभाग ही अलग किया था। उसके बाद यह विभाग धीरे से आगे बढ़ा है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ अभी तक चूंकि वर्ष 2016 में इसका प्रावधान हुआ और वर्ष 2018 में नियम बनें, लेकिन विगत सरकार ने उसमें एक भी पोस्टिंग नहीं की, एक भी उसकी विकेंसी पर काम नहीं किया। इसलिए अभी इसके 295 पदों पर भर्ती की बात हो रही है। इसके साथ-साथ जो एक कंस्ट्रक्शन जो उरला में चल रहा है उसके बाद और अगले कंस्ट्रक्शन के लिए यह बजट के प्रावधान का विषय है, परन्तु आपकी चिंता बिल्कुल जायज है जो नेशनल फायर एडवायजरी है, अगर उसके आधार पर 2 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए तो उस आधार पर हमारे रायपुर में कम से कम 08 फायर स्टेशन होना चाहिए।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रायपुर में कितने फायर वाहन हैं ? आने वाले समय में आपका कितने और फायर वाहन खरीदने का प्रावधान है ? क्योंकि आपने उत्तर में यह लिखा है कि फायर वाहनों की खरीदी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो यह कब तक पूरी होगी ? माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैंने भूमिपूजन की बात इसलिए की क्योंकि मैं उप चुनाव में निर्वाचित हुआ हूं, मेरे पास समय कम है । आप फायर वाहन के बारे में भी जल्दी बता देंगे कि इसकी प्रक्रिया कब पूर्ण होगी ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में कुल मिलाकर जो गाड़ियाँ हैं, विभिन्न किस्म की गाड़ियाँ 22 हैं। रायपुर में 22 गाड़ियों के साथ यह काम प्रारंभ है। दूसरा यह है कि हमें अन्य और गाड़ियों को खरीदना है, जिसके लिए विषय है। तो यह अभी अप्रैल और मई महीने में राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन से राशि प्राप्त हुई है–अप्रैल और मई महीने में, यानी अभी जुलाई है, करीब डेढ़-दो महीना हुआ है । तो दो महीने में प्रोक्योरमेंट का काम पूरा नहीं हो सकता। इसमें प्रोक्योरमेंट कराना होगा, उसके बाद Modernization of Fire Services के लिए और दूसरे मदों की जो राशि प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम इसको और बढ़ाएंगे।"

श्री सुनील कुमार सोनी :- अध्यक्ष जी, यह मेरा बहुत गंभीर प्रश्न था। मैं अंतिम प्रश्न कह रहा हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा, आज बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ । यह जो आग लगती है, आज अगर रायपुर का स्वरूप देखेंगे तो 15-16 मंजिल तक के मकान बन रहे हैं। जो आप आधुनिक फायर ब्रिगेड या फायर टावर खरीदना चाहते हैं, उसकी जो ऊँचाई (हाइट) है, उसको ध्यान में रखकर खरीदी की

जानी चाहिए, क्योंकि रायपुर राजधानी है। दूसरा, एक जानकारी–राजेश मूणत जी बाजू में बैठे हैं और यह लोकार्पणकर्ता हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमने गुढ़ियारी में एक फायर स्टेशन (सब-स्टेशन) खोल चुके हैं, जो अब खंडहर हो रहा है। वहाँ दो वाहन खड़े करके राजेश मूणत जी से ही मैंने फीता कटवाया था, क्योंकि वे मंत्री थे। उसको चालू कर दीजिए । चारों दिशाओं में जहाँ-जहाँ ज़मीन उपलब्ध है, उसे देखकर जल्द व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि टिकरापारा में जो स्टेशन है, वहाँ से गाड़ी निकलती है तो बहुत समय लगता है। मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर राजधानी हॉस्पिटल के जलने के बाद वहाँ फायर स्टेशन पहुँचा था। तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आखिरी निवेदन करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं । यह रायपुर के लिए बहुत गंभीर प्रश्न है। अभी अगर एक महीने में देखेंगे तो 6 से अधिक आगजनी की घटनाएँ हुई हैं और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिए इसको गंभीरता से लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- गंभीरता से लीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग में मैनपावर की कमी के बावजूद भी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी रायपुर में ही अनेक जाँच इस विषय पर किए गए हैं । अनेक संस्थान ऐसे हैं, जिनमें कमियाँ पाई गई हैं, उसकी जानकारी भी ज़िला प्रशासन को दी गई है। इसके बावजूद आदरणीय सदस्य वरिष्ठ हैं, रायपुर के महापौर रहे हैं, उनको एक-एक चप्पे-चप्पे की जानकारी है। रायपुर में जो भी योजना बनानी होगी, मैं माननीय सदस्य के साथ मिलकर, बैठकर और समझकर उसे आगे बढ़ाऊँगा।

राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में भौगोलिक दृष्टि से टिकरापारा में एक कोने में यह फायर स्टेशन बना, जो पहले शहर के बीच में नलघर चौक पर था, उसको हम लोगों ने बनाया, उस समय उसको वहाँ शिफ्ट किया गया था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें–गुढ़ियारी, ठक्कर बापा वार्ड, शुक्रवारी, तिलक नगर, गोंगाँव, अम्लीडीह से लेकर फुंडहर तक–इस तरफ यातायात बहुत हैवी होने के नाते जो आपको कोटा का बताया गया तो कोटा में पहले से ही आपका फायर स्टेशन बना हुआ सब-स्टेशन है। उस समय यह प्रस्ताव था कि एक-दो गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी जाए। इसके लिए कोई नया सेटअप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए । पहले इसे नगर निगम संचालित कर रहा था, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि उस क्षेत्र के लिए दो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करनी है, ताकि अगर उस इलाके में कहीं आग लगे तो वह उस क्षेत्र से चला जाये, ताकि वे आसानी से समय से पहले पहुँच सकें। इतना आपसे आग्रह है कि स्थान दिखवाकर आप इसको क्लीयर कर लें और जल्दी शुरू कराएं।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उरला औद्योगिक क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी रायपुर का विषय चल रहा है, मैं आपको बुला रहा हूं।

श्री मोतीलाल साहू :- और माननीय मंत्री जी ने अभी उरला में निर्माणाधीन स्टेशन का ज़िक्र किया है। मेरी जानकारी के अनुसार उसे एक साल से अधिक समय हो गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, तो यह कब तक पूरा होगा?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, सबका जवाब एक साथ दे दीजिए ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, दोनों ही विषय महत्वपूर्ण हैं। माननीय राजेश मूणत जी और माननीय मोतीलाल साहू जी ने जो बातें कही हैं–निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए मैं मोतीलाल जी के साथ स्वयं उस स्थान पर जाऊँगा। नि:संदेह जल्द बनना चाहिए । यदि विलंब हो रहा है और उनके ध्यान में है तो हम मिलकर इसे ठीक करेंगे । दूसरा यह है कि राजेश मूणत जी का जो प्रस्ताव है, वह गुढ़ियारी वाला विषय है । अगर वहां पर जमीन की उपलब्धता है ..

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, विगत 13 साल से स्ट्रक्चर बना हुआ है। वहाँ पर नगर निगम में बनाया है। वहां खाली दो गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाए, मेरा आपसे इतना आग्रह है।

श्री विजय शर्मा :- : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां गाड़ियों को खड़ा करना है। उसके लिए क्याप्रॉपर नोटिफिकेशन होगा। मैं उसको एक बार उसको चेक करके आगे करा लूँगा।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये करवा दीजिए। श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

**<u>प्रदेश में महिलाओं, नाबालिग बच्चियों के साथ घटित दुष्कषर्म, हत्यान आदि घटनायें</u>**

[गृह]

**5. ( *क्र. 485 ) श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या उप मुख्यमंत्री ( गृह ) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 15 जून, 2026 तक प्रदेश में महिलाओं तथा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, मारपीट, हत्या एवं हत्या के प्रयास की कितनी सूचनायें थानों को प्राप्त हुई है एवं इनमें से कितनी सूचनाओं पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है ? महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों का पृथक-पृथक जिलेवार, वर्षवार विवरण देवें ? (ख) कण्डिका 'क' के कुल दर्ज कितने प्रकरणों में कितने आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है? कितने प्रकरणों में खात्मा, खारिजी की कार्यवाही की गई है? कितने प्रकरणों में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है एवं कितने प्रकरण पुलिस के पास 02 माह से अधिक समय से लंबित हैं ? जानकारी देवें ? (ग) दिनांक 15 जून, 2026 की स्थिति में प्रदेश में महिला थानों की संख्या कितनी है? नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बढ़ रहे यौन अपराधों की घटना की रोकथाम के लिए क्यान प्रयास किये जा रहे हैं? क्याल

POCSO Act, 2012 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) में दोषियों के लिए और कठोर प्रावधान बनाने की आवश्यकता है या इस दिशा में शासन स्तर पर कोई विचार चल रहा है?

**उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा)** : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' एवं प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' एवं प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) दिनांक 15 जून, 2026 की स्थिति में प्रदेश में स्वीकृत महिला थानों की संख्या 13 है। बच्चों के साथ घटित यौन अपराधों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में स्पेशल जुवेनाईल पुलिस युनिट (SJPU) तथा थानों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये है। साथ ही बच्चों के प्रकरणों को व्यवहृत करने हेतु 124 थानों को बालमित्र पुलिस थाना के रूप में विकसित किया गया है। बच्चों से संबंधित प्रकरणों की विवेचना संवेदनशीलता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता हेतु E-learning Module भी तैयार किया गया है। स्कुलों, कॉलेजों एवं हॉस्टल में ''गुड टच-बैड टच'' एवं आनलाईन शोषण से बचाव हेतु लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। महिला व बच्चों की सुरक्षा हेतु निर्मित अभिव्यक्ति ऐप व आपातकालीन सेवा डॉयल-112 का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त एवं निगरानी बढ़ाई गई है। आदतन अपराधियों पर निगाह रखी जा रही है। पुलिस के इन प्रयासों से अपराधों में कमी परिलक्षित हुई है। जी नहीं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय की कमी के कारण जल्दी प्रश्न कर रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं तथा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, मारपीट, हत्या के अपराध बढ़ रहे हैं, उस अपराध को रोकने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध की संख्या से संवेदनशीलता का कोई लेना-देना नहीं है। एक अपराध भी हो तो उतना ही महत्वपूर्ण है और ज्यादा अपराध भी हों तो भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं। परंतु मैं अभी यह बताना जरूरी समझता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम ढाई वर्ष में महिलाओं पर घटित अपराध के कुल 18,323 प्रकरण थे। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में इस ढाई वर्ष में प्रकरणों की संख्या 16,803 हैं। अपराध कम हुए हैं। लेकिन, अपराध कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं, यह कोई विषय नहीं है। मसला यह है कि ये अपराध नहीं होने चाहिए। इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं मैं उसको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 13 महिला थाने स्वीकृत हैं। प्रत्येक जिले में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास उत्तर है, उत्तर मौजूद है। मैं यह पूछना चाह रही हूँ कि अगर दुष्कर्म के मामलों की बात करूँ तो 2024 में 3,096 प्रकरण दर्ज हुए थे, 2025 में 3,070 प्रकरण दर्ज हुए थे और 2026 में साढ़े पाँच महीने में 1,550 प्रकरण दर्ज हुए हैं। ।

अध्यक्ष महोदय जी, अपराध लगातार बढ़ते क्रम में हैं। नाबालिग बच्चियों का अपहरण का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है। लगातार अपराध बढ़ रहा है। 2023 में 2,300 प्रकरण दर्ज हुए थे, 2024 में 2,961 प्रकरण दर्ज हुए थे तथा 2025 में 3,040 दर्ज हुए थे। अभी सिर्फ साढ़े पाँच महीने में 1,746 प्रकरण दर्ज हुए हैं। मतलब यह अपराध की संख्या 3,500 को पार करेगा। अध्यक्ष महोदय जी, यह बहुत गंभीर विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो शब्द ही बहुत आपत्तिजनक है। यह संख्या बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कार्य योजना के बारे में पूछ रही हूँ। उत्तर में यह भी आया है कि 33 जिलों में सिर्फ और सिर्फ 13 महिला थाने हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 2 मिनट का समय है। मैं माँग करती हूँ कि आप घोषणा कीजिए कि 33 जिलों में, कम से कम 33 जिलों में 33 महिला थाने होने चाहिए, आप घोषणा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप आग्रह करिए, बाकी मंत्री जी का काम है।

श्रीमती भावना बोहरा :- : अध्यक्ष महोदय जी, इसमें एक शब्द पर हमें आपत्ति है। माननीय महिला सदस्य कह रही हैं कि यह संख्या बढ़ेगी, का क्या मतलब था ? यह जरा स्पष्ट कर दें।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब वह चाहती हैं कि महिलाओं के अपराध बढ़ें। आपने संख्या बढ़ने की बात कही है। आप महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ाना चाहती हैं। अभी आपने कहा है। (व्यवधान) अभी आपने कहा कि संख्या बढ़ेगी। आप उसका जवाब दीजिये। (व्यवधान) अभी आपने कहा है कि अपराध की संख्या बढ़ेगी। आप लोग चाहते हो कि महिलाओं के ऊपर अपराध हो।

श्री रामकुमार यादव :- लगातार अपराध बढ़ ही रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- अभी आपने कैसे कहा कि अपराध की संख्या बढ़ेगी।(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कौन सा महीना है, जिसमें अपराध नहीं बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- कांग्रेस अपराधी रखेगी क्या कि संख्या बढ़ेगी ? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उस अपराध को रोकने की दिशा में बात हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये, अजय जी बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- कांग्रेस अपराधी रखेगा क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- निश्चित रूप से अपराध बढ़ेगा बोल रही हैं तो क्या उसको कांग्रेसी बढ़ायेंगे ?

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- आप लोग अपराध बढ़वायेंगे, यह सच्चाई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनहित का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना प्रश्न करिये, एक मिनट का समय है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात है। माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा मेरी तरफ देख लो, अच्छा लगेगा। मेरी सिर्फ एक मांग है। अभी सिर्फ 13 जिलों में महिला थाने हैं। अभी वित्त मंत्री जी नहीं हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे के पूरे 33 जिलों में महिला थाना खुलवा दीजिये तो यह सब हल्ला ची-पो, सब बंद हो जायेगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या महोदया और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, दोनों का कहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इस दिशा में स्वयं प्रयत्नशील हैं। विगत बजट में ही 4-5  थानों के लिए व्यवस्था की गई है। आने वाले बजट में इसको नि:संदेह आगे बढ़ायेंगे। फिर भी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अपहरण के मामले में 1.78 प्रतिशत की कमी आई है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त।

**(प्रश्नकाल समाप्त)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12.00 बजे

**पत्रों का पटल पर रखा जाना**

**(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) के प्रतिवेदन :-**

**(i) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं**

**(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20**

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं।

**(2) अधिसूचना क्रमांक RULE-8/65/2026-LABOUR, दिनांक 3 जून, 2026**

श्रम मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2018) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक RULE-8/65/2026-LABOUR, दिनांक 3 जून, 2026 पटल पर रखता हूं।

**(3) अधिसूचना क्रमांक ESTB/296/2026-LABOUR, दिनांक 9 मार्च, 2026**

श्रम मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 115 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक ESTB/296/2026-LABOUR, दिनांक 9 मार्च, 2026 पटल पर रखता हूं।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**(4) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26**

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 पटल पर रखता हूं।

समय :
12.03 बजे

**सदन को सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- आज दिनांक 15 जुलाई, 2026 को सायंकाल 6:00 बजे विधानसभा परिसर स्थित नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण तथा उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कृत करने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में विधानसभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित है। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृति विभाग के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, पश्चात में रात्रि भोज आयोजित है। समस्त विधायकगण एवं पत्रकारगण कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।

**सदन को सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं, सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

**पृच्छा**

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- सर, नेता जी।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, आपके बोलने के बाद हम लोग नहीं उठा पाएंगे। एक छोटा सा मामला है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोल लूं।

डॉ. चरणदास महंत :- नकटी का मामला तो नहीं है न?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, उससे बहुत छोटा है पर गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, फिर आप उठाइएगा।

डॉ. चरणदास महंत :- आप जैसा आदेश करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं सर, मेरा मतलब है फिर आगे आप लोगों के बाद बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप आज्ञा करें तो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, तखतपुर नगरपालिका क्षेत्र के शहर में भी और आसपास के गांवों में पिछले 4 वर्षों से नगर ग्राम निवेश अधिनियम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 16 के कारण डायवर्सन की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद है और इस प्रक्रिया के बंद होने से डायवर्सन नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों को होम लोन लेने में भी तकलीफ हो रही है । लोग अपने घर का निर्माण भी नहीं करा पा रहे हैं और नगरपालिका से अनुमति भी नहीं मिल रही है। सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिल रहा है। यह समस्या तखतपुर में भी है और यही समस्या कोटा में भी है। ये दोनों जगह के लोग आज मुझे बोले थे। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा दिया है, इसलिए आपके माध्यम से मैं विभाग के मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और डायवर्सन की प्रक्रिया शुरू की जाए। लोग अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई। धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, इसमें ध्यानाकर्षण लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, उस पर बाद में विचार करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि रायपुर जिला की राजधानी के नजदीक नकटी गाँव में 29 और 30 जून, 2026 को राज्य शासन द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गरीबों के आबाद घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। यह सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के खिलाफ है। हमें प्राकृतिक नियमों और संविधान द्वारा दी गई कई प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इन बातों को ध्यान में न रखकर इस सरकार और उसके मंत्रियों द्वारा एक अमानवीय घटना घटित हुई है, जो पहले कभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। आप जिसे एक लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, वहाँ बारिश के मौसम में गरीबों के सिर से छत हटा देना कहाँ तक उचित है? और फिर जब हम सब लोग भगवान राम के धर्म की धुरी की बात करते हैं तो उस धर्म की धुरी में करुणा और

दया का भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति ने, मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने न तो उनके प्रति दया दिखाई और न ही करुणा दिखाई। उनके बच्चों को...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक विषय है।

डॉ. चरणदास मंहत :- मेरी बात खत्म होने दीजिये। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं?

श्री कवासी लखमा :- नेता जी की बात खत्म होने दीजिये। क्या आपको बीच में बोलना जरूरी है?

श्री अजय चन्द्राकर :- या तो मैं व्यवस्था का प्रश्न लूँगा।

डॉ. चरणदास मंहत :- आप ले लीजिएगा न, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने दिया जाए।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को वक्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: ध्यानाकर्षित कराया जाता है। भाषण तो आपकी व्यवस्था के बाद होगा। अभी तो सिर्फ वे सूचना देंगे कि उन्होंने स्थगन दिया है। स्थगन स्वीकार होने के बाद ही चर्चा होगी, लेकिन आप लगातार भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के मुखिया बोल रहे हैं। आप हमारे मुखिया को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम बोलने के लिए मना कहाँ कर रहे हैं? हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छा यह बता दीजिए, नकटी का विपरीत शब्द छत्तीसगढ़ी में क्या होता है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप हमारे नेता को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह आपसे इतना है कि स्थगन में प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी व्यवस्था आने के बाद वे भाषण करेंगे और हम सुनेंगे। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है।

श्री बघेल लखेश्वर :- यह भाषण नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह बता सकते हैं कि उन्होंने स्थगन दिया है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन दिया है। आप लोगों ने अमानवीय कृत्य किया है और गरीबों के घर तोड़े हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यह बहस का विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बहस का विषय है। हम बाद में देखेंगे कि किसने क्या किया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- वे इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, वे व्यवस्था का पालन करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता जी को बोलने दिया जाये। हम सदन में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आपको क्यों तकलीफ हो रही है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी की व्यवस्था आ जाने दीजिये, उसके बाद आप भाषण करियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यवस्था आने के बाद भाषण होगा, आपने ध्यानाकर्षण करवा दिया है, उसके लिए नेता जी को धन्यवाद। अभी उसमें भाषण थोड़ी होगा। मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, जबकि मंत्रियों ने कुछ नहीं किया। क्या कोई व्यवस्था स्वीकृत हो गई है, जिसमें हम आरोप सुनेंगे?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव को पूरा पढ़ने दिया जाये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ। आप ध्यान संगीता जी की तरफ तरफ करते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि नकटी का विरोधी शब्द क्या होता है। नकटी का विरोधी शब्द है नकटा, जैसा कि आप व्यवहार कर रहे हैं। (हंसी) मैं यह कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह नियम दिया है कि जब तक उनके घर की व्यवस्था न हो जाए, तब तक उनके घर न उजाड़े जाएँ। भरी बरसात में आप लोग उनके घर उजाड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को आप सुन लीजिए। यदि हमारे माननीय प्रिय दुश्मन को तकलीफ हो रही है तो मैं उनके लिए छोड़ देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में एक-एक मिनट अपनी बात रखेंगे।

समय
12.00 बजे

**<u>पृच्छा</u>**

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई है, नकटी गांव में जो बुलडोजर चला है, इसकी आवश्यकता बरसात में क्यों करनी पड़ी है, चार महीने बाद भी यदि किया जाता तो कोई पहाड़ तो टूटने वाला नहीं था ? हमने तो सुना है कि सांसद जी ने फोन किया था कि 4 महीने यह कार्यवाही नहीं होगी और उसमें प्रधानमंत्री आवास वाले 13 लोग हैं, जिनको हमारी सरकार ने या आपकी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास दिया है, वहां उसको लगातार तोड़ा जा रहा है। सभापति महोदय, हम गाय की बात करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, वहां चार-चार गाय और बछिया खत्म हो जाना ।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें आ रही है, मैं इसलिये आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो स्थगन हमने दिया है, उस पर चर्चा कराई जाये ताकि सारी बातें आ जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कवासी लखमा । दादी बोलो ।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नकटी गांव का मामला छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के सामने आया है । कोई भी परिवार चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, हमारे माननीय सदस्य अभी सदन में कह रहे थे कि चार-पांच महीना इस कार्यवाही को बढ़ा देते तो क्या हो जाता ? छत्तीसगढ़ के नकटी गांव की इस कार्यवाही का पूरे देश में मैसेज गया है, यहा डबल इंजिन की सरकार है, जहां पर प्रधानमंत्री का आवास बना हुआ है, उसे तोड़ दिये जाने से हाहाकार मचा हुआ है और बाल-बच्चे रात भर सो नहीं रहे थे, मंत्रिमंडल आपका कैसे सो रहा था ? हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ की जनता है, बस्तर से लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी । दिन में भी नहीं, रात को उनके घरों को उजाड़ा गया है, दिन में सामान को इधर-उधर भी कर लेते । सोते हुये लोगों के घरों को रात में जाकर तोड़ना यह अच्छी बात नहीं है । हमने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है, आप इस पर स्वीकृति प्रदान करें, ताकि हम उसमें विस्तार से अपनी बात रख सकें । हम दोनों पक्ष अपनी बातें रखेंगे, अत: इस पर अनुमति दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- अध्यक्ष महोदय, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से प्रशासनिक कार्यवाही की गई है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नकटी गांव में सुनियोजित तरीके से लोगों पर अत्याचार किया गया है । नकटी गांव के लोगों को कोई मौका नहीं दिया गया और एकाएक पुलिसिया कार्यवाही की गई है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो वातावरण निर्मित हुआ था, उससे किसी की जान-माल का खतरा हो सकता था । पशुधन हमारे बीच से गये, किसी इंसान को भी चोट लग सकती थी, कोई घटना घटित हो सकती थी । अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा यह कहना है कि इस पूरे प्रकरण में विस्तृत चर्चा अति आवश्यक है । आज यह जन-जन के पास पहुंचने वाला विषय है और हर एक व्यक्ति डरा हुआ है कि बरसात के समय क्या ऐसे बुलडोजर से सरकार चलाई जायेगी तो इंसानियत और संविधान कहां जायेगा?

अध्यक्ष महोदय :- श्री रामकुमार यादव ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- अध्यक्ष महोदय जी, प्रदेश म पहली बार अइसने देखे हन कि आज गरीब के लिये, कमजोर के लिये, जो भगवान ला सुमिरथे कि मोर कोनो नइ ए भगवान, तैं मोर हावस । अइसन कहिने वाला के घर में आज बुलडोजर लेके गे हे । बड़े-बड़े कंपनी मन कब्जा करे हे, वोमन के शिकायत कतेक आय हे, वोला हटाय बर एखर मन के हाथ-पैर फूलथे अऊ गरीब आदमी बर ताकत दिखाय हे, एखर बर हमर नेता जी हर स्थगन दे हे ? एमा चर्चा होना चाही । सदन में परदेश के

गरीब के चर्चा नइ होही त काखर चर्चा होही ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एला जरूर चर्चा में लाना चाही ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद । आप बोल लीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- अध्यक्ष महोदय, नकटी गांव के जेन प्रकरण हे, आज पूरा प्रदेश में उदाहरण के रूप में सामने आये हे । उजाड़े के पहिली तो व्यवस्थापन के बात होना रहिसे, लेकिन आज सरकार मदहोश होके न अपन जनप्रतिनिधि विधायक के सुनय, न सांसद के सुनय । छत्तीसगढ़ के सांसद एक तरफ आश्वस्त करथे कि कुछ नइ होय । वोखर बाद रातों-रात पूरा पुलिस के पहरा लगाके वो गांव के जतका घर बने हे, वोला बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज कर देना, वो गांव में जहां प्रधानमंत्री के आवास बने हे, बिजली के पक्का कनेक्शन हे, नल-जल योजना के आपूर्ति हे, वोखर बाद भी अइसे क्रियाकलाप करे गे हे, ए बहुत ही निंदनीय कार्य हे । हमर नेता जी जेन स्थगन के सूचना दे हे, वोला ग्राह्य करके एमा चर्चा कराय जाये, ए मोर आपसे निवेदन हे ।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, एक ज्वलंत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, खासकर एक विधायक परिवार बदनाम हुआ है, विधायक लोगों का आवास बनाने के लिए घर तोड़ा जा रहा है। यह बात पूरे प्रदेश में गई है। वर्ष 2013-18 में भी विधायक लोगों के लिए आवास आवंटन हुआ है, लेकिन अभी तक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ना वहां पर कुछ आवास बन रहे हैं, लेकिन इतनी क्या जल्दी थी कि बरसात के समय उसको उजाड़ा गया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको ग्राह्य करके चर्चा कराई जाए।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नकटी गांव की घटना है।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट, एक मिनट। माननीय लखेश्वर बघेल जी यह साबित कर सकते हैं कि विधायकों के आवास के लिए तोड़ा गया है? एकाध दस्तावेज हो तो यहां पर रखिए। यह विधायकों के लिए तोड़ा गया है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में राजस्व मंत्री और ओ.पी.चौधरी जी ने नकटी का नाम लिया है, इसी सदन के रिकॉर्ड निकाले जाएं। पूरे प्रदेश में वीडियो चल रही है। (व्यवधान)

श्री ओंकार साहू :- इसी सदन में राजस्व मंत्री जी ने कहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप दस्तावेज तो रखिए। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वित्त मंत्री जी ने कहा है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सदन का रिकार्ड निकलवाईए न। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय धर्मजीत भईया आपके बगल में बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- विधायकों के लिए नहीं तोड़ा गया है तो किसके लिए तोड़ा गया है, आप बताइए ना। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- आखिर इसको क्यों तोड़ा गया ? आप बताईए न। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय धर्मजीत भैया आपके बगल में बैठे हैं, उसी के प्रश्न का जवाब था। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अजय जी, इसी विधान सभा में माननीय धर्मजीत भैया का प्रश्न था और टंकराम वर्मा जी का उत्तर था।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री उमेश जी, विधायक कॉलोनी के लिए तोड़े हैं, उस आवेदन को टेबल कर दीजिए, मेरी चुनौती है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप एक मिनट सुनिए न। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- साहब, डायरेक्ट दिख रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- फिर आप ही बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह सदन के रिकार्ड में है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- टंकराम वर्मा जी का उत्तर है। धर्मजीत भैया का प्रश्न है, ये रिकॉर्ड है। आप निकलवा लीजिए किस सत्र का है। उसमें उन्होंने कहा है।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अभी तो आप बात कर रहे हैं। आप टेबल कीजिए, लखेश्वर बघेल जी को बोलिए कि एक आवेदन टेबल करें जिसमें विधायक कॉलोनी के लिए तोड़ा गया है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैं टेबल करूंगा, मैं टेबल करूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यवस्था होगी तो मैं टेबल करने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा प्रसारित किए हैं, वह सबूत नहीं है? इसके अतिरिक्त इसी सदन में चर्चा हुई है, विधायक लोगों को वहां दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- टेबल कीजिए ना। मान लिया जाएगा, टेबल कीजिए।(व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर उसको क्यों तोड़ा गया है, बताईए न। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यवस्था है, अगर वह व्यवस्था प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं टेबल करने को तैयार हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- टेबल कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- तैयार क्या हो? आप तो स्थगन लाए हो, पूरा कागज है, एक टेबल पर रखिए न। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- टेबल पर रखिए।

श्री उमेश पटेल :- यह विधान का रिकार्ड है, आपके बगल में धर्मजीत भैया बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- हम लाएंगे आप इंतजार कीजिए। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सवाल ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- यह सदन के रिकॉर्ड में है। आप बगल में पूछ लीजिए। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप अभी टेबल करिए। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अगर अध्यक्ष जी का आदेश आ गया तो मैं टेबल करूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपका आदेश है तो मैं टेबल करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अब बैठिए अभी।

समय :
12.18 बजे

**स्थगन प्रस्ताव की ग्राहता पर चर्चा**

**रायपुर के नकटी के रहवासियों के आवास तोड़े जाने के संबध में**

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास जिला रायपुर के नकटी के रहवासियों के आवास तोड़े जाने के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। चूंकि डॉ. चरणदास महंत सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अतः मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं।

जिला रायपुर के ग्राम नकटी में दिनांक 29 जून, 2026 तथा 30 जून 2026 को राज्य शासन की ओर से गरीबों के अनेक आबाद घरों को बुलडोजर से जिस तरह से जमींदोज किया गया, वह अत्यधिक अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इससे मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा इस तरह की कार्रवाई करना अत्यंत निंदनीय है। नकटी ग्राम के अनेक घरों को जिस तरह उजाड़ा गया है, वह छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात इस तरह की पहली घटना है। समस्त घरेलू सामान, पढ़ने वाले बच्चों की कॉपी-किताबें, दाल, चावल, नमक, तेल, मिर्च, कपड़े, बिस्तर आदि सभी को बुलडोजर से रौंद दिया गया। उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराया जा चुका है। मानसून के सीजन में ऐसा कृत्य करना संवेदनहीन सरकार के लिए ही संभव है। जिन घरों को तोड़ा गया, उनमें से अनेक घर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत निर्मित थे। सभी घरों में बिजली का वैध कनेक्शन, पीने का पानी, शासकीय आपूर्ति की व्यवस्था, आवागमन के लिए सड़क की सुविधा राज्य की निधि से निर्मित थी। क्षेत्रीय लोकसभा के सदस्य द्वारा ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया था कि उनके घर वर्षा ऋतु में नहीं तोड़े जाएंगे। जब भी ऐसा करना आवश्यक होगा, उनका पुनर्वास पहले किया जाएगा। इस घटना से पूरे देश में राज्य की छवि धूमिल हुई है। जिनके घरों को जमींदोज किया गया है उनको रहने के लिये जो वैकल्पिक घर दिये जा रहे हैं वे बहुत छोटे हैं तथा वहां रहने योग्य न बिजली

है, न पानी है, न अन्य कोई सुविधा है। नकटी ग्राम की घटना के माध्यम से इस सरकार ने सैकड़ों गरीबों को सुखपूर्वक जीने के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दु:खपूर्वक जीने के लिए विवश किया है। अत: इस महत्वपूर्ण विषय में सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की जाये। शासन का क्या वक्तव्य है?

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 जून, 2026 को ग्राम नकटी, जिला रायपुर में अतिक्रमित भूमि पर की गई कार्रवाई पूर्णतः वैधानिक और प्रशासकीय दायित्वों के तहत की गई है। शिकायतकर्ता रजनीश कुमार चन्द्राकर, निवासी भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा दिनांक 02.07.2023 को ग्राम नकटी स्थित भूमि खसरा नंबर 460 पर अतिक्रमण संबंधी शिकायत कलेक्टर रायपुर को प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम नकटी में अवैध प्लाटिंग कर ग्रामवासियों को शासकीय भूमि पर कब्जा कराया जा रहा है इससे निस्तार और आसपास के भूमि स्वामियों के आवागमन का मार्ग भी बाधित हो गया है। उक्त शिकायत जांच एवं कार्यवाही हेतु अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर को प्राप्त होने पर न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 202312113700003/अ-68/वर्ष 2023-24 दर्ज कर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया और सभी 77 अतिक्रामकों को नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई करते हुये छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 अंतर्गत बेदखली आदेश दिनांक 11.04.2025 को पारित कर दिनांक 17.04.2025 एवं 30.04.2025 को कब्जा हटाने हेतु सूचना जारी की गयी। अतिक्रामकों द्वारा दिनांक 17.07.2025 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने का आदेश दिनांक 17.12.2025 को पारित किया गया। अतिक्रामकों को पुनः बेदखली आदेश की सूचना दिनांक 25.06.2026 को तामिल कर दिनांक 29.06.2026 को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की विधिवत कार्यवाही की गई।

बेदखली की कार्यवाही न्यायालयीन प्रकिया एवं आदेश तथा सुसंगत विधिक प्रावधान अनुरूप की गई है। ग्राम नकटी के बेदखली की कार्यवाही से प्रभावित 77 अतिक्रामकों में से 66 अतिक्रामकों को छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा सेक्टर 30 नवा रायपुर अटल नगर में ई.डब्लू.एस. कालोनी में पुनर्वासित किया गया। शेष अतिक्रामक विस्थापन हेतु ई.डब्लू.एस. कालोनी में उपस्थित नहीं हुये हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के पहले सभी कब्जाधारियों को अपने निवास का सामान हटाने का पर्याप्त समय दिया गया, सामान परिवहन कर सेक्टर 30 नवा रायपुर ले जाने हेतु वाहन तथा मजदूरों की सुविधा दी गई, प्रभावितों को विस्थापन की अवधि में भोजन भी उपलब्ध कराया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में प्रभावितों के किसी भी घरेलू सामानों को कोई क्षति नहीं पहुंचायी गयी। संपूर्ण कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासन द्वारा प्रभावितों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई एवं मौके पर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। यह कहना सही नहीं है कि तोड़फोड़ के

दौरान किसी भी तरह वर्षा से क्षेत्र प्रभावित था। प्रशासन की ओर से सेक्टर 30, नवा रायपुर अटल नगर में सामान सहित परिवारों को पुनर्वासित किया गया है। उक्त आवासों में पानी, बिजली का कनेक्शन, विद्युत उपकरण यथा पंखे, ट्यूब लाईट इत्यादि लगाकर दिया गया है। उक्त आवासीय परिसर संपूर्ण सुविधाओं से युक्त है तथा वहां पूर्व से 300-400 परिवार निवासरत हैं। संपूर्ण कार्रवाई में मानवीय पक्ष का पूरा ध्यान रखा गया है। अतः की गई कार्रवाई पूर्णतः वैधानिक है। हमारी सरकार न केवल अतिक्रमण हटाती है बल्कि प्रभावितों का समुचित व्यवस्थापन भी करती है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में ग्राम सेरीखेड़ी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 682, रकबा 6.070. हेक्टेयर पर से दिनांक 07.11.2022 को 148 अतिक्रामकों को हटाया गया था, जिन्हें किसी भी तरह की कोई पुनर्वास सुविधा नहीं दी गई थी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय योजना हेतु उक्त भूमि के आबंटन की मांग दिनांक 27.02.2024 को की गई। उक्त प्रकरण में आबंटन की कार्यवाही विचाराधीन है। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल नवा रायपुर अटल नगर को शीघ्र भूमि आबंटित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने दिनांक 04.10.2024 को कलेक्टर रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया था।

अत: स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य ।

अध्यक्ष महोदय :- अग्राह्य किया जाये, आप ऐसा आग्रह करिये ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद ही निर्णय ले रहे हैं कि अग्राह्य करिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहिये कि आग्रह करिये।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, स्थगन को अग्राह्य करने का निवेदन है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा आप बोल लीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहूंगा तो आपके चंद्राकर जी को मिर्ची लगती है।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों की हमेशा मिलीभगत रहती है। सबसे मुश्किल काम तो यह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी दो दिन से लगातार मेरे लिए असंसदीय भाषा का इस्तमाल अपने व्यक्तित्व के विपरित जाकर कर रहे हैं। नकटा के बाद यह दूसरी बार है, जब इन्होंने कहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से मिर्ची लगना असंसदीय भाषा नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो कई बार आग्रह हुआ है कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से संसदीय शब्दावली बना लीजिये। लेकिन अभी वह बनी नहीं है इसलिए अभी आप नकटा वगैरह कुछ भी बोलेंगे तो उसे असंसदीय नहीं माना जायेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- उसे आप और हम दोनों बैठकर बनायेंगे। आप जो चिल्ला, चिल्लाकर कह रहे थे कि कोई ऐसी चिट्ठी है तो यहां रख दीजिये तो माननीय अजय जी मैं इस पत्र को रख रहा हूं, जिसको माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था। अंकित आनंद जी ने 10, 2024 को कलेक्टर को एक पत्र लिखा है कि हमें विधायकों के आवास के लिए यह भूमि की जरूरत है। मैं वह पत्र यहां माननीय सचिव जी के पास रख रहा हूं। (शेम-शेम की आवाज)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज पढ़ना चाहता हूं। अभी आपने अंकित आनंद और 2024 का नाम लिया। इसमें मेरी बात सुन लीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पटल में रखने की अनुमति मांग रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने जो विषय पढ़ा, मैं उसमें आसंदी को दूसरी जानकारी देना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए।

अध्यक्ष महोदय :- पटल में रखा है क्या ?

डॉ. चरणदास महंत :- उसको रखने तो दीजिये, कैसे बोलेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पटल में रखने की तो प्रक्रिया है, आप कभी-भी रख सकते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जो बातें बोलनी थी, वह हमारे भांचा जी बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय महंत जी, आपका विषय हो गया, आप बैठ जाइये। चंद्राकर जी, आप भी बैठ जाइये।

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह छोटे-छोटे बच्चों का मामला है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील सरकार का काम नहीं है। बरसात के दिनों में क्यों तोड़ा गया ? वह 4 महीने बाद भी हो सकता था। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मोर आवास, मोर मकान, यह नारा देकर आप उधर गये थे। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप लोगों को पहले पहुंच जाना चाहिए था ना, आप लोग टूटने के बाद क्यों पहुंचे ? (व्यवधान) आप लोग नकटी गांव पर राजनीति करना बंद करिये। (व्यवधान)



अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये)

श्री रिकेश सेन :- आप लोग टूटने के बाद क्यों गये ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम उनके हित में बात कर रहे हैं। गरीबों के हित में बात होनी चाहिए।

श्री रिकेश सेन :- आप लोग गरीबों की चिंता करना कब से शुरू कर दिये ? जगह पर्याप्त है, दूसरी जगह बनाया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश को विपक्ष के द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गलत नहीं, सही जानकारी है। (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- कोई गलत जानकारी नहीं है। आप लोग चर्चा कराइये। (व्यवधान) यह गरीबों का सवाल है।

(पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर नारे लगाये गये)

श्री मोतीलाल साहू :- यह लोग कल तक पूरा जमीन घोटाला, भ्रष्टाचार किये हैं। कल तक छत्तीसगढ़ को लूटे हैं। यह लोग ऐसी व्यवस्था दिये थे। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारे लगाये गये)

श्री धर्मजीत सिंह :- जैसे मान लीजिए हम विधायक को देने के लिये ही लिये हैं, आप लोग लोगो या नहीं लोगो यह बताईये?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारे लगाये गये)

श्री रिकेश सेन :- पहले सी.एम. साहब के पास सब विधायक इकट्ठा होकर क्यों जाते थे कि जमीन चाहिए। सब विधायक एक साथ इकट्ठा होकर क्यों जाते थे? आप लोग हम लोगों के साथ क्यों गये थे कि यही जमीन चाहिए।

(पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- उस समय में भूपेश बघेल जी करवाये थे। भूपेश बघेल जी, उस समय आपके मुख्यमंत्री थे।

समय
12.32 बजे **<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये हैं।

1. डॉ. चरणदास मंहत
2. श्री कवासी लखमा
3. श्रीमती अनिला भेड़िया
4. श्री उमेश पटेल
5. श्री लखेश्वर बघेल
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्री भोलाराम साहू
8. श्री लालजीत सिंह राठिया
9. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे
10. श्री दिलीप लहरिया
11. श्री रामकुमार यादव
12. श्री द्वारिकाधीश यादव
13. श्रीमती संगीता सिन्हा
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्री देवेन्द्र यादव
16. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा
17. श्री इन्द्रशाह मंडावी
18. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
19. श्री विक्रम मंडावी
20. श्रीमती विद्यावती सिदार
21. श्री फूल सिंह राठिया
22. श्री अटल श्रीवास्तव
23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
24. श्री ब्यास कश्यप

26. श्री बालेश्वर साहू
25. श्रीमती शेषराज हरवंश
26. श्रीमती चातुरी नंद
27. श्रीमती कविता प्राण लहरे
28. श्री संदीप साहू
29. श्री इन्द्र साव
30. श्री जनक ध्रुव
31. श्री ओंकार साहू
32. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन के बाहर जायें। मैं निलंबित की अवधि को पश्चात निर्धारित करूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर गये)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे सरंक्षण चाहता हूं। अभी नकटी के विषय में विपक्ष ने स्थगन की सूचना थी, आपने उसमें व्यवस्था दी। लेकिन मैं एक वस्तुस्थिति आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के सामने लाना चाहता हूं। सत्तारूढ़ दल को या विष्णु देव की सरकार को या मंत्रीगण को या माननीय विधायक को जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश हुई। जो पहला और मुख्य आवेदन लगा, मैं आपके सामने 4 लाइन संक्षिप्त में पढ़ना चाहता हूं ताकि पूरा प्रदेश इसमें वस्तुस्थिति को जान सके। गृह निर्माण मंडल संभाग 4 के पत्र क्रमांक 1747/रायपुर/16.10.2020 के अनुसार ग्राम नकटी तहसील जिला रायपुर के खसरा नंबर 460 रकबा 15.479 हेक्टेयर भूमि पर नवा रायपुर एवं धरमपुरा क्षेत्र के मध्य हितग्रहियों की मांग को देखते हुए मंडल की सामान्य आवासीय परियोजना हेतु भूमि आवंटन हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में यह भी वर्णित है कि चयनित भूमि पर किसी भी प्रकार के पक्के मकान मंदिर, मस्जिद अथवा कब्रिस्तान स्थित नहीं है। इसमें मुख्य रूप से जो मैं आग्रह करना चाहता था कि ये 16.10.2020 को भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में ये घटनाक्रम शुरू हुआ। और ये कब्जा जो करवाया है, इस आवेदन के बाद इन्हीं लोगों ने कब्ज करवाया है। और मूल आवेदन के समय वणित है कि इसमें किसी तरह के पक्के मकान, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान नहीं है। इसमें जान-बूझकर कांग्रेस के द्वारा गलत राजनीति की जा रही है। मैं इस मूल आवेदन को जिमसें भ्रम फैलाया जा रहा था, रिकार्ड में लाना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बात रिकार्ड में आ गई।

समय
12.35 बजे

**निलंबन समाप्ति की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये थे, मैं उनकी निलंबन समाप्त करता हूं।

समय :
12.35 बजे

**ध्यानाकर्षण सूचना**

**(1) इंद्रावती टायगर रिजर्व में बाघों का शिकार किया जाना ।**

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है - बस्तर में लाल आतंक की समाप्ति के बाद तस्कर सक्रिय हो गए हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने यह स्वीकार तो कर लिया कि लाल आतंक समाप्त हो गया करके । (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 5 माह पूर्व 3 बाघ तथा एक सप्ताह के पूर्व शिकार किए गए 2 बाघों की खाल के साथ पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार कर 2 बाघों की खाल जब्त की गई है । खाल की लंबाई के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि 5 माह पूर्व शिकार किए गए बाघ की उम्र ढ़ाई साल तथा हाल के ही दिनों में शिकार किये गए बाघ की उम्र डेढ़ साल के आसपास थी । गिरफ्तार तस्कर महाराष्ट्र पुलिस के आई.बी. विभाग के हवलदार तथा सिपाही थे । उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती पोस्ट में थी, परंतु वन विभाग द्वारा उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है । छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु मंत्री परिषद की बैठक में दिनांक 12.06.2025 में लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ टाईगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन किया गया है । वाइल्ड लाईफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने भी वन मुख्यालय छत्तीसगढ़ को दिनांक 13.05.2026 को यह पत्र लिखकर जिन क्षेत्रों में बाघ तथा तेंदुआ का मूवमेंट है, उन संवेदनशील ईलाकों में गश्त एवं निगरानी बढ़ाने तथा सतर्कता के निर्देश के साथ चेतावनी जारी कर दी थी कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वनजीवों बाघ, तेंदुआ के शिकार कर उनकी खाल एवं अंगों की तस्करी होने की शिकायतें मिल रही हैं, परंतु विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सूचना के बाद भी निष्क्रिय रहे । प्रदेश में बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए राज्य का बजट है एवं अन्य मदों में खर्च किए जाते हैं उसके बाद भी इस सरकार के अल्पकाल कार्यकाल में 7-8 बाघों के शिकार हो जाने एवं उनके खाल तथा अंगों की तस्करी नहीं रोक पाने एवं विभाग की निष्क्रियता के

कारण दुर्लभ प्राणियों के हो रहे शिकार एवं तस्करी से प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों एवं आम जनता में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

समय :

12.38 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि बस्तर में लाल आतंक की समाप्ति के बाद तस्कर सक्रिय हो गए हैं । यह कहना भी सही नहीं है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 5 माह पूर्व 3 बाघों के शिकार की घटना हुई है । वास्तविकता यह है कि एक प्रकरण दंतेवाड़ा वनमंडल में दिनांक 17.3.2026 को दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी से एक नग बाघ की खाल जप्त की गई थी । आरोपी के बयान अनुसार बाघ इंद्रावती टाइगर रिजर्व के भीतर शिकार की गयी थी । इस प्रकरण में 14 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

दिनांक 29.6.2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) से बाघ की खाल लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं । तत्काल एक संयुक्त टीम गठित की गई । एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रात 11 बजकर 27 मिनट पर घेराबंदी कर कांकेर जिले में बांदे पखांजूर मार्ग पर दो संदिग्धों (1) बियेश्वर गेड़ाम, ग्राम अहेरी, जिला गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) एवं (2) बाबूराव मड़ावी, ग्राम गड़अहेरी, जिला गढ़चिरौली(महाराष्ट्र) को रोका गया तथा तलाशी ली गई, जिनके पास से बाघ की 02 खालें, 13 मूंछे एवं मोटर साइकिल क्रमांक MH33AJ 3872 जप्त की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने आप को महाराष्ट्र पुलिस विभाग से संबद्ध होना बताया। बियेश्वर गेड़ाम महाराष्ट्र पुलिस के इंटेलिजेंस सेल (इंटसेल), विशेष शाखा गढ़चिरौली में पुलिस सिपाही है तथा बाबूराव मड़ावी गढ़चिरौली पुलिस अंतर्गत गोपनीय मुखबिर है। दोनों आरोपियों को दिनांक 30 जून 2026 को माननीय न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश कर जेल दाखिल कराया गया है। घटना की सूचना महाराष्ट्र पुलिस को भी दी गई। पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली के द्वारा पुलिस सिपाही बियेश्वर गेड़ाम को निलंबित कर दिया गया है तथा गोपनीय मुखबिर बाबूराव मड़ावी को कार्य से पृथक कर दिया गया है। बाघ की उम्र के संबंध में डी.एन.ए. टेस्टिंग रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही उम्र के संबंध में सटीक जानकारी मिल पायेगी।

वन विभाग की टीम केवल प्राथमिक जब्ती पर नहीं रूकी। पकड़े गए तस्करों से कड़ाई से पूछताछ के आधार पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर इन्द्रावती नदी के किनारे स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के नेतीवाड़ा गांव में एक व्यापक और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश, घने जंगलों और अत्यंत दुर्गम रास्तों की चुनौतियों का सामना करते हुए वन विभाग के अमले ने

नेतीवाड़ा गांव में प्रत्येक संदिग्ध घर की तलाशी ली। इस तलाशी अभियान के दौरान आरोपियों के घरों से शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे, चाकू, 12 नाखून और 4 कैनाइन दांत बरामद किए गए। इसी अभियान की निरंतरता में, इन्द्रावती नदी के किनारे छुपाकर रखी गई एक तीसरी बाघ की खाल भी जप्त कर ली गई। वन्यजीवों के इन अवशेषों के सटीक अनुवांशिक व भौगोलिक उद्‌गम की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए सैंपल्स तैयार कर भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही बाघों की वास्तविक आयु बताई जा सकेगी। प्रकरण में आगे कार्यवाही करते हुए 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 06 जुलाई, 2026 को माननीय न्यायालय, बीजापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बीजापुर जेल में निरूद्ध किया गया है।

इस पूरे प्रकरण में मैदानी स्तर पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता और पदीय दायित्वों के निर्वहन में अक्षमता पाए जाने पर विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए लोकसेवकों श्री कमल सिंह कश्यप, परिक्षेत्र अधिकारी पासेवाड़ा रेंज, श्री नरहरी सिंह बघेल, उपवनक्षेत्रपाल, पासेवाड़ा सर्किल तथा श्री विश्वनाथ मांझी, वनरक्षक पेनगुण्डा को निलंबित कर दिया गया है।

यह कहना सही है कि प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ टाईगर फाण्डेशन सोसायटी का गठन किया गया है। वाईल्ड लाइफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरों के द्वारा जारी निर्देशों का विभाग के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है। यह सही है कि वाईल्ड लाइफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा समस्त राज्यों के वन विभाग, पुलिस विभाग, केन्द्रीय सुरक्षा बलों एवं अन्य एजेंसियों को प्रेषित पत्र दिनांक 13/05/2026 में मैदानी अिधकारियों को सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु यह सही नहीं है कि वाईल्ड लाइफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इन्द्रावती टायगर रिजर्व में वन्यजीवों बाघ, तेन्दुआ के शिकार एवं तस्करी के संबंध में सूचना दी गई थी। विभाग के समस्त कर्मचारी किसी भी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हैं। बाघों सहित अन्य वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विभाग के द्वारा राज्य बजट से एवं अन्य मदों से राशि नियमानुसार सुरक्षा एवं सतत् निगरानी तथा वन्यजीव आवास संवर्धन जैसे कार्यों में ही किया जाता है।

यह कहना सही नहीं है कि इस सरकार के अल्प कार्यकाल में सात-आठ बाघों के शिकार हो जाने एवं उनके खाल तथा अंगों की तस्करी नहीं रोक पाने एवं विभाग की निष्क्रियता के कारण दुर्लभ प्राणियों के शिकार/तस्करी हो रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में आने के बाद से बाघ के अवैध शिकार/तस्करी के वर्ष 2024 में 1 प्रकरण, वर्ष 2025 में 1 प्रकरण तथा वर्ष 2026 में 3 प्रकरण (4 खाल) इस प्रकार 05 प्रकरण में 6 बाघों के खाल जप्त किये गये हैं। इन प्रकरणों में 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की गयी है। विभाग द्वारा बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जमीनी स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जंगलों में शिकारियों द्वारा बिछाए

जाने वाले फंदों को नष्ट करने के लिए वन अमले द्वारा निरंतर रूप से 'एंटी-स्नेयर वॉक' चलाया जा रहा है। विभाग इन सभी मामलों की अत्यंत गंभीरता और सूक्ष्मता से जांच कर रहा है। अपराधियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई इस त्वरित और कठोरतम कार्यवाही के कारण प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों तथा आम जनता में सरकार के प्रति कोई रोष या आक्रोश व्याप्त नहीं है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापित जी, आपका धन्यवाद, आप आकर बैठ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ समय आगे कुछ सवाल करने की इजाजत आप देंगे। मेरा एक प्रश्न सीधा-सीधा यह है कि क्या गिरफ्तार किए गए तस्कर महाराष्ट्र पुलिस के आईबी (IB) विभाग के जवान हैं ? तो वन विभाग द्वारा अब तक उनके नामों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया ? जिस प्रकार से यह घटनाएं हो रही हैं तो ऐसा लगता है कि शासन किसी बड़े राजनीतिक सिंडिकेट को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। जब 13 मई को इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के शिकार और तस्करी की चेतावनी आपको मिल चुकी थी तो आपने इस संबंध में गश्त और निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई? सरकार के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार थे, पहले इतना बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट किया कि इसमें किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। सरकार के माध्यम से किसी के नाम को भी छुपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। विभाग लगातार अपनी सक्रियता के माध्यम से, इसके संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई, उसको स्वमेव वहां पर जाकर कार्य कर रही है । यदि हम चाहते तो विभाग निष्क्रिय रहकर तो केवल एक प्रकरण मानकर बैठ जाता और उसकी खोजबीन नहीं करता, लेकिन वहां पर जंगलों में जाकर, बारिश के बावजूद उस गाँव में घर-घर जाकर तलाशी नहीं लेता। मैंने अपने उत्तर में बताया कि तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से चाकू, अन्य हथियार और एक खाल भी बरामद हुई है तो यह विभाग की सक्रियता के कारण से हुआ है । बाकी जो आपने कहा कि वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से अलर्ट किया गया तो वह एक General Alert था, जो पूरे देश के सभी राज्यों के लिए एलर्ट जारी किया जाता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया था। विभाग ने अपने प्रयासों से सभी आरोपियों को पकड़ा है और उनके नाम भी उजागर किए हैं । यदि आप कहेंगे तो मेरे पास और भी नाम हैं, उनके भी नाम मैं आपको बता देता हूं ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आपके संरक्षण में यह मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि टाइगर रिजर्व में जब चोरी हुई, उस समय आपका कैमरा ट्रैप सिस्टम (Camera Trap System) दो घंटे के लिए खराब हो गया या खराब किया गया तो क्या आपको इसकी जानकारी है कि जब चोरी होती है, जब बाघों पर हमला या जो भी हो रहा हो, उस समय आपका जो सिस्टम है, कैमरा में नहीं है, वह सिस्टम बंद हो गया है। क्या आपने इसकी कोई फॉरेंसिक

जांच कराई है कि कैमरा उसी वक्त कैसे बंद हो गया ? क्या आप इसके बारे में यह नहीं समझते कि यह कोई सोची-समझी राजनीति है या कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है ? क्या आपको पता है कि एक बाघ की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपये होती है ? आपके 30 महीने के कार्यकाल में आपने अपने उत्तर में खुद स्वीकार किया है कि 6 बाघ मर चुके हैं और ये सब महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्रों में हो रहे हैं । यह इतना गंभीर मामला है कि जब चोरी होती है, जब आदमी कुछ करने आता है, उस समय आपका कैमरा बंद हो जाता है । कैमरा बंद होने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हो सकता है ? आप सोचिए, विशेषकर यह मेरा प्रश्न नहीं है, यह तो मैं देश हित में प्रश्न कर रहा हूं । हमारे यहां के बाघों की चोरी होती है उस समय कैमरा बंद हो जाता है। आप इसकी फारेंसिक जांच वगैरह करायेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी इस विषय पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि वहां पर कैमरा बंद हो गया और इस तरीके से डेटा को छुपाया जा रहा है। वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, आप लोग उस चर्चा में भाग नहीं लिए। पहले नक्सलियों के कारण इन्द्रावती टाइगर रिज़र्व में जा नहीं पाते थे। अब आने वाले समय में इन्द्रावती टाइगर रिज़र्व भी खुलेगा। आप तो टाइगर के प्रेमी हैं, आप भी (सभापति महोदय की ओर इशारा करते हुए) टाइगर के प्रेमी हैं। वहां पर टाइगरों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वहां पर लगभग 6 से 7 टाइगर हैं। मतलब हमारी सरकार आने के बाद वहां पर कैमरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। वहां पर 126 कैमरें लगाये गये हैं। सरकार अपने कार्य को पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। इसमें जो-जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होगी। इसमें महाराष्ट्र के तस्कर लोग सम्मिलित हैं। इसके पीछे और कौन-कौन हो सकते हैं, हम उनके ऊपर भी जायेंगे और उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति जी, आप बताओ या पूछ लो कि इन्द्रावती टाइगर रिज़र्व का यह डेटाबेस सेन्टर कहां पर है या सेन्ट्रालाइज सर्वर कहां पर है ? क्या आपने उसकी जांच की है ? उस डेटा में यह स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि वह 2 घंटे तक बंद था। यह गंभीर बात है, जो आपको हमको पता नहीं है। उसमें जो भी डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध था, उसको मिटा दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है। यह तो गंभीर विषय है। कौन जवाबदार आदमी है, इसको पता करिये। आपने किसको-किसको पोस्ट किया है, किसको वहां रखा है, उसको पता करिये। मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप इसके बारे में सीरियसली सोचिये। आप सी.सी.टी.वी. को दिखवाईये, उसमें रिकार्ड तो होगा कि कौन आया और कौन गया ?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि जब यह घटना सामने आई उसके बाद विभाग ने इन्द्रावती से लगे जो गांव हैं, वहां पर जाकर उसकी खोजबीन की है। वहां पर भी एक खाल प्राप्त हुआ। विभाग इसमें कहीं पर किसी को बचा नहीं रहा है। इसमें पूरी तत्परता के साथ

कार्यवाही भी कर रहा है। यदि माननीय नेता जी के पास कोई दस्तावेज है तो वह भी मुझे एक बार उपलब्ध करा दें। बाघ के खाल की कीमत कितनी है, क्या है, मुझे नहीं मालूम है। मुझे नहीं लगता है कि विभाग को भी मालूम नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, बाघ के खाल की कीमत 2 करोड़ नहीं बताया है। समूचे बाघ की कीमत लगभग 2 करोड़ होती है। उसका दांत बिकता है, उसका नाखून बिकता है, उसका खाल बिकता है, उसका लीवर बिकता है, दवाई बनती है, उसका अण्डकोष बिकता है, इन सभी चीजों को मिलाकर एक बाघ की कीमत लगभग 1-2 करोड़ होती है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपने जवाब दे दिया है।

श्री केदार कश्यप :- बिलकुल।

डॉ. चरणदास महंत :- यदि आप कहेंगे तो मैं सब उपलब्ध करा दूंगा।

श्री केदार कश्यप :- इसका मतलब आपके पास है ? (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- मंगा लेता हूं। मैं आपको चर्चा में सुना रहा था।

श्री केदार कश्यप :- फिर नेता जी, आप संदेह के घेरे में आ जायेंगे।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, वह बाघ के बारे में नहीं बोल रहे हैं। कागज वगैरह के बारे में बोल रहे हैं। श्रीमती शेषराज हरवंश जी।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इन्द्रावती टाइगर रिज़र्व में पिछले 5 माह में 3 बाघों के और कुछ सप्ताह में 2 बाघों के शिकार हुए हैं। माननीय मंत्री जी, आप स्पष्ट करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में बाघों का शिकार हो रहे हैं, वहां पर वन विभाग के पदस्थ कर्मचारी जैसे बीट गार्ड, रेंजर, एंटी पोचिंग स्कवाड, वहां उस समय पर उपस्थित रहते हैं, इसकी कैसे जानकारी मिलती है कि वे वहां पर उपस्थित हैं या नहीं, हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है, माननीय मंत्री जी बतायें ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को स्पष्ट किया है कि किस तरीके से हमारे विभाग के अधिकारियों ने पूरी तत्परता के साथ में कार्रवाई की और जो लोग कार्य के प्रति लापरवाही किए और जो अक्षमता के साथ में रहे, उनके ऊपर में भी कार्रवाई की गई। वहां के तीन अधिकारी हैं । मुझे लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई उसमें की गई है और सरकार पूरी तरीके से इसमें गंभीरता के साथ में कार्रवाई कर रही है और जो तीन बाघों के जो खाल मिले हैं, उसमें जो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को प्रेषित किया गया है, उसमें रिपोर्ट के अनुसार वह उनके डाटा बेस से मैच नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय :- ठीक। श्री विक्रम मंडावी जी।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न था कि जो कर्मचारी उस समय ड्यूटी पर तैनात होते हैं, वह वाकई वहां होते हैं या नहीं होते हैं? माननीय सभापति महोदय, अभी इसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि कम से कम 5 से 6 कर्मचारी जिन्हें निलंबित किया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन कर्मचारियों की कार्य अवधि यह कितने वर्षों से वहां पर तैनात हैं? माननीय मंत्री जी जवाब दें।

सभापति महोदय :- अब इतनी उतनी जानकारी मत लीजिए न। उनको निलंबित कर दिए न? आप इसके आगे और क्या चाहती हैं, पूछ लीजिए न।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, दिनांक 10/03/2026 को मेरा प्रश्न लगा था। प्रश्न क्रमांक 1641 है, जिसमें माननीय मंत्री जी से मैंने प्रश्न पूछा था वर्ष 2023 से 2026 की अवधि में, ये 24 महीने की अवधि में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, नौ बाघों की। अब वह नौ बाघों की मृत्यु करंट से भी हुई है, लोगों के शिकार से भी हुई है, कई अज्ञात वाहन की ठोकर से भी हुई है। तो माननीय मंत्री जी, उस समय भी यह जवाब दिए थे और अभी भी लगातार लोगों के माध्यम से शिकार बढ़ रहा है, तो क्या आप इनको सुरक्षित और संवर्धित करने की कोई नई तकनीक लाए हैं, इस पर कोई विचार किए हैं?

सभापति महोदय :- कोई नई तकनीक लाएं हैं क्या बताइए।

श्री केदार कश्यप :- आपने पहले पूछा था कि कितने बाघ मृत हुए और कितने इसमें तस्करी के मामले है। यह अभी हमारा जो ध्यानाकर्षण चल रहा है, यह तस्करी के विषय पर चल रहा है। तो इसको लेकर हमने अपना उत्तर दिया हुआ है और वहां पर हम बात करें तो अभी हमारी सरकार ने अभी फरवरी महीने में एक तो टाइगर फाउंडेशन का गठन किया है। अभी लगातार हमारी कोशिश है कि इसमें कैसे और इस व्यवस्था को हम और बेहतर कर सकें। यह हमारी कोशिश है।

सभापति महोदय :- विक्रम जी।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में कुल कितने बाघ हैं और वर्तमान समय में कितने बाघ बचे हैं?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 2022 के आधार पर लगभग 5 बाघों की पुष्टि हुई है ।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति जी, इन्होंने खुद अपने उत्तर में बताया है, वक्तव्य में बताया है कि कुल 6 बाघों का वहां पर जो अभी तक की जानकारी में है कि खाल मिला है। तो अभी कितने बचे हैं?

श्री केदार कश्यप :- यह जो बाघ हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के यह पुष्टि नहीं है। अभी तो 2022 में बाघों की गणना हुई है, क्योंकि 4 साल में एक बार होती है। वर्ष 2026 में अभी राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरी गणना होगी तो उसके आधार पर हम और हमारे बाघों की संख्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर अभी और भी शावक मिले हैं, जो हम उसको बता नहीं रहे हैं कि शावक हैं। लेकिन वह उसकी जो संस्थान है, देहरादून के माध्यम से किया जाता है। तो यह आपकी जानकारी में बता रहा हूं कि यदि पूरे छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो वर्ष 2022 के में यदि हमारे यहां पर बाघों की संख्या 17 थी, तो आज लगभग 35 हैं..।

श्री विक्रम मंडावी :- नहीं नहीं, माननीय मंत्री जी..।

सभापति महोदय :- हो गया मंडावी जी।

श्री विक्रम मंडावी :- एक मिनट, एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का सवाल है । माननीय मंत्री जी, मैंने कहा कि कितने बचे हैं? अभी 6 का खाल मिला है, तो फिर कितने बचे हैं? आपने कुल 8 की संख्या बताई।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2026 में जब बाघों की गणना की पूरी जानकारी आएगी तो मैं पूरी तरीके से बता दूंगा।

सभापति महोदय :- पूरा आंकड़ा सहित बता देंगे।

श्री केदार कश्यप :- लेकिन वर्तमान में अभी आज के डेट तक हमारी जो जानकारी है, वह 5 बाघों की है।

सभापति महोदय :- ठीक है। श्री राजेश मूणत जी।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति जी, एक छोटा सा प्रश्न है।

सभापति महोदय :- हो गया। इसमें 10 प्रश्न से ज्यादा हो गया। आप एक बार पूछ लीजिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी दे देता हूं कि इंद्रावती टाइगर रिज़र्व में 8, अचानकमार टाइगर रिज़र्व में 18, जिनमें 10 वयस्क और 8 शावक शामिल हैं, भोरमदेव में 3 और गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व में 6 बाघ हैं। इस प्रकार अभी छत्तीसगढ़ में कुल 35 शावक देखे जा रहे हैं। आपके विभाग के अधिकारी आपको यह जानकारी क्यों नहीं देते हैं, यह आप जानें।

श्री केदार कश्यप :- मैंने उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बात की है, जो हमारी गणना के अनुसार हैं। मैं वर्ष 2022 की गणना के आधार पर 17 की संख्या बता रहा हूँ।

सभापति महोदय :- ठीक है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आपके पास 2026 की गणना होनी चाहिए।

श्री केदार कश्यप :- वैसे गणना चार वर्ष में होती है।

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको आंकड़ों की जानकारी दे दी है। उन्होंने अपने आंकड़े बताए हैं। गिनती के बाद वे बतायेंगे कि कुल कितनी संख्या है। अब मैं राजेश मूणत जी को बुला रहा हूँ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय।

डॉ. चरणदास महंत :- सर, इनका नाम है।

सभापति महोदय :- इसमें तो नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- इनका नाम है।

सभापति महोदय :- आप पूछ लीजिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इंद्रावती टाइगर रिज़र्व का वार्षिक बजट कितना होता है?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, इंद्रावती टाइगर रिज़र्व में हम प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय करते हैं। बाघों के आवास, तालाबों की व्यवस्था और वहां उपलब्ध खाद्य पदार्थों के लिए हम व्यय करते हैं।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना में शुरू के तीन नाम आते हैं। उनका नाम सूची में है, मैंने पता कर लिया है। अब आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इंद्रावती रिज़र्व के लिए क्या अलग से पद सृजित हैं? वहां कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

श्री केदार कश्यप :- मेरे पास अभी इसकी सूचना नहीं थी कि आप टाइगर रिज़र्व पर प्रश्न करेंगे। आपके क्षेत्र में भी बाघों की संख्या बढ़े। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि स्वीकृत पदों के अनुसार परिक्षेत्र अधिकारी के 11 पदों में से 8, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के 33 पदों में से 21 और वन रक्षक के 133 पदों में से 80 पदों पर कम्रचारी कार्यरत हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है या इसे इसको जानकारी कह लीजिए। प्रश्न यह है कि अभी 35 बाघों की चर्चा हुई, जिसमें 8 शावक हैं और 27 वयस्क हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बाघिन गर्भधारण के बाद लगभग 9 महीने तक बच्चों को पेट में रखती है। बच्चा पैदा होने के बाद वह 12 महीने तक यह प्रयास करती है कि शावक बाहर न निकले, अन्यथा बाघ

उसे मार कर खा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, बाघ अपने ही बच्चों को खा जाते हैं और आप भी जंगल क्षेत्र से आते हैं, इसलिए इस बारे में आप जानते होंगे।

सभापति महोदय :- जी ।

डॉ. चरणदास महंत :- जब तक शावक 21 माह के नहीं हो जाते, तब तक उनकी गणना नहीं होती है। अभी 2026 में जो परिणाम आएगा, वह 2025 की गणना पर आधारित होगा। मैं बाघों के हेटिंग पीरियड कह दूं या मेटिंग पीरियड कह दूं?

सभापति महोदय :- Mating period।

डॉ. चरणदास महंत :- Mating period कह देता हूं, Hating गलत हो गया था।

सभापति महोदय :- वह Mating ही होता है।

डॉ. चरणदास महंत :- हाँ, Mating period के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। (हंसी) यह सावन-भादों (मानसून) के महीनों में ही होता है।

सभापति महोदय :- हाल ही में गुजरात में Mating period के दौरान कुछ लोग बाघ को छेड़े तो उस व्यक्ति को बाघ ने मार डाला था, यह खबर टी.व्ही. पर आई थी।

डॉ. चरणदास महंत :- जी। अचानकमार तो आपके विधान सभा क्षेत्र में है। आप Mating period देखते होंगे। (हंसी) यह सब बरसात के दिनों में ही होता है और इसके 9 महीने बाद शावकों का जन्म होता है। शावकों को छोड़ देने के बाघ मारकर खा जाता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि शावकों को बहुत ज्यादा सुरक्षा देने की आवश्यकता है। आप भोरमदेव, इंद्रावती, अचानकमार और गुरु घासीदास रिज़र्व का दौरा करिये और पता करिये कि कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं। अभी आप और आपके विभाग के अधिकारी यह नहीं बता सकते कि वहां जितने व्यस्क बाघ हैं, उनमें से कितने बाघ हैं और कितने बाघिन हैं? फिर यह वन विभाग है या क्या विभाग है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट तौर पर कहा है कि चार साल में एक बार उसकी गणना की रिपोर्ट आती है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी की अध्यक्षता में कितना बाघ और बाघिन है, उसे जाननके लिये एक कमेटी बना दिया जाये, एक समिति बना दिया जाये । (हंसी)

सभापति महोदय :- देखिये मंत्री जी, नेता जी बाघों के लिये बहुत चिंतित है और बरसात में शावकों की सुरक्षा के लिये बोले हैं । आप कृपा करके विभाग में थोड़ा गश्ती तेज करा दीजिए । आप खत्म करिये, मैं फिर राजेश मूणत जी का ध्यानाकर्षण लूँगा ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के संज्ञान के लिये अपनी बात साझा करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने हमारे छत्तीसगढ़ का चौथा

टाईगर रिजर्व और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाईगर रिजर्व हमें दिया है । (मेजों की थपथपाहट) हम इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी का हद्य से धन्यवाद देते हैं । टाईगर फाऊंडेशन बनाया गया है ताकि टाईगर को और कैसे संवर्धित किया जा सके । सभापति महोदय, हमने कहा कि वर्ष 2022 का जो गणना था, वह लगभग 17 था और आप स्वयं बता रहे हैं कि 35 है, हमारा कैमरा में जो टेस्ट हुआ है उसके आधार पर कह रहे हैं । जब वास्तविक रिपोर्ट आयेगी तो हो सकता है कि वह 35 के बजाय 40 भी हो । आपने जो कहा है कि इस बरसात में हमको उन क्षेत्रों में जाकर शावकों के लिये गश्ती तेज करायें तो मैंने विक्रम मंडावी जी को कहा है कि डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि कितना है और कैसा है, कहां पर है और यदि करेंगे तो बहुत से लोगों की निगाहें रहती है । ऐसी चीजों पर सुरक्षा के लिये हम विशेष ध्यान देते हैं ।

सभापति महोदय :- ठीक ।

डॉ.चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, इनको गलतफहमी नहीं होना चाहिये । हमारे कार्यकाल में जो बाघों की संख्या बढ़ी है, जो गाभिन हुई थी, उसकी गिनती 21 महीने बाद हुई । सरकार उनकी गिनती को अपनी गिनती में शामिल करके अपना बढ़ा रहे हैं । मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री केदार कश्यप :- आपका 22 में आया था ।

सभापति महोदय :- वह छत्तीसगढ़ का शेर है । चलिये, छोड़िये कहां लगाये हो । मूणत जी, आप बोलिये ।

**(2) शासकीय मुद्रणालय के प्रिंटिंग कार्य में अनियमितता किया जाना ।**

श्री राजेश मूणत (रायपुर ग्रामीण) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय द्वारा प्रिंटिंग कार्य हेतु निविदा कब आमंत्रित की गई थी ? क्या शासकीय मुद्रणालय का अपना स्वयं का सेट अप है या बाहर की संस्थाओं को कार्य वितरित किया जाता है ? कार्य वितरण के क्या नियम है ? इस निविदा में कुल कितने निविदाकारों ने भाग लिया था, उन्हें कार्य आवंटन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ? निविदा में अर्हता होने हेतु क्या क्वालिफिकेशन रखा गया था ? आज तक इन निविदाकारों को कितने करोड़ रूपयों के कार्य दिये जा चुके हैं ? वर्ष 2020 से 2021 के बीच मात्र एक बार निविदा आमंत्रण करने के बाद आज तक निविदा आमंत्रित ही नहीं की गई और विभाग में मिलीभगत से इन्हीं निविदाकारों को बिना प्रतिस्पर्धा के आज

तक करोड़ों रूपये के कार्य उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे राज्य शासन को अरबों रूपयें की क्षति हो रही है, इसके चलते जन साधारण में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय द्वारा प्रिंटिंग कार्य हेतु चिप्स के माध्यम से ऑनलाइन निविदा जनवरी 2021 में आमंत्रित की गयी थी तथा निविदा के माध्यम से कुल 5 निजी मुद्रकों को विभाग में अनुबंधित किया गया है । संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री अंतर्गत शासकीय मुद्रणालयों का स्वयं का सेटअप है किन्तु स्वीकृत 340 पदों के विरूद्ध केवल 68 पद भरे हैं और शेष 272 पद रिक्त है, अत: स्वीकृत सेटअप के विरूद्ध मात्र 20 प्रतिशत पद ही भरे हैं । इसके अलावा मुद्रणालय में स्थापित मशीने पुरानी होने के कारण विभागों की शत प्रतिशत मुद्रण संबंधी मांग पूरी नहीं हो पाती है । (3 एवं 4) विभाग को प्राप्त होने वाले ऐसे कार्य जो समय सीमा तथा वृहत प्रकृति के होते हैं उन्हें विभाग में अनुबंधित कुल 5 फर्मों को उनकी क्षमता अनुसार आबंटित कर तथा अन्य कार्य शासकीय मुद्रणालयों माध्यम से कराया जाता है। (5) संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री द्वारा वर्ष 2021 में कुल 3 केटेगरी में निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें केटेगरी A में 7 फर्मों द्वारा, केटेगरी B में 10 फर्मों द्वारा तथा केटेगरी C में 5 फर्मों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गयी थी, निविदा की केटेगरी A में 5 फर्म, केटेगरी B में 4 फर्म तथा केटेगरी C में 3 फर्म सफल रहे हैं, जिन्हें उनकी क्षमता अनुसार कार्य आवंटित किया जाता है।

निविदा में अर्हता होने हेतु शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) बयाना राशि (Earnest Money) I (A, B और C कैटेगरी के लिए अलग- अलग)

(ii) पिछले 3 सालों का वैलिड इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड की कॉपी।

(iii) वैलिड GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी।

(iv) पिछले 1 साल का लेटेस्ट GST रिटर्न।

(v) मशीनों की ओरिजिनल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन।

(vi) एक कन्फर्मेशन डिक्लेरेशन कि टेंडर भरने वाले की प्रिंटिंग यूनिट में सबसे अच्छी क्वालिटी के पेपर, इंक, केमिकल, मशीनों और प्रोसेस की जरूरतों आदि का इस्तेमाल किया जाता है।

(vii) शासकीय या अर्ध शासकीय विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र (Experience certificate) |

(viii) चलती हुई मशीनों और प्रेस परिसर का 360 डिग्री वीडियो दिखाने वाली DVD

(ix) 100 रू. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र (affidavit) जिसमें यह बताया गया हो कि प्रेस को पिछले लगातार 3 सालों में किसी सरकारी विभाग, बोर्ड या सरकारी उपक्रम (undertaking) आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

(x) CA द्वारा सर्टिफाइड बैलेंस शीट की कॉपी। (A, B और C कैटेगरी के लिए अलग-अलग)

शासकीय मुद्रणालय में अनुबंधित फर्मों के माध्यम से कराये गये कार्य के लिए सम्बंधित कार्यालयों से प्राप्त राशि अनुसार विगत् 5 वर्षों में कुल 5 अनुबंधित फर्मों को 295 करोड़ 60 लाख 934 रूपये का कार्य कराया गया है। शासकीय मुद्रणालय द्वारा नियमानुसार देयकों का परीक्षण उपरांत फर्मों को भुगतान किया जा रहा है। शासकीय मुद्रणालय द्वारा नियमानुसार एवं शासनहित में मुद्रण कार्य कराया जा रहा है। अतः जन साधारण में इसके लिए कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ लाइनों का उल्लेख किया। इसका स्पष्टीकरण जरा स्वयं दे दें। पहला, आपकी प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप कितना बड़ा है? आपने कहा कि 50 साल पुरानी मशीनें हैं, आज की नई टेक्नोलॉजी में आपके पास 50 साल पुरानी सेटअप में कुल 20% पद भरे हुए हैं। यह जो पांच संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया, वह आपने 2021 में 1 साल के लिए टेंडर आमंत्रित किया। आपका नियम है।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप प्रश्न सीधे पूछिए।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं इसी में सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। आपका सेटअप कितना है, किस-किस टाइप की कौन सी मशीनें हैं ? जरा उसमें मेरा ज्ञानवर्धन कर दें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री नवा रायपुर अटल नगर में स्वीकृत पद 26 है, नियमित 8 है, रिक्त पद 18 है। उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव में स्वीकृत पद 207 है, नियमित 36 है और संविदा में 4 है, वहां पर 167 पद रिक्त है। उप संचालक शासकीय मुद्रणालय नवा रायपुर अटल नगर में 107 पद स्वीकृत है, जिसमें 13 नियमित भरे हैं और 7 संविदा से हैं, 87 पद रिक्त हैं। इस तरह से कुल स्वीकृत पद 340 है और भरे हुए 68 हैं और रिक्त पद 272 हैं।

सभापति महोदय :- मूणत जी, वे पद के बारे में बता दिए।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैंने पद के बारे में पढ़ लिया, आपने उत्तर में दिया है। मैंने सेटअप पूछा है। ये कौन-कौन सी मशीनें हैं, आपने 300 करोड़ का काम किया। आपके पास सरकारी मुद्रणालय में कौन-कौन सी मशीनें हैं और हम किन-किन विभागों का काम करते हैं? जरा आप इतना बता दीजिये कि आपने किन-किन विभागों का कितना-कितना काम किया?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपके पास कौन-कौन सी मशीनें हैं और आप कौन-कौन से विभागों का काम करते हैं?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, 441 कटऑफ की 4 वेब मशीनें हैं, 2 फीनिंग वाइंडिंग मशीनें हैं, 4 डुप्लो मशीनें हैं और 4 सिंगल कटिंग मशीनें हैं। कार्य की अधिकता और सरकारी कामकाज को समयसीमा में कर सकें, इसके लिए विभाग ने नयी मशीनें क्रय करने के लिए इस बजट में प्रावधान किये हैं। राजनांदगांव और अटल नगर नवा रायपुर में स्थित हमारे जो मुद्रणालय हैं वहां पर

सम सीमा में छपाई नहीं हो पाती है, इसलिए जो हमारे विभाग से अनुबंधित हैं, उन फर्मों को ये काम दिया जाता है।

श्री राजेश मूणत :- मंत्री जी, आपने बिल्कुल अच्छा कहा। मैं आप ही के अनुसार कहना चाहूंगा कि वर्ष 2021 में आपने जो एक साल के लिए टेंडर आमंत्रित किया तो वर्ष 2022 में उसकी समयसीमा खत्म हो गई। आज वर्ष 2026 है। ये जो 5 पार्टियां परमानेंट फिक्स हैं, क्या उन्हीं को काम देने के लिए आपने नियमों में संशोधन किया? 1 साल के बाद अगर 1 साल का टेंडर आपने बुलाया और वर्ष 2026 तक उसी रेट पर आप उसको काम दे रहे हैं तो क्या आपने नियमों में संशोधन किया? एक ही पार्टी को काम देने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जिस समय निविदा आमंत्रित की गई थी, उसमें 7 फर्मों ने फॉर्म भरा था। उसमें से 5 फर्म पात्र पाए गए और पांचों फर्मों को उनकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाता है। किसी एक फर्म को ही हम काम नहीं देते, पांचों फर्मों को काम दिया जाता है। जहां तक नई निविदा आमंत्रित करने की बात है तो पिछले साल हम नई निविदा आमंत्रित नहीं कर पाए और इस साल अभी जुलाई में नई निविदा आमंत्रित करने जा रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने सीधा-सीधा पूछा है। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप भी नहीं लगा रहा हूं। मैंने तो इतना पूछा कि आपने वर्ष 2021 में 1 साल के लिए निविदा आमंत्रित की, जो भी आपने दर निर्धारित की होगी, जो आपके विभाग में प्रक्रिया होगी तो वर्ष 2026 तक 5 साल तक आपने टेंडर आमंत्रित क्यों नहीं की और किस नियम के तहत ऐसा किया? जब 1 साल के लिए हम ओपन टेंडर बुलाते हैं और 1 साल में टेंडर बुलाने के बाद 5 साल तक ये 5 संस्थाएं काम कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से सबको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि अरबों रुपये का काम, करोड़ों का नहीं, अरबों रूपये का काम अभी केंद्र सरकार के माध्यम से जितना प्रिंटिंग का काम आ रहा है और जो स्कूलों में किताबें छप रही हैं। स्कूल विभाग के मंत्री भी बैठे हैं, आपके यहां भी किताबें छपकर आईं, जिसकी पेपर की साइज भी छोटी है, जिसकी क्वालिटी भी रद्दी है।

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप प्रश्न के रूप में पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो वही पूछ रहा हूं। मैं कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहता। आप मुझे केवल इतना ही बता दे कि अगर 1 साल का टेंडर था तो उसको 5 साल तक चलाने का उद्देश्य क्या है?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, क्या उद्देश्य है, बताइए?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं वर्ष 2021, 2022, 2023 का तो नहीं बता सकता। पिछले साल स्थानीय नगरीय चुनाव था, लोक सभा चुनाव था, पंचायत चुनाव था। उस

समय मतदाता सूची मुद्रण, बैलेट पेपर, इन सबका काम चल रहा था और टेंडर प्रक्रिया पर प्रतिबंध था तो पिछले साल हम नहीं करा पाये और इस साल अभी जुलाई में इसकी नई टेंडर आमंत्रित होगी।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, सामान्यत: मैं वही बात पूछूं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। आपने कहा कि हम नहीं करा पाये। यह प्रक्रिया करने का काम किसका है? आपको उस समय के अनुसार एक टेंडर निकालना है। उस टेंडर की प्रक्रिया करने वाला आपका संचालनालय है। कितनी देरी होगी? 3 महीने, 6 महीने हो गये और वर्ष 2021 में टेंडर हुआ तो वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2026 तक 5 साल तक आपने टेण्डर नहीं निकाला। चलिये, मैं दूसरे प्रश्न पर आ जाता हूं। मुद्रण सामग्री अन्य विभाग की प्रिंटिंग करने के लिए वित्त विभाग ने प्रतिबंध लगाया है, इसके पेपर मेरे पास है। उसके बाद वह विभाग क्यों बाजार के मुद्रण सामग्री की प्रिंटिंग कर रहा है ? आप यह स्पष्ट कर दें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में जो मुद्रण लेखन सामग्री विभाग है, यह महत्वपूर्ण विभाग है और यह शासन के विभिन्न विभागों का और खासकर जो गोपनीय दस्तावेज है, उनकी वहां पर प्रिंटिंग होती है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, वह तो सरकारी प्रेस में होती है, वह तो हम भी जानते हैं। हम उसके लिए आपको थोड़ी न मना कर रहे हैं। लेकिन यह जब प्राईवेट सेक्टर का, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, इनके यहां के लोग लाकर फॉर्म देते हैं और आप प्राईवेट सेक्टर को काम एलॉट कर देते हैं। अब सीधा-सीधा पूछूं तो अभी शिक्षा विभाग में 40 करोड़ रूपये का काम हुआ है। मैं इस हाउस के अंदर इस बात को गंभीरता के साथ बोल रहा हूं कि आपके पेपर की क्वालिटी खराब है। पेपर का साइज छोटा है। जो स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद आपने कहा कि 5 प्रतिशत काट दो। यह क्या है ?

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से पूछिये न।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, वह कोई एक चीज का उत्तर दे ना। एक भी चीज का उत्तर नहीं आ रहा है। मैंने पूछा कि आपने क्यों नहीं बढ़ाया, उसका उत्तर आपके पास नहीं है। वित्त विभाग ने एक ऑर्डर निकाला, उसका कोई उत्तर आपके पास नहीं है। क्या जितने भी काम होते हैं, उनकी विधायक समिति से जांच करायेंगे ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बताइये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक जो शिकायत कर रहे हैं कि पेपर की क्वालिटी ठीक नहीं रहती और जो भी अनियमितताएं हैं, इसका हम एक बार विभागीय तौर पर जांच करा लेंगे।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, जिस विभाग ने खुद यह काम किया, उसमें विभाग क्या जांच करेगी। प्रश्न एवं संदर्भ समिति से इसकी जांच करा दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिए क्या शब्द इस्तमाल करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिसने गड़बड़ की, वह कैसे जांच करेगा ? माननीय वरिष्ठ विधायक की मांग है कि विधायकों की सदन समिति से जांच करा दीजिये। आप सदन की समिति से जांच नहीं कराना चाहते हैं तो सदन की अन्य समितियां, जैसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति से उसकी जांच करवा दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। यदि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है और आप सहमति दें तो विधायकों की समिति जांच कर सकती है, नहीं तो आप निर्देशित कर सकते हैं और इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दीजिये। क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं और उत्तर तो नहीं आ रहा है। स्पेसिफिक जो उत्तर आना चाहिए, वह भी नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, शिक्षा विभाग की जो पुस्तकें छापने की बात आ रही थी, वह संभाग से हुआ है, हमारे यहां से नहीं छपी है।

सभापति महोदय :- आप तो यह बताइये कि वह जो मांग किये हैं, उसको आप स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे ? आपको यह बतायेंगे।

श्री टंकराम वर्मा :- जांच करायेंगे ना।

सभापति महोदय :- ठीक है। मूणत जी, अब आप छोड़िये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं छोड़ रहा हूं। मैं उनके विवेक पर छोड़ देता हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सिर्फ ध्यानाकर्षण करने के लिए और मैं जिस बात को आपको कह रहा हूं कि वर्ष 2021 के बाद अगर आप टेण्डर नहीं कर रहे हैं तो आपकी आपके विभाग में क्या पकड़ है, यह आपकी चिंता का विषय है। अगर आपकी किताबें गलत छप रही है तो यह शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय है।

सभापति महोदय :- मूणत जी, ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और क्लियर कर देना चाहता हूं। कम से कम इन चीजों के स्पष्ट होने के बाद में भी, सब कुछ होने के बाद भी अभी 25 करोड़ रूपये का काम बांट दिया। क्या आज के बाद कल ही जाकर इसका टेण्डर निकालेंगे और नया ओपन रजिस्ट्रेशन करेंगे ? छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, चाहे वह छोटे गांव का हो या बड़े गांव का हो। यह जो गोरख धंधा चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सभापति महोदय, यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। मैंने उनके विवेक पर छोड़ दिया।

समय:
1.24 बजे

## नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- अब मैं नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं लूंगा। निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

1. श्री रोहित साहू
2. श्री अजय चन्द्राकर
3. श्री मोतीलाल साहू
4. श्री राजेश मूणत
5. श्री बघेल लखेश्वर

समय
1.25 बजे

## प्रतिवेदन की प्रस्तुति

## गैर सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

सभापति (श्री विक्रम उसेण्डी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्मानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

| **अशासकीय संकल्प क्र.** | **सदस्य का नाम** | **समय** |
|---|---|---|
| (क्रमांक-07) | श्री अजय चन्द्राकर | 30 मिनट |
| (क्रमांक-28) | श्री सुशांत शुक्ला | 30 मिनट |

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

समय
1.26 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकायें सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

1. श्री कुंवर सिंह निषाद
2. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
3. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

समय
1.27 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

सभापति महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर-

1. छत्तीसगढ़ अिग्नशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026)
2. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026)
3. छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजिनेश विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026)

की महत्ता तथा उपादयेता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की है।

मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

**सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।**

**(1) छत्तीसगढ़ अग्नि शमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026).**

उपमुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

**अनुमति प्रदान की गई।**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपमुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूं।

**(2) छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026)**

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

**अनुमति प्रदान की गई।**

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूं।

**(3) छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026)**

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

**अनुमति प्रदान की गयी ।**

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूं ।



अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

**(4) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026)**

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री मोतीलाल साहू जी ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल जी ने अभी छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 पटल पर रखा है ।

माननीय सभापति महोदय, यह आम व्यावहारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब गांव से या अन्य क्षेत्रों से विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी और कुछ रोजगार के नाम को लेकर के शहरों में लोग आते हैं और व्यावहारिक तौर पर उनको आवास की जरूरत पड़ती है और मकान की तलाश में उनको किराये में मकान मिलता है लेकिन प्राय: यह देखा गया है कि शुरूआत का दौर तो अच्छा रहता है, मधुर संबंध होते हैं और किराया लेने और किराया देने में कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है और किरायेदार यह सोचता है कि हम उतनी ही राशि देते रहें और मकान मालिक सोचता है कि समय के अनुसार इसमें वृद्धि होती रहे और अच्छी आमदनी हो । यह दोनों के बीच में फिर धीरे-धीरे डिस्पुट होता है । कई बार तो यह भी देखने को मिला कि किरायेदार ने दूसरे को किराया देकर  अपनी वसूली करता है और मूल मकान मालिक को किराया नहीं मिलता । ऐसी परिस्थितियां भी व्यावहारिक जीवन में देखने को मिलती हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए कि किरायेदार को किरायानामा मिलना चाहिए और उनको पानी-बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए । यह प्रावधान इसमें आया है । इसके साथ ही साथ इसमें मकान मालिक के लिए भी प्रावधान है कि उनको भी समयानुसार मूल्यों में वृद्धि हो, किराया में वृद्धि हो या फिर उनको समय पड़ने पर उनका मकान या दुकान खाली हो जाए । इनकी भी व्यवस्था इस संशोधन विधेयक में लायी गयी है । इसका मतलब यह है कि दोनों ही पक्ष चाहे किरायेदार हो या किराया देने वाला मकान मालिक हो तो बहुत से लोग तो ऐसे आश्रित रहते हैं । जो किराया के आधार पर ही उनका परिवार चलता है, उनकी परवरिश पूरी होती है तो ऐसी परिस्थितियों में वह कमजोर समझकर किरायेदार जो है, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है । मकान को कब्जा करने तक की कोशिश यहाँ पर की जाती है । हमें अधिकांश केस में यह देखने और सुनने को मिलता है कि कोर्ट में  यह केस चल रहा है और कोर्ट के माध्यम से किरायेदार किराया पटा रहा है, वह भी बहुत नॉमिनल होता है। सालों साल यह केस चलते रहता है, उनको कोई न्याय नहीं मिल पाता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में, यहां पर जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इससे

सभी को संतुष्टि और न्याय मिलेगा। यह विधेयक बहुत ही उचित है और इसको लाया जाना बहुत जरूरी है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 क्रमांक 19 सन् 2012 की धारा 6 के अनुसार भारत के संविधान 323 ''ख'' के अनुसार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण एक न्यायालय है, जो कि भाड़ा नियंत्रक द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित समस्त व्यिक्तयों की शिकायतों पर विचार करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा आदर्श किरायेदारी अधिनियम 2021 को लागू किया गया और सारे स्टेट्स इसको धीरे-धीरे करके अडॉप्ट कर रहे हैं उसी तत्संबद्ध छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की कतिपय धारा अर्थात् 2, 5, 6, 10, 12 में संशोधन तथा नवीन धारा 4(अ) एवं 4 (2) क का अंतरस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। हम लोग जब वकालत करते थे तो एक हम लोग एक फ्रेज यूज करते थे प्रिंसपल ऑफ रोइंग बोर्ड, कि कुछ मानते हुए भी उसका विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें और कुछ चीजें समाहित होनी चाहिए, ताकि उसको और सशक्त तथा बेहतर बनाया जा सके। इस बात को हम सब समझते हैं कि शुरू से शायद यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के ऊपर इसलिए छोड़ा है क्योंकि हर स्टेट की अपनी जरूरते हैं, हर स्टेट की अपनी प्रणाली है। ऐसा हो सकता है कि इसमें हम लोगों की कुछ लोकल मांगें और हो सकती हैं। इसलिए हमारे स्टेट पर छोड़ गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ धाराओं को और समृद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे लिए एक अच्छा कानून आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ धाराओं को और समृद्ध करने की आवश्यकता है। जिसके बाद यह विधेयक पूर्ण रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए beneficial होगा। अगर हम लगातार देखें तो जैसा कि मेरे पहले वक्ता कह रहे थे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि अब गांवों की ओर से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। जो शहर के आउटर, बाहरी एरिया हैं, वह भी कहीं न कहीं समाहित होते हुए, शहर के अंदर ही माने जा रहे हैं। जो लोग शहरों में आते हैं जिनकी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है, वह कहीं न कहीं वहां जाकर आउटर पर अपना घर लेते हैं वहां बसते हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह dispute बहुत बढ़ता जाता है। हमने किरायेदार और यह, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखें हैं जहां पर मारपीट और क्रिमिनल केसेस भी आपस में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो डिस्पोजल का डिले देख रहे हैं कि आपस में विवाद, उसको हमने यहां इस अधिनियम में लाने के लिए कोशिश तो की है, पर इस संशोधन में क्या हो रहा है कि हमने वह दिन तो निर्धारित कर दिये हैं कि आपको इतने दिनों में करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको उल्लेखित कर दीजिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं इसको इसलिए और सशक्त बनाने की जरूरत है क्योंकि फिर जब यह न्यायालयीन प्रक्रिया में जाएगा तो यह उसी तरीके से दशकों खिसकता जाता है। इसको हमें थोड़ा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर हम लोगों को एक बात और देखनी पड़ेगी कि इन फार्मल एग्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है, जो गांव के लोग होते हैं, जो बाहर रह रहे हैं  उनको यह नहीं पता है कि उसमें क्या लिखना है और क्या लिखवाना है। एक अधिकारी आया, एक आदमी आया जो कि नौकरी में शिफ्ट होकर आया या तीसरा व्यक्ति जो कि शहर में शिफ्ट होना चाहता है। वह पढ़ा है, वह वहां आया और वह बताता है कि आपको उसमें क्या लिखना है। मैं आपको अपना ही  उदाहरण दे देता हूँ अकलतरा में कंपनी वाले आते हैं, अकलतरा में बहुत सारी कंपनी है तो हम कोई चीज भाड़े पर चढ़ाना चाहते हैं तो उनका बताते हैं कि साहब, हमारा एग्रीमेंट बम्बई से आया। उसका आप arbitration clause पढ़ लीजिए तो उसमें यह लिखा रहता है कि  In case of any dispute arbitration will be final that to in Bombay मतलब arbitration वहीं कंपनी करायेगा, वह कहां कराएगा, बम्बई में कराएगा, arbitrator अपॉइंट कौन करेगा, वह करेगा। तो यदि यह जो हमारे कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो अपनी प्रापर्टी को लीज आउट कर रहे हैं तो आदरणीय मंत्री जी, इस व्यवस्था में बिल्कुल clause लाना चाहिए कि यह बंद हो जाए। आप arbitration clause बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ में है, आप बाहर के व्यक्ति हैं, अगर कंपनी आ रही है तो आप छत्तीसगढ़ में arbitration clause करिये। आप डबल arbitration clause करिये। कि वहां पर हम एक arbitrator अपॉइंट करेंगे और आप एक arbitrator अपॉइंट करिये और उसका नाम पहले से लिख दिया जाये कि अगर dispute होगा तो arbitrator कहां पर बैठेंगे तो वह रायपुर में बैठेंगे। हम लोग मुंबई नहीं जाएँगे । यह Informal agreements और जिस तरह के agreements ये बाहर की कंपनियाँ अगर कर रही हैं तो इस पर हम लोगों को एक समृद्ध रूप से इसको सशक्त करना होगा और इस पर हमें रोक लगानी होगी।

सभापति महोदय, एक विषय मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूँ । यह भाड़ा अधिनियम से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, लेकिन यह उसका Integral part है। मध्य प्रदेश Land Revenue Code में Section 168 होती थी, जो यहाँ के पुराने सदस्य हैं, उन्हें यह बात पता होगी कि प्रावधान यह था कि 1 साल से ज़्यादा लगातार 3 consecutive years में आप अपनी Farming land, किसानी की जो जमीन है, उसको आप Lease पर नहीं दे सकते। यह दूसरे का Right Creat कर देता था। इसे मध्य प्रदेश में Amendment करके 5 साल कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ वह Amendment अभी नहीं हुआ है। तो यदि हम Land Revenue Code 168 को देखें तो Lease More than one year for a consecutive turn of 3 years हमारे यहाँ यह प्रावधान है कि यह नहीं होना चाहिए । उसमें हमारे यहाँ दो Exceptions हैं । आपकी Cooperative Societies का है और यदि हम Non-agricultural कार्यों के लिए देना चाहें तो उसका है, लेकिन यह बात अगर आप ध्यान से देखें, सभी सदस्य अपने यहाँ ध्यान लगाएँ तो जो बड़ी खेती की ज़मीनें हैं, उन्हें Napier grass के नाम पर या बाकी फार्मिंग के नाम पर लोग 9-9 साल के लिए, 8-8 साल के लिए Lease पर ले रहे हैं । हमें किसानों को Protection देना

होगा। कई बार जानकारी न होने की वजह से हम अपने अधिकारों को Give up देते हैं। इसलिए हमें अपने अधिकार दूसरे को नहीं देने हैं, इसके लिए इसमें कोई न कोई क्लॉज होना चाहिए। चूंकि हमारा एक किसान-समृद्ध राज्य है । हम ऊपर भी देखते हैं तो धान की बालियाँ बनी हुई हैं तो उन्हें संरक्षित करने का काम भी इस Act के माध्यम से हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि हम उस क्लॉज को ले आएँगे, तो वह बिल्कुल सामने आ जाएगा और उसके बाद किसानों की जो ज़मीन संरक्षित करने की बात है, इसके माध्यम से हम Land Revenue Code में वह ज़मीन भी संरक्षित कर सकते हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, सबसे ज़्यादा दिक़्क़त जो होती है, वह मालिक और किराया देने में होती है। जब अदालती प्रक्रिया में ये बातें चली जाती हैं तो दशकों पुराने किराएनामे वहाँ जमा हो रहे होते हैं तो मेरा इसमें एक सुझाव यह रहेगा कि जब दशकों से हम लोग 1 रुपये और 2 रुपये का किराएनामा, जो दशकों से चल रहा है, उसको लेते रहते हैं और वह न्यायालय में जमा होता रहता है, उसे बढ़ाने का प्रावधान इसमें कर दें । जब तक Dispute है, तब तक कोर्ट निर्णय ले। लेकिन जब तक कोर्ट भी इस पर निर्णल ले रही है तो Market value के हिसाब से उसका किराएनामा हमें कोर्ट में जमा कराना चाहिए, ताकि जो भी उस संपत्ति को Inherit करेगा या जो भी उसका अधिकारी होगा, उसे कम से कम उस वैल्यू का नुक़सान नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी वकालत के हिसाब से बहुत ज्यादा हमारी Terminology आ गयी है, जिसको कोई किराएनामे के हिसाब से हम बनाते हैं , Leave and License Agreements हम लोग बनाते हैं, जिसमें 12 साल का अधिकार देना है या नहीं देना है, इसके बीच में एक महीना छोड़ देते हैं, ताकि वह अधिकार पूरी तरह से न दिखे, लेकिन इन सब की वजह से हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। तो आदरणीय, आपसे एक निवेदन है कि इसका एक Format बनाया जाए। उसमें हम लोग अपने Local requirements के हिसाब से चीज़ें ऊपर-नीचे जोड़ सकें, लेकिन एक परफेक्ट प्रारूप कम से कम इतना तो हो कि उसमें Minimum terms लिखी हों, जिससे दोनों के किराएदार के भी और मालिकाना हक़ वाले के भी, दोनों के अधिकारों में कहीं न कहीं दिक़्क़त न आए।

सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विषय Sub-letting का है। जब यहाँ प्लांट आते हैं या कोई भी Commercial lands किसानों की खरीदी जाती हैं तो उसमें दो विषय रहते हैं । एक तो दूसरे के नाम पर खरीदकर, वे बाद में अपने नाम पर रजिस्ट्री कराते हैं या भूमि अधिग्रहण होता है । यह हम लोगों ने बहुत सी जगहों पर देखा है और मैं जानता हूँ कि जब अधिग्रहण गलत तरीके से होता है तो यहां पर यह विषय कई बार उठाया भी गया है, लेकिन इसका दूसरा उपाय, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और कंपनियाँ करती हैं, वह किसानों की ज़मीन को Lease पर लेने की करती हैं । तो जब हम Lease पर ले रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यदि हम Land Revenue Code की धारा 168 पर आ जाएँगे तो हमें इसका समाधान वहाँ मिल जाता है। लेकिन यदि हमें किसी चीज़ को करना है तो उसका

प्रावधान भी हमें इसमें करना होगा और यदि कोई Unauthorized sub-letting कर रहा है, मान लीजिए मैंने किराए पर लिया हुआ है और मैं किसी और व्यक्ति को वह ज़मीन दे देता हूँ तो उसके लिए हमें कड़े प्रावधान इसमें लागू करने होंगे, ताकि यदि सब-लेटिंग के माध्यम से कोई Illegal activity हो रही है, तो उस पर हम लोग रोक लगा सकें। क्योंकि होता यह है कि किराएदार बड़ी आसानी से यह कह देता है कि हमने तीसरे व्यक्ति को दे दिया है, जिनका मकान है वे बता रहे हैं कि हमने दे दिया है, लेकिन अगर वहाँ कोई Illegal activity हो रही है, तो हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि आख़िर उसमें ग़लती का ज़िम्मेदार कौन होगा? मकान मालिक होगा? किराएदार होगा? या सब-लेटर (Sub-letter) होगा? और उसके सारे Clauses हमें इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखने पड़ेंगे। मैं अगर बहुत ज्यादा खण्डवार बात न करते हुए  धारा 2 का जो संशोधन है, उसमें एक स्पष्टीकरण लिखा गया है कि भवन स्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित करारनामा यथास्थिति भवन स्वामी या किरायेदार की मृत्यु की दशा में उनके हित उत्तराधिकारी पर बाध्यकारी होंगे। ऐसे किरायेदारी की शेष अवधि के लिए मृतक भवन स्वामी या किरायेदार के उत्तराधिकारी वही अधिकार प्राप्त होंगे, जैसा कि अनुबंध में सहमति की गई है। आदरणीय सभापति महोदय, सामान्यतया हम लोग देखते हैं कि उसमें डिस्प्यूट आता ही है और फैमिली डिस्प्यूट भी आता है। यदि हम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मान्य करेंगे या फर्स्ट क्लॉज, जो उनके जो वारिसान हैं, उनको मान्य करेंगे जो सूची -अ में लिखा हुआ है। माननीय मंत्री जी, इसमें एक डिस्प्यूट की स्थिति सामने नजर आ रही है। अगर हम इसमें दोनों तरफ से किरायेदार और मकान मालिक की तरफ से नॉमिनी का प्रावधान कर दें कि यदि बीच में मृत्यु होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, तो इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने किराये पर ली हुई प्रॉपर्टी अपनी बेटी को लिखित तौर पर दे दी थी। उन दोनों के विवाद में मकान मालिक 15 साल तक केस लड़ते रहे कि उनको किस पर केस करना है और उनको किससे वसूली करनी है। मकान मालिक ने जिनको दिया था या जिसको सबलेट कर दिया था ? क्योंकि उसमें सबलेटिंग का क्लॉज था। अगर हम उसमें नॉमिनी बना देते हैं तो उसकी क्लीयारिटी हमारे बीच में बहुत स्पष्ट आ जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, वही चीज नं.5 में भूमि स्वामी के लिए भी है। अगर किरायेदार और भूमि स्वामी दोनों में नॉमिनी का करते हैं तो इनकी बात सामने आ जायेगी। आदरणीय सभापति महोदय, इसमें खंड 8 के पश्चात जो 8-अ में जोड़ा जा रहा है, वह सम्पत्ति प्रबंधक का है। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है। ऐसा व्यक्ति जो परिसर का प्रबंध करने के लिए भवन स्वामी द्वारा प्राधिकृत है, जो किरायेदार के साथ अपने व्यवहार में भवन स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। अब सवाल यह आता है कि इसकी जिम्मेदारी क्या होंगी ? इसकी जिम्मेदारी के अलावा इसे हम नियुक्त पॉवर आफ अटारनी के माध्यम से करेंगे, जैसा इसमें लिखा हुआ है या हम सिर्फ सूचना दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ किरायेदार को

सूचना देने से यह बात खत्म हो जायेगी या हमें किसी प्राधिकृत अधिकारी को या पुलिस थाने में इस तरह की किसी को सूचना देनी होगी। मेरा इसमें एक सुझाव यह रहेगा कि अगर हम सिर्फ किरायेदार को देते हैं तो इससे यह पूर्ण नहीं हो रहा है। इस धारा को और समृद्ध बनाने के लिए इसमें पावर आफ अटारनी का बाईंडिंग क्लॉज डालना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, इसमें एक विषय और है कि यदि सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा अपने कार्य का निर्वहन करते हुए कोई गलत कार्य किया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ? किस कार्य के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा ? इसमें इस विषय का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि अगर वह काम कर रहा है तो उसमें यह व्यक्ति विशेष जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन अगर वह उस सम्पत्ति पर जाकर अवैध काम कर रहा है तो क्या मकान मालिक इसका जिम्मेदार होगा, इन सबका क्लीयारिटी इसमें आनी चाहिए। अगर पावर आफ अटारनी से करते हैं तो उसमें हमें यह बाइडिंग हो जायेगा कि इसका जिम्मेदार कौन होगा ?

सभापति महोदय, चूंकि बाकी धाराएं न्यायालयीन है और उससे जुड़ी हुई हैं। उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धारा 12 और धारा 12-अ जिसमें भवन स्वामी और किरायेदार के अधिकार उल्लेखित हैं। इसमें कानफिक्ल्ट आफ इन्टरेस्ट है। इसमें कानफिक्ल्ट आफ इन्टरेस्ट यह है कि यदि दोनों की लड़ाई हो रही है तो जो क्लाजेज दिए हुए हैं, चाहे वह 'क' में दिया हो या '6' में दिया हो, आप उनके बिजली, पानी को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर वह उसका बिल पेमेन्ट नहीं कर रहा है तो आखिर उसका भार कब तक मकान मालिक झेलेगा ? यह कानफिक्ल्ट आफ इन्टरेस्ट दोनों के लिए है। हम इनको भी अधिकार दे रहे हैं और हम उनको भी अधिकार दे रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी क्लीयारिटी नहीं आ रही है कि कब तक ? यदि वह काम नहीं करेगा तो आखिर कब तक ? क्योंकि यदि वह न्यायालयीन प्रक्रिया में है तो यह बिल पेमेन्ट और मेन्टेनेंस कैसे होगा ? मेन्टेनेंस के लिए वाद सुविधा के 8 में लिखा हुआ है कि वाद सुविधा के वार्षिक रखरखाव अपनी सुविधा के अनुसार कराने का अधिकार या व्यय की प्रतिपूर्ति के विरूद्ध किरायेदार को वाद सुविधा वार्षिक रखरखाव कराने हेतु विकल्प का अधिकार ऐसे प्रतिपूर्ति एक माह के भाड़े से अधिक नहीं होगी। आदरणीय सभापति महोदय, इमसें मेरा एक विरोध यह है कि यदि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, लिटिगेटिंग प्रॉपर्टी है, वह लेटिगेशन में चली गई है, अगर वह प्रॉपर्टी रहने के लिए उपयुक्त नहीं है और आप इसको भी एलाऊ नहीं कर रहे हैं कि वह वहां जाकर उस मेन्टनेंस को कराये। यदि कल के दिन कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ? हमें इस बात की क्लीयारिटी लानी होगी, तब यह सेक्शन जाकर लोगों के लिए बहुत अच्छा सेक्शन होगा और यह एक समृद्ध सेक्शन होगा और यह एक समृद्ध सेक्शन होगा। इसमें जो निकालने की बातें की गई हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रावधान है, आदरणीय सभापति महोदय। उसमें लिखा हुआ है, यदि किराएदार सामाजिक उपताप बन जाता है, हम तब भी उसको वहां से हटा सकते हैं। और इसमें

सामाजिक उपताप का जो लिखा हुआ है, वह है– नशा करना, झगड़ना, पत्नी को पीटना, वेश्यावृत्ति, आदतन देर तक हल्ला करते रहना इत्यादि-इत्यादि। इसमें एक बात की क्लेरिटी, आदरणीय मंत्री महोदय, इसमें बिल्कुल नहीं है कि क्या आज अगर वह एफ.आई.आर. दर्ज होती है, हम तभी मानेंगे? या हम सिर्फ एक आवेदन के रूप में मानेंगे? और एफ.आई.आर. यदि दर्ज हो जाती है, तो इंडिया का जो हमारा...।

श्री अजय चन्द्राकर :- राघवेंद्र जी, बहुत अच्छा बोल रहे हो। पर बोलने से क्या होगा?

श्री रामकुमार यादव :-, अच्छा बोल रहे हैं तो इसमें आपको क्या तकलीफ है?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कहा कि बहुत अच्छा बोल रहे हो, मैं सीरियसली प्रशंसा किया । पर इतना लंबा बोलने से क्या होगा, कहा?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, शायद इसको आने वाले उसमें इंक्लूड कर लें, तो बेहतर हो जाएगा।

सभापति महोदय :- चलिए, आप बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, यही प्रश्न तो हम आपसे कब से पूछ रहे हैं? क्यों कुछ नहीं हो रहा है? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- घोड़ा के सींग जागही तो मंत्री बनही अब।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए। हां, बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- राघवेंद्र सरकार की गुणगान करते हैं, टी.एस. बाबा का आदमी हस या भूपेश बघेल के आदमी हस। समझ गेस न? फंस जाबे ते।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, जैसे कुकरी पहले आईस कि अंडा कब आईस, एला आज तक नहीं जानिस। ओइसने प्रकार के आप काकर आदमी हव तेला हम नहीं जान पाथन। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, कोर समर्थक राघवेंद्र जी माननीय टी.एस. बाबा साहब के, ये कोर समर्थक माननीय भूपेश बघेल जी के। तो इधर-उधर टिप्पणी करेंगे तो उनको क्षति हो जाएगी। इसलिए सुनो।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। सारे नेता हमारे ही हैं।

सभापति महोदय :- आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो लोग सो मत जाए करके खड़ा होए हव। (हंसी)

सभापति महोदय :- अपनी बात पूरी करिए। थोड़ा जल्दी करिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, इसमें एक यही जो उपताप की मैं बात कर रहा था कि किराएदार जो सामाजिक उपताप बन जाता है, उसमें एक यह क्लेरिटी बिल्कुल नहीं है कि आप एफ.आई.आर. करेंगे तब उसको मान्य करेंगे, कंप्लेंट देने पर मान्य करेंगे या फिर वह केस अगर होता है, तो वह खत्म होने पर मान्य होगा? तो इन सब की क्लेरिटी यहां पर नहीं हो रही है। तो इन बाध्यताओं को हम लोगों को समझना होगा। और एक आखिरी मैं धारा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें 12 (स) जो किराएदार की बाध्यताएं हैं, यह आखिरी धारा इसमें मैं आपको बता रहा हूं। सभापति महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि मौसमी या समय के कारण होने वाली प्राकृतिक घिसावट को छोड़कर, जानबूझ या अन्यथा वास में हुई सुविधा, किसी भी क्षति के लिए भूमि स्वामी को क्षतिपूर्ति प्रदान करना होगा। क्षतिपूर्ति का आकलन कौन करेगा? जिस दिन से प्रॉपर्टी हमने लीज पर दी, किराए पर दी, यदि उसको क्षति हो जाती है, मान लीजिए मौसम से होता है या हमें ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर किया है, क्षतिपूर्ति तो हमने वहां लिख दिया, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। लेकिन क्षतिपूर्ति का आकलन करने के लिए अथॉरिटी कौन होगा? हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। तो आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह विधेयक दोनों के लिए अच्छा आया है, लेकिन कुछ धाराओं में हमें और समृद्ध होने की जरूरत है, जिसकी वजह से यह अधूरा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा, श्री ब्यास कश्यप, माननीय मंत्री जी।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026, यह बहुत ही लोक महत्व का संशोधन विधेयक है..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, बहुत-बहुत बधाई। आज आप दूसरे विभाग का तीन विधेयक ले रहे हैं । भगवान आपको ऐसे ही उन्नति दे। समझ रहे हो न? वास्तव में शुभकामना दे रहा हूं और वास्तव में यह बोल रहा हूं, भाषण अब मत करिए, पारित करने के लिए 'हां' की जीत, 'न' की जीत करवाओ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, एक मिनट महोदय। भगवान कहिस तेखर बर मोला कहना जरूरी पड़ गे। वही भगवान अयोध्या के है, तो तुमन के नहीं सुने ओहा। ओईच मन के मुकुट ला चोरा लेहे, तो सुनही का ओहा? तेखर खातिर वो भगवान के सुने बर आने देवता खोजव तुमन हा।

सभापति महोदय :- चलिए, मंत्री जी। आप बोलिए।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर श्री मोतीलाल साहू जी और श्री राघवेंद्र सिंह जी के बहुत ही बहुमूल्य सुझाव आए हैं। इस विधेयक में मुख्य रूप से जो किराएदार और मकान मालिक के बीच काफी विसंगतियां थीं और जिन्हें लेकर दोनों ही

पक्षों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसे संतुलित करके यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है। यह हमारा संशोधन विधेयक है, जिसे देश के बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने पहले ही लागू किया है। उसी सुधार की प्रक्रिया में हम यह विधेयक लेकर आए हैं। मुख्य रूप से इसमें जो पहले कई लोग राज्य से बाहर रहते थे और किराए पर मकान देने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देते थे। अब जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं, जिनका राघवेंद्र जी ने जिक्र किया था, उन्हें अधिकार देने का आशय यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से पहले भी अधिकार दिया जा सकता था, लेकिन वह एक न्यायालयीन प्रकरण बन जाता था, जिसमें कोर्ट आदि के मामलों में बहुत लंबा समय लगता था। अब प्रबंधक से संबंधित प्रकरणों को अधिकरण के माध्यम से सुना जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसी प्रकार से किराएदार और मेंटेनेंस की बात है। यदि उसमें एक माह तक कोई मेंटेनेंस नहीं कराता है तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। साथ ही जो उन्होंने उसका जिक्र किया कि यदि किसी एग्रीमेंट के दौरान किराएदार या मकान मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उस संदर्भ में उत्तराधिकारी जो भी होगा, क्योंकि उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार एस.डी.एम. और उनके उच्चाधिकारियों के पास है, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। अमूमन यह होता था कि किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाने पर एग्रीमेंट को समाप्त मान लिया जाता था, लेकिन अब यह एग्रीमेंट पूरे कालखंड तक मान्य रहेगा, जिससे किसी भी पक्ष को दिक्कत न हो। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक बहुत ही लोक महत्व का है। इसमें एक खास बात यह है कि पहले भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश नियुक्त होते थे, उसमें स्पष्ट रूप से तय नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यह तय कर दिया गया है कि तीन वर्ष का सेवाकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, उसकी गणना की जाएगी। इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो लोग दूर-दराज से आते हैं, उनके लिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। अत: मैं सदन से छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूँ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सभापति महोदय :- अब इस विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

**खंड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।**

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पारित किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

**(5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026)**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सभापति महोदय :- कोई भाषण या और कुछ बोलना है ? श्री अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदय, मैं इस विधेयक में कई बार बोल चुका हूँ, मूल विधेयक को भी मैंने ही लाया था, उसके बाद जब वर्ष 2026 में संशोधन हो रहे हैं और इसके पहले भी संशोधन हुये थे । माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी मूल अवधारणा में कायम हूँ और उसे बार-बार बोलने में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हाऊस है । निजी विश्वविद्यालय जिस दिन छत्तीसगढ़ में लाया गया था, 115 निजी विश्वविद्यालय थे । उमेश बाबू, आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, हमने ऐसे कुलपति भी देखे हैं जो लूना में कुलपति लिखकर चलते थे और पंचर सुधरवाते खड़े रहते थे । समय के साथ सरकार बदली और सरकार बदलने के एक साल बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस अधिनियम को खत्म कर दिया । उस समय लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी थे, जो विभिन्न जगहों में पढ़ रहे थे और ऐसे कोर्स पढ़ रहे थे, वह कोर्सेस प्रचलित विश्वविद्यालय में नहीं थे और बहुत मुश्किल से 1 लाख 68

हजार बच्चों को कहीं न कहीं नियोजित करके उसकी व्यवस्था कराई गई। हमारे महामहिम सेठ साहब होते थे, उन्होंने बहुत व्यक्तिगत रूचि ली कि अब उच्च शिक्षा के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में नया अधिनियम लाया जाये । नया अधिनियम लाया गया तो उस समय हमने कम से कम 10 प्रान्तों को यह अधिनियम दिया होगा कि यह फैसले के तारतम्य में बना है। मुझे भी थोड़े दिन इस विभाग में काम करने का अवसर मिला है, उस समय GER मेरे हिसाब से 1.5 से 2.00 परशेंट थी । वह बीमारू राज्य नहीं और उसके नीचे के इंडिकेशन थे कि आजादी के इतने साल बाद हम 1.5 या 1.75 परशेंट में थे, आज यदि निजी क्षेत्र को भी यदि जोड़ दें तो 32 परशेंट, 30 परशेंट में जायेंगे । मुझे विभाग के लोगों ने कहा है कि आप कॉलेज क्यों खुलवा रहे हैं, आपके यहां इसकी मांग क्यों करते हैं, आपके यहां तो कॉलेज है ? मैंने उनको उत्तर दिया था कि मैं तो 50 परशेंट से ऊपर GER की कल्पना मेरे क्षेत्र में करता हूँ । कोई भी उन्नत राष्ट्र है, अमेरिका जैसे यूरोप की कंट्रीज हैं, 50% से ऊपर जी.ई.आर. के है। हमने दो काम किए थे। हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम बनाया, उसके अतिरिक्त कल बस्तर पर चर्चा हो रही थी, पैसे कम थे, फिर भी तीन यूनिवर्सिटी बनाए। एक दिन में तीन यूनिवर्सिटी आज तक आजाद हिंदुस्तान में लेजिस्लेट नहीं हुई। माननीय रमन सिंह जी की सरकार में एक दिन में तीन यूनिवर्सिटी लेजिस्लेट हुई। दो ऑफ कैंपस, एक रविशंकर का ऑफ कैंपस जगदलपुर में खुलेगा, एक गुरु घासीदास जी का ऑफ कैंपस सरगुजा में खुलेगा, बाद में दोनों यूनिवर्सिटी बनी। फिर हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एन.ओ.सी. दे दी। बिलासपुर के विश्वविद्यालय के बाद जितना बढ़िया कैंपस है, उतना बढ़िया कैंपस और उतनी बड़ी परिसंपत्ति अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समझ में नहीं आता। इतना बड़ा कैंपस हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एन.ओ.सी. दे दी। आप तो बिलासपुर के रहने वाले हो।

समय :
2.06 बजे **(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेंडी) पीठासीन हुईं)**

सभापति महोदया, उस समय दो सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त, हमने दो प्रयास किए। माननीय मंत्री जी, हमने पहला निजी विश्वविद्यालय विधेयक लाया। उसके बाद निजी महाविद्यालय खोलने का भी विधेयक, विधानसभा से पारित है। उसको दिखवाइयेगा, जशपुर में, या बीजापुर में, या सुकमा में, या देवभोग में कहीं भी रिमोट एरियाज में, दूर दराज में कोई आदमी प्राइवेट कॉलेज शुरू करता है तो उसको हम क्या-क्या सुविधा देंगे, यह पारित है, उसके नियम, निर्देश नहीं बने होंगे। वह अलग विषय है, पर वह पारित है। छत्तीसगढ़ को तेजी से आगे बढ़ाना था। जी.ई.आर. ठीक करनी थी, विविध विषय लाने थे, रोजगार मूलक लाने थे। निजी विश्वविद्यालय परिनियम में आज की तारीख में 17-18 कितनी यूनिवर्सिटियां हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- 19 हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यहीं से मेरी बात शुरू होती है, इसको असहमति, सहमति की ओर आप लोग मत ले जाइयेगा। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में, रविशंकर यूनिवर्सिटी में, बिलासपुर यूनिवर्सिटी जहां आप रहते हो, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में, प्रवेश घट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। स्कूल शिक्षा में दसवीं के बाद पढ़ने जाने वाले लोग, 11वीं-12वीं पढ़ने में 16-17% लोग पढ़ने नहीं जाते, ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब आप जो अधिनियम लाए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? निजी विश्वविद्यालय के लिए जी.ई.आर. कारण था कि, शिक्षा का लोकव्यापीकरण, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। अब राजकीय यूनिवर्सिटी कितनी सारी हो गई ? राजकीय यूनिवर्सिटी में बच्चे प्रवेश क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या आपने इसका अध्ययन कराया है ? दो दिन, तीन दिन पहले पेपर में आप भी पढ़े होंगे। मेरा तो ध्यानाकर्षण है, कल शून्यकाल में इस बात को उठा दूंगा कि स्कूलों में जो शाला त्यागी बच्चों की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, उसके कारण क्या हैं? सरकारी स्कूलों में बच्चे प्रवेश क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका कारण क्या है? इस पर मेरा ध्यानाकर्षण है। अब यह जो मूल अधिनियम है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बनी। उद्देश्य, लोकव्यापीकरण और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना है। छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय पर्याप्त हो गए, हर नेचर के हो गए। इसके अतिरिक्त, आपकी डबल इंजन की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार, अब फॉरेंसिक विश्वविद्यालय ला रही है। निफ्टी जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान छत्तीसगढ़ में सभी बन गए। फिर इसके संशोधन की जरूरत क्या है? क्या निजी विश्वविद्यालय में हमारे बच्चों की पेइंग कैपेसिटी है कि वह कोर्स को उतनी फीस दे सकें? इस पर चिंतन करना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है या लोकव्यापीकरण से हम व्यवसायीकरण की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के निम्न मध्यम वर्गीय गरीब, मैं मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं बोलता, निम्न मध्यम वर्गीय उच्च गरीब, उसको ऐसा कह लीजिये। ये जो गरीब बच्चे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, इस पर आप एक अध्ययन करवाइये। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेते हैं, उसका अध्ययन करवाइये। आज एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्रिभाषा फार्मूला को निरस्त नहीं करेंगे। भाषा सीखना कहीं पर भी गलत नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए वह फैसला एक माइलस्टोन है। जो आप संशोधन ला रहे हैं, उसका लोकव्यापीकरण या क्षेत्रीय असंतुलन से क्या संबंध है? गुणवत्ता से क्या संबंध है? जरूरत क्या है? अब मुझे समर्थन करना है तो मैं करूंगा। लेकिन समाज पर प्रभाव, छत्तीसगढ़ पर प्रभाव, छत्तीसगढ़ के बच्चों पर प्रभाव और इसकी उपादेयता क्या है? इस पर आप इस विधेयक के बाहर भी चिंता करियेगा। अब विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि जोड़ी गयी है। इसको आप ही अपने भाषण में बता दीजिएगा कि रक्षित निधि क्या है? यदि मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं है। आप दूर परिसर अर्थात ऑफ कैंपस खोलेंगे। बढ़िया है। आप ऑफ कैंपस को कहां खोलेंगे, मुझे यह बताइए?

कहां जरूरत है? आप इसी में क्यों नहीं लिखते? बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग में ऑफ कैंपस की अनुमति दी जाएगी। ऑफ कैंपस कहां खोले जाएंगे? ऑफ कैंपस तो आप कहीं पर भी खोल लेंगे। सारी यूनिवर्सिटी यदि सी.वी. रमन कोटा में है तो रायपुर में वह तुरंत आज खोलेगी। जहां जरूरत नहीं है वहां पर खुलवाने। आप इसको परिभाषित कीजिए कि वह ऑफ कैंपस कहां खोलेंगे? अब भूमि को आप कम कर रहे हैं। 15 एकड़ कर रहे हैं तो ठीक है। आजकल वर्टिकल का जमाना आ रहा है, मैं इसको मान लेता हूं। लेकिन भूमि में कम करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम क्या-क्या चीजें होंगी? जब आप सब चीजों को परिभाषित कर रहे हैं, संशोधन में ला रहे हैं तो उसमें क्या-क्या होगा? शहरी क्षेत्र में आप कम कर रहे हैं, वर्टिकल बिल्डिंग बनाएंगे। दुनिया में जमाना वर्टिकल बिल्डिंग का आ रहा है, लेकिन उसमें मापदंड क्या होंगे? क्या-क्या होना जरूरी है? यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक भवन होगा, डिपार्टमेंट का भवन होगा, बैंक होगा, एटीएम होगा, कैंटीन होगी, हॉस्टल होगा, स्टेडियम होगा। ऐसे 10 मापदंड बने हैं। तो आप 15 एकड़ करके उसके लिए क्या-क्या मापदंड तय करेंगे कि 15 एकड़ में आप बना लीजिए, वर्टिकल बना लीजिए, लेकिन आपके लिए ये-ये चीजें करना अनिवार्य है। यदि आप अनिवार्य नहीं करते हैं तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ देता हूं। 15 एकड़ भूमि के बाद उपधारा क, ख, ग, घ में उपखंड में जोड़ा गया है कि पर्याप्त उपकरण, फर्नीचर ठीक है। यूजीसी के मापदण्ड अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। माननीय मंत्री जी, एक बात बताइये कि पुस्तक, पत्र-पत्रिका, कम्प्यूटर खरीदेंगे, यह भी एक्ट में लाने की जरूरत है? इसको किसने बनाया है? क्या इसको एक्ट में लाने की जरूरत है कि वह क्या-क्या खरीदेंगे और इससे शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी? इसमें मुख्य बात एक ही है, रक्षित निधि और जमीन को आप संशोधन कर रहे हैं। यह भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये कम्प्यूटर खरीदेंगे, पुस्तक खरीदेंगे, पत्रिका खरीदेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, उससे गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो निर्देश बनाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हम कानून में ही ले आते हैं, नियम और निर्देश बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पांच में है, यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा-12 के खंड-क के अधीन संग्रहित राशि के अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए विनियामक आयोग द्वारा संरक्षित, रक्षित निधि में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि विनिर्दिष्ट कर सकेगी, ऐसी अतिरिक्त राशि देय होने की अवधि भी विनिर्दिष्ट हो सकेगी। आप यह विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो इससे विद्यार्थियों की क्या सुरक्षा होगी और उनको क्या फायदा होगा ? अब ऊपर में आप कम्प्यूटर खरीदी के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं, कानून ला रहे हैं, कम्प्यूटर खरीदेंगे, पत्रिका खरीदेंगे, नेटवर्किंग खरीदेंगे तो .5 प्रतिशत जो राशि है, उसको भी कानून में ही शामिल कर देना था कि इसमें किस तरह के काम होंगे। यह विरोधाभाष क्यों है ? आप एक जगह यह-यह चीजें कानून में शामिल कर रहे हैं और दूसरी चीज का आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं बाकी निधियों को हटाकर विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि आप प्रस्थापित कर रहे हैं। ठीक है कर लीजिए। इसमें रक्षित निधि की स्थापना, विनिवेश, प्रबंधन तथा उपयोग की रीति तथा

प्रायोजक निकायों द्वारा पूर्व में जमा की विन्यास निधि की धनराशि वापसी की रीति। ठीक है आप वापस करेंगे, उसकी रीति बनायेंगे तो चलिये, उसको बनाईये, अच्छी बात है। अब मैं पढ़ूंगा नहीं, इतना हो गया। लेकिन आपके जो भी अधिकारी इसको बनाये हैं, एक पी.एस. साहब बैठे हैं, मैं यहां से नाम नहीं लूंगा। उद्देश्यों के कारणों और कथन बहुत आपत्तिजनक है। आपने लिखा है कि न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं और ऊपर की भाषा तो पढ़ने लायक नहीं है। आप इस उद्देश्य से लाये हैं, यह बोलेंगे कि विचार कर सकते हैं। यदि आप विधान सभा के ऊपर छोड़ रहे हैं कि विचार कर सकते हैं और विधान सभा बोल देती है कि हमको आपके उद्देश्यों में विचार नहीं करना है, तब क्या होगा ? तीन विधेयक और हैं। आप तीनों विधेयकों के उद्देश्यों के कथन को पढ़ लीजिए। दूसरा, आपका डिपार्टमेंट इसको ला रहा है। यह कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है कि आप किसके कहने पर ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। ऐसे उद्देश्य और कथन यदि विधान सभा में प्रचलित होते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई बनती है, उन्हीं को पढ़ाने, लिखाने की जरूरत है जो यह लिखते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस विधेयक में शिक्षा के लोकव्यापीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिस्थिति और फीस की संरचना, जितनी भी चीजें आप संशोधन कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि अभी जो नियामक आयोग है, वह 17, 18, 19 यूनिवर्सिटी को कितनी बार चेक करती है, यह बताइये ? उसके पास क्या सिस्टम है ? कितने लोग हैं ? इस साल 3-4 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में खुलने वाले हैं, उसमें बताया गया है कि उसमें इतने प्रतिशत फैकल्टी हिंदुस्तान के होंगे, इतने प्रतिशत मूल देश से आयेंगे, सारी चीजें निर्धारित की गयी है जो एम.ओ.यू. हुआ है उसमें कि आप क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या लायेंगे, उसको कैंपस माना जायेगा। आप दिल्ली सरकार से आग्रह कीजिये कि विदेशी विश्वविद्यालय का एकाध कैंपस बस्तर में खोल दे, गीदम में खोल दे, एकाध सरगुजा में खोल दे, एकाध जशपुर जैसे इलाके में खोल दे। इतनी यूनिवर्सिटी होने के बाद विदेशी कैंपस की जरूरत क्यों पड़ रही है ? इस पर चिंतन कीजिये और विद्वान लोगों से उसका अध्ययन कराइये।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला समझ में आत हे कि नइ जे में हर बोलत हव तेला ?

श्री रामकुमार यादव :- आप सुन तो लेवव।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं, पहले इसको स्पष्ट करिये कि मैं जो बोल रहा हूं वह आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ?

श्री रामकुमार यादव :- पहले आप सुन लो। बिल्कुल समझ आ रहा है अउ आप मन से ज्यादा समझ हो गे हे। हमर गांव में एक ज्ञानी तो रहना चाहिए लेकिन महाज्ञानी ला बड़हा कहिथे। सभापति महोदय, ये मन अधिकारी मन ला बार-बार बतात हे। आप ओ अधिकारी मन के चक्कर में मत रहिबो।

अधिकारी मन के चक्कर में पहिली सरकार में आप मन निपट गे हवव अउ तुमन के वइसने दशा फिर होने वाला हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- लालू प्रसाद यादव जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में चरवाहा विश्वविद्यालय बनाये थे।

श्री रामकुमार यादव :- महू बनाहवं, ओमा आप ला प्रोफेसर रखिहवं।

श्री प्रबोध मिंज :- रामकुमार विश्वविद्यालय बना ले।

श्री अजय चन्द्राकर :- कांग्रेस के दिमाग में प्राइवेट 115 यूनिवर्सिटी थी, लूना में चलने वाली कुलपति थी, एक कमरे का विश्वविद्यालय था। रामकुमार जी, उस समय पैदा हो गये थे?

श्री रामकुमार यादव :- ओ समय पैदा हो गये रहेवं, मैंही तो ओला खोलवाये रहेवं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके बाद मेडिकल में एक त्रिवर्षीय कोर्स लाये। उसको छत्तीसगढ़ के बाहर मान्यता नहीं थी, उन बच्चों को नौकरी देने के लिये मशक्कत करनी पड़ी। उस समय भी मैं ही था।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, वह जो निजी विश्वविद्यालय एक कमरे में खुले थे, उसको छत्तीसगढ़ के ही एक आदमी सुदीप श्रीवास्तव में ने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट यशपाल के थ्रू लगाया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- अटल श्रीवास्तव जी, ले ना ओमे आज विधेयक के बाद बहस कर लेबो ओमे। लेकिन अब ये मांग करेगा कि चरवाहा विश्वविद्यालय चन्द्रपुर में खोल दो तो इसमें अब मैं क्या करूंगा। लाठी घुमावन, तेल पिलावन, ऐसा उसका नारा था। समझ रहे हो। जो बच्चे गाय चराते हुए भी पढ़ाई कर सकते थे, ऐसा है। लेकिन वह बच्चे ईमानदार थे। लालू प्रसाद जी की उसकी पीड़ा भी। वह बच्चे कभी इतना सारा 500-500 रुपये का नोट नहीं देखे थे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदया जी, आप ला शायद पता नई होही, सुन लो। मैं छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा विधायक हवं, भले मैं कम पढ़े लिखे हवं, लेकिन मोर एरिया के बच्चा मन ला 12वीं टापर मन ला मोर क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से ओला जहाज में चढ़ाथव।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह सब चीज सीखोगे लेकिन नोट देखे भर ला मत सिखो।

श्री रामकुमार यादव :- राम के जो चंदा चोरी होईस हे, तुहरे इहां पकड़ाये हय, सब जानत हन। चिंता मत करव, सब खुलही।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदया, बहरहाल रामकुमार यादव जी को यदि चरवाहा विश्वविद्यालय बिहार में वजूद होगा तो वहां डिग्री के लिये दूरस्थ शिक्षा की कोई व्यवस्था होगी, तो वह कम पढ़े लिखे नहीं, उनका लौकिक ज्ञान बहुत है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

श्री कवासी लखमा :- उनकी शादी भी करा दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, मैं ईमानदारी के साथ आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं कि जो आपकी मौलिक चीज है, वह बहुत दुर्लभ है। रामकुमार जी भी जमीन से जुड़े नेता हैं, मुझे कोई उसकी आलोचना नहीं करनी है। सही छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान किसी को कुछ देता है, परिस्थितियां देती हैं, पर आप जनता की सेवा कर रहे हैं, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। बहरहाल माननीय मंत्री जी आपके ये विधेयक पारित होंगे ही, मैं समर्थन में बोल रहा हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा का जो परिदृश्य है और इन सब संस्थाओं के बाद भी जो विदेशी कैम्पस लाये जा रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई करेंगे। अंत में मैंने जो आपको बात कही है कि जो उद्देश्यों का कथन है, वह बेहद घोर आपत्तिजनक है। ऐसा लिखा नहीं जाता है। इसलिए आपके विधेयक का समर्थन करते हुए और जिन बातों को मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्याय में एडमिशन घट क्यों रहे हैं ? शाला त्यागी बच्चों का प्रतिशत बढ़ क्यों रहा है ? ये सारे विषय पर छत्तीसगढ़ के ज्वलंत विषय हैं, इसकी चिंता करके कोई आयोग, कोई सिस्टम तैयार कीजिए। मैं आपके नियामक आयोग के बारे में बोल रहा था कि इतनी ताकत, इतनी सदस्य संख्या, इतनी नियम प्रक्रिया उसकी नहीं है कि 20, 22, 25 विश्वविद्यालय आपके नियम सरलीकरण के बाद आयेंगे। तो जो आपकी मंशा है, उसको वो ठीक कर लें, ऐसा मुझे नहीं दिखता। इसलिए उस ओर भी आप ध्यान देंगे। इस अपेक्षा के साथ आपकी बातों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, आपने बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदया, यह जो विधेयक आया है, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनिमय प्रकोष्ठ ने अनुशंसा की है कि राज्य उच्च शिक्षा संस्थान हेतु विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। अतएव राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 205 क्रमांक 13 सन् 2005 की निम्न धारा में अनुंशसा कर स्वीकृत करने का निश्चय किया गया है। माननीय सभापति महोदया, शायद हम इसी विधान सभा में हम लोग 17वां निजी विश्वविद्यालय के रूप में यहां पर पारित किया है। सभापति महोदय, ऐसा न हो कि उद्देश्य से हटकर विश्वविद्यालय सिर्फ खानापूर्ति व्यावसायिक रूप में परिणित होना स्थापित न हो । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि बिलासपुर का एक डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय है । एक निजी विश्वविद्यालय वर्ष 2007 में राजपत्र में प्रकाशन कर स्थापित किया गया है । इस विश्वविद्यालय के सेल्फ ड्यूटी रिपोर्ट में, स्टडी रिपोर्ट में दिनांक 18.03.2023 को प्रकाशित किया गया था । इसके अनुसार इस विश्वविद्यालय के पास कोई भी महाविद्यालय की मान्यता नहीं ली गयी है । जब किसी विश्वविद्यालय के पास महाविद्यालय ही नहीं होगा तो राज्य के युवा को इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का लाभ कैसे प्राप्त होगा ?

माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने इसी विधानसभा में बहुत गहन अध्ययन कर एक-एक विश्वविद्यालय को मान्यता देने के लिए एक-एक बिंदुओं को पारित किया है और इतना सरलीकरण करने से, इतना सरल करने से बच्चों के आने वाले भविष्य में इस पाठ्यक्रम का लाभ कैसे हो सकता है ? पाठ्यक्रम का लाभ कैसे मिलेगा ? जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में रिपोर्ट के अनुसार 34 प्रोफेसर पी.एच.डी वाले हैं तो इतने कम प्रोफेसर से एक विश्वविद्यालय कैसे संचालित होगा ? यहां बैचलर कोर्स 17, बी.एस.सी. कोर्स 6, एम.टेक. 6, मास्टर कोर्स 27, पी.एच.डी. के कोर्स 29, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 4 हैं और इस विश्वविद्यालय में एम.फिल. के लिए 25 कोर्स को वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया था । ऐसे ही विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई । आने वाले भविष्य में अगर हम और ज्यादा सरलीकरण करेंगे तो इनकी जो गरिमा है, यहाँ तक कि विदेशी छात्र, एन.आर.आई. छात्रों के पढ़ने की बात है, इसमें उसके मूल में जायेंगे तो विदेशी छात्रों को भी हमको यहाँ पर पढ़ाने का उसमें नियम है, नियमावली में है कि अनिवार्य रूप में हो लेकिन जहाँ तक विदेशी छात्रों के पढ़ने की बात है, इस विश्वविद्यालय में वर्ष 2017 से 2022 तक कुल 16,313 छात्रों ने अपना नामांकन किया है जिसमें से कोई भी विदेशी छात्र नहीं है । जब इतना कड़ा रूख इतना मतलब अपने इस विश्वविद्यालय में सारी फेसिलिटी होने के बावजूद भी जब हम इस विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त होना देते थे तब जाकर छात्रों की कमी, प्रोफेसरों की कमी, विश्वविद्यालय का मान्यता प्राप्त न होना तो ऐसी स्थिति में, मैं माननीय मंत्री जी से पुनः विचार करने के लिए कहूँगा कि एक केरीफॉरवर्ड, आपके ही एक सत्तापक्ष के विधायक के कार्यकाल में भी मान्यता प्राप्त थी और हमारे कार्यकाल में भी उमेश जी, उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी इसमें कुछ गहन अध्ययन हुआ है । मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित न किया जाए और मैं सोचता हूँ कि शायद यह जो विधेयक लाया गया है यह शायद किसी निजी या व्यक्तिगत स्वार्थ या किसी पार्टी बेसिस को लाभ पहुंचाने के लिए और इसमें आर.एस.एस. का कोई केंद्र न खुल जाए या भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यालय के रूप में प्रतिस्थापित न हो जाए इसलिए शायद मैं सोचता हूँ कि सरलीकरण करने के लिए यहाँ पर विधेयक लाया गया है । माननीय सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद ।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । आज आपने मुझे छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति महोदय, आज का दिन छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं के अधिकारों और उनकी सुविधाओं को मजबूत करने का दिन है । हमारी सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आई है, उसका केंद्र

बिंदु सिर्फ और सिर्फ हमारे विद्यार्थियों के कल्याण के लिए है । माननीय सभापति महोदय, अब तक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना जमीनों के बड़े टुकड़ों और कागजी पैसों के इर्द-गर्द घूमती रही है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पीछे छूट जाती थी । हम इस सोच को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और अब विश्वविद्यालयों की पहचान इस बात से नहीं होगी कि उनके पास कितने एकड़ जमीन है, बल्कि उनकी पहचान इस बात से होगी कि उनका विद्यालय अपने छात्रों को कितनी बेहतरीन सुविधा देना चाह रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् दूंगा कि उन्होंने इस विधेयक को लाया। इस विधेयक के माध्यम से हमने विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे छात्रों के हित में आधुनिक ग्रंथालय, लाईब्रेरी, हाईस्पीड कम्प्यूटर नेटवर्किंग, उच्च स्तरीय फर्नीचर और अनेक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। पहले जो पैसा विन्यास निधि के रूप में बिना किसी उपयोग के ब्लॉग में रहता था, अब वह पैसा सीधे तौर पर उनकी कक्षाओं की प्रयोगशालाओं के लिए जारी होगी। उसे आधुनिक बनाने में खर्च होगा। माननीय सभापति महोदय, यानी छात्रों का भविष्य पर कभी कोई आंच न आये, इसके लिए विन्यास निधि को बदलकर, रक्षित निधि का मजबूत कवच तैयार किया गया है। यह नई व्यवस्था शिक्षार्थियों के लिए भविष्य की हर स्थिति में संरक्षित रहेगी। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के हर युवा को वैश्विक स्तर पर शिक्षा देने के प्रतिबद्ध है और यह विधेयक इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी है। इस संशोधन के बाद हमारे इस प्रदेश के छात्र-छात्राओं के कल्याण के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ और आपसे एक आग्रह भी करूंगा कि ऐसे बहुत सारे निजी विश्वविद्यालयों में यह सुनने को आता है कि कहीं उनकी गुणवत्ता पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। यहां कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां उपिस्थति के संबंध में भी चर्चा होती है कि जब उनका प्रतिशत, मार्कशीट या अंकसूची तैयार होता है तो उस समय भी ग्रेड के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं तो इसके लिए भी मैं इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं वहां उनके लिए भी पारदर्शिता के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था करें, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जैसे शासकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके, छात्र-छात्राओं को डिग्री प्राप्त होती है। उसी तरह से निजी विश्वविद्यालयों में भी उनके लिए एक पारदर्शिता हो और उनके लिए एक कानून की व्यवस्था हो। निजी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ने-लिखने के लिए जो भी व्यवस्था होती है उसके साथ-साथ उनकी शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार हो, मैं यही आपसे आग्रह करूंगा। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव में मैं अपनी ओर से भरपूर समर्थन करता हूँ और मैं सभी माननीय सदस्यों से भी यह आग्रह करता हूँ कि आप सब इस संशोधन में अपना समर्थन दें और इस समर्थन को पूर्ण करने के लिए, दोनों दलों के हमारे माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस

विधेयक के समर्थन में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें और इस प्रस्ताव को पारित करें। मैं इस सदन के माध्यम से अपनी ओर से इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह आरोप था कि यहां पर जगह-जगह विश्वविद्यालय खुल गये, कमरों में विश्वविद्यालय खुल गये। वहां लोग लूना, स्कूटी में जाते हैं, ऐसे कई सारे आरोप लगे और जब इनकी सरकार बनी तो जो कोर्ट का आदेश था, उसके हिसाब से एक छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया, जब उसकी स्थापना हुई और वह विधान सभा में पारित हुए और अभी तक वह उसमें छोटे-मोटे संशोधन चल रहे थे, लेकिन जिस चीज़ का आरोप लगाए थे, जिस चीज़ को कोर्ट ने आदेश किया था, उसकी एक क्राइटेरिया रखी गई थी कि इतना एकड़ जमीन होना चाहिए, इतना पैसा उसके जमा होना चाहिए, तब वह यूनिवर्सिटी खोल सकता है। सभापति महोदय, मुझे तो अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है? आप लोग कम क्यों कर रहे हो ? सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया? इसका उद्देश्य क्या है? आप अभी तक तो हमको इस बात को नहीं समझा पाए हो कि इसको लाने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों ? आप 25 एकड़ से 15 एकड़ कर रहे हैं, क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई ? इसका औचित्य क्या है ?

सभापति महोदय, अब इसको बदल दिए हो। उद्देश्यों में लिखा है–"भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियामक प्रकोष्ठ ने अनुशंसा की है कि राज्य के उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को समाप्त करना।" अब न्यूनतम भूमि की आवश्यकता जो हमारे यहाँ है, उसको अगर हम पूरी तरीके से समाप्त, हालांकि आप लोगों ने नहीं की है, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त करने पर यह तो वहीं जा रहा है, जहाँ पहले से हम थे। जिसको रोकने के लिए यह पूरा विधेयक लाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि ऐसे निजी विश्वविद्यालयों को रोका जाए, जो एक कमरे में बन जाएँ, जिसको लूना में लोग जा रहे हैं और कर रहे हैं, जिसके आरोप आप लोगों ने लगाये थे, जिससे कहीं न कहीं अगर आप बोलेंगे तो इस बात को कहने में मुझे हर्ज़ नहीं है कि उस बात से मैं सहमत था कि ऐसे विश्वविद्यालय नहीं खुलने चाहिए, लेकिन आप फिर से वहीं रिवर्ट जा रहे हो । इसका उद्देश्य क्या है? मंत्री जी, मैं चाहूँगा कि आप इस सदन को कम करने का इसका उद्देश्य जरूर समझाएँ । आपने कहा कि 10 लाख रूपए हम पुस्तकें, पत्रिकाएँ क्रय, प्रथम 3 वर्ष 5 लाख की राशि, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें हम सुविधा देंगे । उसमें फर्नीचर की आवश्यकता, यह सब तो ठीक है। यह तो आपने कहा, लेकिन मुझे अभी तक इस विधेयक का औचित्य समझ में नहीं आया कि इस विधेयक को संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है और केंद्र सरकार की एडवाइजरी जो जारी की है, उसमें तो पूरी तरीके से न्यूनतम जो सीमा है, उसको समाप्त

करने की बात कही है । अगर वह न्यूनतम सीमा को कम कर देते हैं तो हम लोग तो फिर वहीं वापस जा रहे हैं। तो मैं इसमें यही जानना चाहूँगा कि यह बाकी जितने भी संशोधन हैं, यह तो सब ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी ? हम क्यों करना चाह रहे हैं ? निजी विश्वविद्यालय को फिर से उसी स्थिति में क्यों ले जाना चाह रहे हैं ? तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा । मंत्री जी जब जवाब दें तो वह और इसमें हम लोगों को समझ में आए। हो सकता है हमें भी इसकी जानकारी न हो कि किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें, ताकि हम इसमें और चर्चा कर सकें। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री ईश्वर साहू (साजा) :- माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नीतियाँ समय के साथ कितनी प्रासंगिक और प्रगतिशील हैं। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियम प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं के क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सिद्धांतों को समाहित करते हुए यह संशोधन विधेयक पेश किया है। यदि हम इस विधेयक का तकनीकी विश्लेषण करें तो यह दो प्रमुख विसंगतियों को दूर करता है । पहली विसंगति भूमि की उपलब्धता को लेकर थी । आज के आधुनिक दौर में भौतिक भूमि के विस्तार से ज़्यादा महत्व वर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्मित क्षेत्रफल की गुणवत्ता का न्यूनतम  भूमि की अनिवार्यता समाप्त होने से अब विभिन्न उच्च संस्थान कम भूमि में भी उन्नत अधोसरंचना के साथ छत्तीसगढ़ में कदम रख सकेंगे। वित्त संसाधनों के जाम होने की थी, विन्यास निधि के पुराने प्रावधान के कारण करोड़ों रूपये की पूंजी छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक के पास अनुपयोगी पड़ा रहता था। जिससे विश्वविद्यालयों की तरलता प्रभावित होती थी। इस विन्यास निधि को विलोपित कर संसाधनों को उचित मजबूती दी है, ताकि वे उस धन का निवेश ग्रंथालय, आई.टी.आई., आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर और अनुसंधान में कर सकें। हालांकि वित्त छूट देने के साथ-साथ छात्रों के हितों के सरंक्षण से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके स्थान पर रक्षित निधि का वैधानिक प्रावधान किया गया है, जो कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में छात्रों के सरंक्षण एवं भविष्य की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके अलावा पुराने प्रायोजित निकायों की जमा राशि की वापसी प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है। यह विधेयक अकादमिक स्ववित्त एवं तरलता छात्र सुरक्षा का एक संतुलित दस्तावेज है। मैं पूरे सदन से इस प्रगतिशील संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 19 सन् 2026) के विषय में हमारे बहुत से माननीय विधायकों के सुझाव आये हैं।  सम्माननीय अजय चन्द्राकर जी, श्री दलेश्वर साहू जी, श्री रोहित साहू जी, श्री उमेश पटेल एवं श्री ईश्वर साहू जी, आप सबका सुझाव आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ के अनुशंसा के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थान हेतु निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के साथ विन्यास निधि को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2025) की धारा 2, 7(1), 7(2), 7(4)(ग), 7(4)(घ), 11, 12, 36, 40, 41, और 42 को संशोधित करने का विनिश्चय किया है। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना में छूट प्रदान किए जाने हेतु न्यूनतम भूमि एवं विन्यास निधि सम्बन्धी प्रावधानों में ..।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आपने उद्देश्य में तो लिखा है। इसमें लिखा है कि न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को समाप्त करना है। हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, आप यह तो बता दीजिये ? इसकी आवश्यकता क्यो है ? इसका औचित्य क्या है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हम आज के दौर में देख रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय के संचालन के लिए जमीनें कम हो रही हैं। जो पहले मापदण्ड हैं, उस मापदण्ड के आधार पर आज जमीन खोजना या जमीन उपलब्ध होना मुश्किल है। आज एक अच्छा मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाकर जितना कैम्पस और जितनी आवश्यकता की चीजें हैं, जैसे हम प्रयोगशाला की बात करें, स्टडी कक्ष की बात करें, हॉल की बात करें, एक विश्वविद्यालय में जो रहना चाहिए, उसके लिए हमें 25 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है, उसके लिए जितनी आवश्यकता है, उनको पूरा करेंगे, वह मापदण्ड में रहेगा।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह जो आवश्यकता है। माफ करियेगा, यह जो आवश्यकता है, यह आपने डिक्लेयर कर दिया है। जो निजी विश्वविद्यालय बनायेंगे, उनको इन-इन चीजों की आवश्यकता है, वह 15 एकड़ में सारी चीजें बनाएंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- देखिए, निजी विश्वविद्यालय..।

श्री उमेश पटेल :- क्योंकि आप क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं। आपने क्राइटेरिया को चेंज कर दिया, तो हमारा जो डेफिनेशन है कि 15 एकड़ में हमारे पास इतनी सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, वह सारी चीजें उपलब्ध होंगी?

श्री टंक राम वर्मा :- भूमि की जो पहले जितने क्षेत्रफल की अनिवार्यता थी, उसको हमने समाप्त किया है, उसकी जगह में जो सिक्योरिटी मनी थी, उसको हटा करके हमने रक्षित मनी लाया है।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आपने 25 को कम करके 15 किया, यही किया है न? मैं जो समझ रहा हूं, गलत समझ रहा हूं? हमारा 25 एकड़ का उद्देश्य यह था कि उसमें प्रयोगशाला भी बन जाए, उसमें प्लेग्राउंड भी बन जाए, उसमें सारे फैकल्टीज, जितनी भी फैसिलिटी की आवश्यकता रहती है, चाहे वह एडमिन हो, वह सब बनने चाहिए, बन जाएंगे, आप इसमें यह बोल रहे हैं या नहीं बता रहे हैं?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक विश्वविद्यालय में जितनी चीजें जरूरत होती हैं, वह सभी मापदंड को पूरा करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- इसको इसमें डिफाइन कर दीजिए । इसको डिफाइन कर दीजिए।

श्री टंक राम वर्मा :- क्लियर है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- क्यों? क्यों आवश्यकता नहीं है? यही तो कंसर्न है कि कम जमीन में ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो सकतीं, ये सारी चीजें नहीं बन सकतीं। अगर आप कम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं, तो हमारी फैसिलिटी जो एक निजी विश्वविद्यालय को बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जिस चीज से उभर के आए हैं, आप वहीं वापस ले जा रहे हैं। वर्ष 2002 के पहले, वर्ष 2003 के पहले यही स्थिति थी और उस स्थिति को आप फिर से वापस ला रहे हैं। हमारा कंसर्न यह है कि अगर आप जमीन को कम करेंगे, तो सारी फैसिलिटी जो एक निजी विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय लेवल की संस्था में आवश्यकता है, वह पूरी होगी या नहीं होगी? और होगी तो उसको डिफाइन कर दीजिए, ताकि इसका कोई मिसयूज न कर सके। क्योंकि यह अगर बन गया तो बन गया, यह संशोधन हो गया, तो इसका उपयोग वे लोग फिर कैसे भी कर सकते हैं।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी क्लियर किया हूं कि एक विश्वविद्यालय के लिए जो मापदंड होना चाहिए, खेल ग्राउंड का हो, चाहे प्रयोगशाला का हो, चाहे कम्युनिटी हॉल का हो, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना में छूट प्रदान किए जाने हेतु न्यूनतम भूमि एवं विन्यास निधि संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने पर निम्नानुसार सुविधाएं सुनिश्चित हो जायेंगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, विश्वविद्यालय की एक गरिमा होता है, आप जमीन को सीमित में बांध देंगे, तो विश्वविद्यालय तो है ही नहीं।

श्री टंक राम वर्मा :- यह शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए है, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता आएगी और जो विन्यास निधि...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, गुणवत्ता नहीं आएगी।

सभापति महोदय :- मानक के अनुरूप भी आप उनसे सुझाव ले लीजिएगा। आप लिख कर दे दीजिएगा, सुझाव ले लीजिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- तब तक वह पास हो जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, एक सेकंड, संख्या बल उनके पास है, यह पास हो जाएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पास तो होगा।

श्री उमेश पटेल :- वे चाह के भी समर्थन कर रहे हैं। वे चाह नहीं रहे हैं, फिर भी उनको समर्थन करना पड़ रहा है ।

सभापति महोदय :- यह ऐसा विषय है, जिसके लिए सब गंभीर होते हैं और इस विषय पर माननीय...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी..।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, एक सेकंड, मैं इस सदन की गंभीरता के हिसाब से ही बात कर रहा हूं । मैं इसमें कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पक्ष के साथी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वे दलगत राजनीति के कारण..।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने वह स्पष्ट कर दिया और आपको स्पष्ट कर देंगे, बता देंगे।

श्री उमेश पटेल :- नहीं बता रहे हैं न, वे तो आगे चले गये हैं।

सभापति महोदय :- बता देंगे, आपको बुलाकर बता देंगे।

श्री टंक राम वर्मा :- निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के स्थान पर अधोसंरचना एवं निर्मित क्षेत्रफल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने से निजी विश्वविद्यालय की स्थापना में बढ़ोत्तरी होगी। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक के पास विन्यास निधि के प्रचलित प्रावधान के कारण विश्वविद्यालय की राशि अनुपयोगी बनी रहती थी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी..।

श्री टंक राम वर्मा :- इस प्रावधान को विलोपित करने से विश्वविद्यालय के पास समुचित राशि का उपयोग हो पाएगा। निजी विश्वविद्यालयों में छात्र हित में दृष्टिगत ग्रंथालय, कंप्यूटर नेटवर्किंग, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया। विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि का प्रावधान किया गया है, जिससे अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित हो सकेगा। प्रायोजक निकाय द्वारा पूर्व में जमा की गई विन्यास निधि धनराशि के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए जाने से निजी विश्वविद्यालयों को राशि वापस प्राप्त करने में सुगमता होगी। अतः मैं सदन से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 1 लाख 27 हजार करोड़ रूपये है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में केवल और केवल प्राइवेट के लिए विधेयक ला रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सरकार यूनिवर्सिटी खोले? क्या गरीब बच्चे इसमें दाखिला नहीं ले पाएंगे?

सभापति महोदया :- मंत्री जी ने जवाब दे दिया है, आपका सुझाव नोट भी कर लिया गया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है कि सरकार शासकीय यूनिवर्सिटी की ओर क्यों विचार नहीं कर रही है? उधर क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा खुले, उसके लिए प्रावधानों में शिथिल किया जा रहा है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पुराने समय में जो महाविद्यालय चल रहे थे।

सभापति महोदया :- इसमें चर्चा के लिए आप लोगों के नाम आए थे, उन सारे लोगों ने अपने-अपने विषय रख दिए हैं।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदया, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। जिस प्रकार से महाविद्यालय के क्राइटेरिया को बढ़ाया जा रहा है, उसकी जगह को बढ़ाया जा रहा है। पुराने समय में जो महाविद्यालय चालू था, वहां शहर बस गई है। वहां के लिए जगह उपलब्धता कहां होगी?

सभापति महोदया :- माननीय मंत्री जी, आप बाद में बुला कर उनसे बात कर लीजिएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदया।

सभापति महोदया :- आपने विषय रख दिया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदया, आपसे सिर्फ एक चीज के लिए निवेदन है कि इस विधेयक का कोई औचित्य ही नहीं है। मंत्री जी द्वारा जो भी विधेयक लाया गया है, आपने जिस कारण से भी लाया है। या तो आप बता नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से सदन में जितने सदस्य हैं, उन सबको इस बात से आपत्ति है कि आप इस विधेयक को ला रहे हैं। इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदया, लोक व्यापीकरण के जितना कारण बताना था, मैंने सारा चीज़ बताया है। इसमें बोलने के लिए और कुछ नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदया, इस विधेयक का कोई उपयोग नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मंत्री जी के इस जवाब हम सभी लोग असंतुष्ट होकर सदन से बहिष्कार कर रहे हैं। धन्यवाद।

समय :
2.52 बजे

**बहिष्कार**

**भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर**

(श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिष्कार किया गया)

**शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।

**खंड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पारित किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

**(6) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026)**

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) पर विचार किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय श्री अमर अग्रवाल जी।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 लाया गया है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है । वर्ष 2005 से हमारे प्रदेश में वैट की व्यवस्था हमने प्रारंभ की है और उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने जो आजादी के बाद टैक्स का सबसे बड़ा रिफार्म्स था, वह जी.एस.टी.है, इसमें "एक देश-एक कर" 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ । आज सारी जो वस्तुएं हैं, सर्विसेस हैं, वह जी.एस.टी. के अंतर्गत आती है, लेकिन उसके बाद भी वैट में कुछ चीजें जो जी.एस.टी. से बाहर हैं, आज देश के सारे राज्यों के पास जो 5 पेट्रोलियम पदार्थ डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, एटीएफ जो है, यही वैट में रह गया है । माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि डीजल पर जो वैट की कर है, वह 23 परशेंट से घटाकर 17 परशेंट यानी 6 परशेंट जो कम किया गया है, इसके कारण हमारे यहां उपभोक्ता और औद्योगीकरण तथा किसानों से लेकर सब के ऊपर जो कर का भार है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते हुये मूल्य हैं, उसको राहत देने का काम किया है । माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से जब वैट था, 10-10 साल पुराने केस, बहुत ही टेक्नीकल इश्यू में फंसे हुये केस, उसमें 31 मार्च जो पहले सेटलमेंट की वन टाईम स्कीम थी, हमने उसकी तिथि को बढ़ाया और 31 मार्च 2025 किया गया । इसके तहत लगभग 13,208 मामले को पूरा निपटाया गया और जिसमें शासन को लगभग 600 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति भी हुई । इसी प्रकार से 10 साल पुराने 25 हजार रूपये से कम बकाया की राशि के 47 हजार मामले, जिसमें 10 करोड़ रूपये की आय भी हुई, इस प्रकार से हम देखेंगे तो लगभग-लगभग 40 हजार जो पंजीयक थे, उनको राहत देने का काम इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने देने का काम किया है । इससे हमारे जो "इज ऑफ डूइंग" बिजनेस है, उसमें सब को राहत मिल सके । माननीय सभापति महोदय, मैंने जिक्र किया कि 1 जुलाई 2017 से हमारे यहां जी.एस.टी. आया है, इसका एक ट्रिब्यूनल भी बनना है, उसके जो केस है उसमें अपील में है, पहले कैट का भी बना हुआ था, वैट है उसका भी अपील फोरम बना हुआ था । जी.एस.टी. आने के बाद जी.एस.टी. की अपील फोरम तो बन गई, अब वैट के भी कुछ मामले आते हैं, क्योंकि 5 उत्पाद हैं, कुछ पुराने केस भी हैं, उसकी जगह नहीं बनाकर यह अधिकार जो हमारे यहां

छत्तीसगढ़ का राजस्व मंडल है, उसको अपील का अधिकार दिया जा रहा है और अभी 86 केस पेंडिंग हैं, जो अपीलेट फोरम को सुनना है और जिसके कारण बहुत विलम्ब भी हो रहा था । राजस्व मंडल को केस दिये हैं, जिससे आगे भी वैट के जो 5 उत्पाद हैं इसमें जो विवाद आये कि अपील करने का सब को एक नैसर्गिक अधिकार होता है, उस अधिकार को उपलब्ध कराने के लिये केवल ट्रिब्यूनल न बनाकर नये राजस्व मंडल में इसके अधिकार प्रत्यायोजित करने का यह संशोधन है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, यह सर्व सम्मत से पारित होना चाहिए।

समय :
3.00 बजे

सभापित महोदया :- श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी। (अनुपस्थित) माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में 30 जून, 2017 के बाद से वैट प्रणाली लागू हो गई। अधिकांशतः जो सामान थे, जो गुड्स थे, सब जीएसटी में आ गया। परंतु जो पांच गुड्स जिनकी चर्चा आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने विस्तार से की, जैसे डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस और एटीएफ जो एयरक्राफ्ट में उपयोग होता है। इस संशोधन में सिर्फ इतना किया जा रहा है कि पहले जो ट्रिब्यूनल में केस जाता था और चूंकि केवल पांच ही गुड्स हैं तो अब उसमें उसका बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जा रहा है। अब वह राजस्व मंडल में केस जाएंगे और पहले भी राजस्व मंडल में जाता रहा है तो इस प्रकार से ये संशोधन है। विभाग के द्वारा चाहे वह व्यापारी हो, चाहे हमारे उद्योगपति हो। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इसके माध्यम से राहत मिली है और यह बहुत ही लोक महत्व का संशोधन है। मैं पूरे सदन से चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास करे।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2026, (क्रमांक 11 सन् 2026) पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

**खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बना।**

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धन कर (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

**(7) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन) 2026)**

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 12 सन 2026) पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय अमर अग्रवाल जी।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर जो संशोधन विधेयक है, इसकी धारा 15, धारा 34 और धारा 54 में बदलाव प्रस्तावित है। हमारे देश में 1 जुलाई, 2017 से जी.एस.टी. प्रारंभ हुआ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आजादी के बाद टैक्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कोई था तो वह जीएसटी था और न केवल यह पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता है, बल्कि वन नेशन-वन टैक्स की परिकल्पना को भी इस टैक्स ने साकार किया है। वर्ष 2001 से इस टैक्स की विचार-विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और कभी इसमें सहमति नहीं बनी क्योंकि बहुत से राज्यों को इसमें नुकसान था और उसमें एक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ भी था। क्योंकि यह जो जीएसटी टैक्स है, यह मूल रूप से कंजम्पशन टैक्स है। जो राज्य कंजम्पशन करते हैं, उनकी आय बढ़ेगी और जो राज्य निर्यात करते हैं, उनकी आय घटेगी। क्योंकि हमारा खनिज राज्य था और खनिज राज्य होने के बाद स्वाभाविक है कि हमारे यहां से निर्यात होता था और उससे हमको हानि होगी। इस प्रकार से गुजरात भी था, बहुत से राज्य थे और मेरा संयोग रहा कि इस वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2015 तक की जो पूरी विचार-विमर्श

की प्रक्रिया है, उसमें अनेक बार विदेश के टूर भी हुए, विदेश को समझने का अवसर भी मिला, दुनिया में टैक्स में क्या इफेक्ट आए, उसको जानने का भी अवसर मिला। माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ में भी जब यह एक्ट आया था तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है। क्योंकि यह सीधा-सीधा हमारे राजस्व से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन केंद्र ने बाई एक्ट 5 साल का कंपनसेशन 14 प्रतिशत ग्रोथ के साथ दिया कि जिससे राज्य अपनी स्थिति को सुधार लें और यह चला। पिछली गवर्नमेंट के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इस जीएसटी के एक्ट को लाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। आज जब मैं देखता हूं कि पुनः यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उस एक्ट को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते हुए राजस्व के बारे में छत्तीसगढ़ की हमारी जो चिंता थी, उन सारी चीजों को पूरा करते हुए देश के विकास में अपना योगदान देने में यह सरकार सफल साबित हो रही है। माननीय सभापति महोदया, मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। बहुत अच्छे-अच्छे रिफॉर्म्स हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किये हैं। जीएसटी की जो पंजीयन की प्रक्रिया थी, जो पहले 13 दिन थी, उसको घटाकर 3 दिन किया और उसका परिणाम यह हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एडॉप्ट किया कि हमारे यहां जो पंजीकृत व्यवसायी थे, वह 1 लाख 28 हजार से बढ़कर आज 2 लाख 5 हजार हो गये। पहले हमारे राज्य में 15 जीएसटी कार्यालय थे, आज 33 हो गये। इसी प्रकार से जो पिछला वित्तीय वर्ष 2024-25 का था, उस वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रहण में 18 प्रतिशत की ग्रोथ हुई थी। मैंने जिक्र किया कि कंपनसेशन 14 प्रतिशत का था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार की कुशलता के कारण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण 18 प्रतिशत की जो ग्रोथ आई, वह पूरे देश में सर्वाधिक है। (मेजों की थपथपाहट) मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय मैंने यह अधिनियम लाया था, उस समय हमारी स्वाभाविक चिंता थी कि हमारा राजस्व जाएगा। इस छत्तीसगढ़ में आने के बाद सारे सुधार करते हुए वह जो छत्तीसगढ़ को हानि हो रही थी, उस हानि से बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णु देव जी की सरकार ने किया है। वित्त मंत्री जी के प्रयासों से 18 प्रतिशत की जो ग्रोथ आई है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदया, इस सरकार के मात्र ढाई साल हुए हैं और इस ढाई साल में 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जीएसटी से आया है। वैट अलग है और पिछले जो 5 साल सरकार चली, उसमें मात्र 77 हजार करोड़ की रेवेन्यू थी तो ढाई साल में 64 प्रतिशत कलेक्शन करने का काम भी इस सरकार ने किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ सरकार का आय का स्त्रोत है, तो यह टैक्सेशन विभाग में जी.एस.टी. का भी है और उसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदया, आज यह जो तीन धाराओं में संशोधन है। जी.एस.टी. काउंसिल के बारे में अनेक बार यहां चर्चा हुई क्योंकि वन नेशन, वन टैक्स है, जी.एस.टी. काउंसिल है। बहुत से पार्लियामेंट के और असेंबली के राइट उस जी.एस.टी. काउंसिल में हैं, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और जिसके सारे सदस्य राज्य

के वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री होते हैं। उसमें सारे फैसले लिए जाते हैं कि क्या अमेंडमेंट करना चाहिए, क्या छूट होनी चाहिए और सारे फैसले सर्वानुमति से लिए जाते हैं। उसके बाद उसमें जो तय होता है, फिर वह पार्लियामेंट में जाता है, फिर विधान सभा में आता है। एक प्रकार से आम सहमति के बाद इन धाराओं में संशोधन आता है। यह जो तीन धाराएं हैं, क्योंकि वर्ष 2017 में यह लागू हुआ, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, बहुत से नए अनुभव आते हैं, उस अनुभव के बाद यह परिवर्तन आता है। माननीय सभापति महोदया, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि यह जो धारा 15 है, पहले जो जी.एस.टी. की धारा 15 थी, अगर हमने किसी को माल बेच दिया और उस पर पूरा टैक्स दे दिया, अगर हमको कोई छूट देनी है, तो पहले उसका लिखित में समझौता होना जरूरी था लेकिन अब उस सीमा को हटा दिया गया है। आप बेचने के बाद भी बिना लिखित समझौते के उनको छूट दे सकते हैं और बाद में छूट देंगे तो स्वाभाविक है उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। यह आम तौर पर जो व्यवसाय है, उसमें चलता है। उसमें धारा 15 में वस्तु को बाद में बेचने वाली छूट, जो पहले लिखित समझौता था, उसको हटाकर अब धारा 15 में संशोधन किया गया है। माननीय सभापति महोदया, धारा 34 में यह भी संशोधन किया है और उसमें छूट भी देगा तो इसमें जो विक्रेता व्यापारी है, वह क्रेडिट नोट के जरिए छूट देगा, क्रेडिट नोट मिलेगा, तो उसका जो टैक्स उसने पटा दिया, उसका भी रिफंड मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी छूट है। माननीय सभापति महोदया, जो धारा 54 है, इसमें छोटे व्यापारियों को पहले 1000 रूपये से कम का रिफंड मिलता था। इसमें हमारे यहां सबको मालूम है कि निर्यात पर हमको टैक्स देना पड़ता है लेकिन जीरो टैक्स है, वह बाद में रिफंड होता है। निर्यात के लिए एक नियम बने हुए थे कि निर्यात में जो भी टैक्स गया है, अगर कोई आवेदन देगा तो एक निश्चित सीमा में हफ्ते भर के अंदर उसको 90 प्रतिशत तुरंत रिफंड मिल जाता था। लेकिन बहुत से आइटम ऐसे हैं कि हमारे कच्चे माल में टैक्स ज्यादा है और पक्के माल में टैक्स कम है, उसके टैक्स की राशि जमा हो जाती थी। इसमें यह नियम है कि अगर आपने टैक्स पटाया है और आप टैक्स दे रहे हैं, उसमें समायोजन होता है। जिनमें कच्चे माल की कीमत कम है और फिनिश्ड माल में ज्यादा है, तो उनका समायोजन हो जाता था। लेकिन जिनके कच्चे माल में टैक्स ज्यादा है और अगर बिल में कम है, तो उनकी एक बहुत बड़ी राशि ब्लॉक हो जाती थी। जिसके कारण थोड़ी असुविधा भी होती थी। मुझे प्रसन्नता है कि जब यह विचार-विमर्श की प्रक्रिया थी, इस विषय को उस समय भी हमने उठाया था कि यह नहीं होना चाहिए, इससे व्यवसायी का पैसा जाम होगा, उनको व्यापार करने में तकलीफ होगी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि उस धारा 54 में जिस प्रकार से निर्यातकों को आवेदन देने के बाद एक हफ्ते के अंदर रिफंड मिलेगा, उसी प्रकार से अब यह जो रिफंड है, जो इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले हैं, जिनके कच्चे माल में ज्यादा है, पक्के में कम है, वह आवेदन देगा तो 90 प्रतिशत तुरंत रिफंड हो जाएगा। यह तीनों जो संशोधन हैं, क्योंकि वर्षों के अनुभव के बाद जो-जो असुविधाएं आती हैं, मांग आती है, व्यवहारिकता आती है, तो यह बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती

है। मैं ऐसा समझता हूं कि धारा 15, 34 और 54 में जो बदलाव हुए हैं, वास्तव में यह जरूरत भी थी और इससे व्यापार की सुगमता बढ़ेगी, यहां की आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी और यहां का जो जी.डी.पी. है, वह बढ़ेगा। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को पास किया जाये। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदया, ये छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 बहुत ही लोक महत्व का है। जैसा कि आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने जी.एस.टी. और कर प्रणाली पर जिनको इस प्रदेश में भी सेल टैक्स से लेकर वेट तक के सफर का काफी अनुभव है। माननीय अगर अग्रवाल जी ने काफी विस्तार से बताया है। इसमें मैं यह कहना चाहता हूं यह जो 3 संशोधन मुख्य रूप से हैं जिसको धारा 15 जो विक्रय के पश्चात डिस्काउंट है, इसमें विक्रय के पश्चात भी जो डिस्काउंट है, उसमें पहले टैक्स लग जाता था, उसकी छूट रहेगी। क्रेडिट नोट पर डिस्काउंट पर भी इस संशोधन के माध्यम से छूट का प्रावधान है। साथ ही जो छोटे व्यापारी जिनके 1 हजार से कम भी टैक्स रिफंड होते थे, वह नहीं हो पाते थे। अब उससे कम का भी रिफंड की इसमें गुंजाइश है और ये प्रावधान है। और बहुत ही लोक महत्व के ये तीनों संशोधन हैं और तीनों संशोधन व्यापारी हित में हैं, आम जनता के हित में हैं। किसी प्रकार की टैक्स की बढोत्तरी का नहीं है। टैक्स के सरलीकरण का है। टैक्स का जो लाभ है, उसका है। इसलिए आज मैं सभी सम्माननीय सदन से चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास करें।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) पारित किया जाय।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) पारित किया जाय।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदया, वह जो स्वीकृत हुए, उसमें स्वीकृत की जगह में एक एडजेक्टिव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ करके लगाईये

सभापति महोदया :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

**(03 बजकर 19 मिनट पर विधान सभा गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 25, शक संवत् 1948) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)**

**दिनेश शर्मा**

**सचिव**

**छत्तीसगढ़ विधान सभा**

**नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)**

**दिनांक 15 जुलाई, 2026**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं